

4 वार्षिक रिपोर्ट 2023-2024



एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड
(एनएसआईसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी)



विज़न

वैश्विक चैम्पियन बनने के लिए
इकिवटी मार्ग के माध्यम से एमएसएमई
के विकास को उत्प्रेरित करना ।

मिशन

निवेश का एक पारिस्थितिकी तंत्र सृजित करने हेतु
और सकारात्मक विकास गति रेखा वाले एमएसएमई
हेतु विकास पूंजी उपलब्ध कराना, जिससे उन्हें
आत्मनिर्भर बनने में सहायता मिल सके ।

एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड

क्र.सं.	विषय-सूची	पृष्ठ सं.
1.	कॉरपोरेट सूचना	02
2.	निदेशक मंडल	03
3.	अध्यक्ष महोदय का संदेश	06
4.	बोर्ड की रिपोर्ट	09
5.	प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट	15
6.	संबंधित पक्ष के साथ व्यवस्थाओं के अनुबंधों का विवरण	21
7.	कॉरपोरेट प्रशासन पर रिपोर्ट	22
8.	स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	28
9.	वित्तीय विवरण	48
10.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां	78
11.	वार्षिक आम बैठक की सूचना	79



सीआईएन नं. यू65990डीएल2020जीओई1368828

अध्यक्ष

डॉ. शुभांशु शेखर आचार्य

(02 मई, 2024 से)

श्री विपुल गोयल

(01 जुलाई 2023 से 01 मई, 2024 तक)

सुश्री मर्सी इपाओ

(30 जून, 2023 तक)

निदेशक

- श्री अतीश कुमार सिंह
सरकारी नामित निदेशक
- डॉ. इशिता गागुली त्रिपाठी
सरकारी नामित निदेशक
- श्री गौरव गुलाटी, निदेशक
(14 जून, 2023 से)

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

श्री सरवण कुमार अनणथन

कंपनी सचिव

श्रीमती निष्ठा गोयल

संविधिक लेखापरीक्षक

मैसर्स के. प्रसाद एण्ड कंपनी

मुख्य बैंकर

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया

पंजीकृत कार्यालय

एनएसआईसी भवन
ओखला इंडस्ट्रीयल एस्टेट
नई दिल्ली-110020

कार्पोरेट वेबसाइट

www.nvcfl.co.in

निदेशक मंडल



डॉ. शुभ्रांशु शेखर आचार्य, अध्यक्ष (डीआईएन: 06727939)

डॉ. शुभ्रांशु शेखर आचार्य ने एनएसआईसी के अध्यक्ष-एवं-प्रबंध निदेशक का पदभार 02 मई, 2024 को ग्रहण किया। डॉ. आचार्य के पास क्रेडिट, एसएमई रेटिंग, जोखिम प्रबंधन, बिल फाइनेंसिंग, नए उत्पाद विकास, व्यवसाय योजना, उद्यमिता विकास, नवाचार वित्तपोषण, माइक्रो-फाइनेंस स्टार्ट-अप सलाह आदि सहित एमएसएमई वित्तपोषण और विकास के विभिन्न पहलुओं में 32 वर्षों से अधिक का अनुभव है।

वह प्रबंधन में पीएचडी, विज्ञान में स्नातकोत्तर (एमएससी), बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में स्नातकोत्तर (एमबीए) और भारतीय बैंकिंग और वित्त संस्थान (सीएआईआईबी) के प्रमाणित एसोसिएट हैं। वह एक ब्रिटिश शेवेनिंग विद्वान थे और उन्होंने ब्रिटेन के ब्रैडफोर्ड विश्वविद्यालय में 'सतत विकास' का अध्ययन किया था। वह भारत की पहली एसएमई रेटिंग एजेंसी के संस्थापक सदस्य थे और उन्होंने सिडबी और 4 अन्य वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रवर्तित कंपनी इंडिया एसएमई टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड (आईएसटीएसएल) के सीईओ के रूप में कार्य किया है। वह एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड (एनएसआईसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) के बोर्ड में पदेन अध्यक्ष हैं।



श्री अतीश कुमार सिंह, सरकारी नामिति निदेशक (डीआईएन: 06789077)

श्री अतीश कुमार सिंह, संयुक्त सचिव, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय – सिविल सेवा को नागरिक प्रशासन, नीति निर्माण और कार्यान्वयन, संस्थागत विनियमन और उत्पाद विकास में 25 से अधिक वर्षों का अनुभव है (1997-2021)।

उन्होंने भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में विभिन्न पदों पर अपनी सेवाएं दी हैं। उन्होंने एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार के विभिन्न मामलों पर कार्य किया है जैसे कि एमएसएमई क्रेडिट के लिए नीति निर्माण और निष्पादन, विश्व बैंक के साथ बातचीत, 4 बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं (ईएपी) हेतु एमएसएमई क्षेत्र में वित्तीय सहायता के लिए केएफडब्ल्यू और राष्ट्रीय विकास बैंक, शिकायत निवारण/समाधान और प्रारंभिक सहायता हेतु चैंपियन पोर्टल की शुरुआत, जेड प्रमाणन पर सुधारित एमएसएमई योजना का विकास और निष्पादन, लीन प्रक्रियाएँ, ऊष्मायन, आईपीआर और डिजाइन आदि। वे देश भर में पीपीपी मोड पर 20 नए प्रौद्योगिकी केंद्रों और 100 विस्तार केंद्रों की स्थापना का हिस्सा थे। उन्होंने ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (टीआरडीडीएस) पर ब्लॉक चेन प्रक्रियाओं को विकसित करने के लिए वित्त मंत्रालय और आरबीआई के साथ समन्वय किया। उन्होंने आरबीआई, राज्य सरकारों, निजी क्षेत्र और वित्त मंत्रालय के समन्वय से फिनटेक निकायों में अभिनव उत्पाद विकास किया है। उन्होंने मंत्रालय

में सामान्य प्रशासन, सतर्कता और स्थापना से संबंधित मामलों से संबंधित कार्यों को भी संभाला। वह सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चिकित्सा सेवा प्रदाताओं को कोविड प्रबंधन में संसाधन प्रदान करने के लिए एक पोर्टल covidwarriors.gov.in के संचालन और प्रबंधन का हिस्सा थे।

श्री अतीश कुमार सिंह, एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड (एनवीसीएफएल) के बोर्ड में सरकारी नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, जो एनएसआईसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।



डॉ. इशिता गांगुली त्रिपाठी, सरकारी नामित निदेशक (डीआईएन: 09661006)

डॉ. इशिता गांगुली त्रिपाठी, अतिरिक्त विकास आयुक्त, विकास आयुक्त कार्यालय (एमएसएमई) भारतीय आर्थिक सेवा 1999 बैच की एक अधिकारी हैं। पिछले 23 वर्षों में, उन्होंने वित्त मंत्रालय, योजना आयोग, सड़क परिवहन मंत्रालय और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में विभिन्न पदों पर कार्य किया है। उन्होंने अर्थशास्त्र और जनसंख्या अध्ययन विषयों में दो स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की है और उन्होंने आईआईटी दिल्ली से प्रबंधकीय अर्थशास्त्र में पीएचडी पूर्ण किया है।

डॉ. इशिता गांगुली त्रिपाठी, एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड (एनवीसीएफएल) के बोर्ड में सरकारी नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, जो एनएसआईसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।



श्री गौरव गुलाटी, निदेशक (वित्त) (डीआईएन: 10144109)

श्री गौरव गुलाटी एक विशिष्ट पेशेवर पृष्ठभूमि रखते हैं, उन्हें इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के फेलो सदस्य का दर्जा प्राप्त है, साथ ही वे एक अर्हक लागत लेखाकार (आईसीएआई) और कंपनी सचिव (आईसीएसआई) भी हैं। अपनी प्रभावशाली शैक्षणिक योग्यताओं के अलावा, श्री गुलाटी के पास व्यापार प्रशासन में स्नातकोत्तर डिग्री भी है।

25 वर्षों से अधिक की व्यापक पेशेवर यात्रा के साथ, श्री गुलाटी ने एनबीसीसी (आई) लिमिटेड, एनटीपीसी, सेल और इंडसइंड बैंक जैसे प्रमुख संगठनों से समृद्ध अनुभव अर्जित किया है, जहां उन्होंने विभिन्न पदों पर कार्य किया। उनकी विशेषज्ञता में वित्त और लेखा, अनुबंध प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन, आंतरिक लेखापरीक्षा, बजटीय नियंत्रण, वित्तीय स्वीकृति और सैप कार्यान्वयन सहित विविध क्षेत्र शामिल हैं।

एनएसआईसी में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व, उन्होंने कार्यकारी निदेशक (वित्त) के रूप में कार्य किया और क्षेत्रीय व्यापार समूह प्रमुख के रूप में एनबीसीसी (आई) लिमिटेड में रियल एस्टेट वर्टिकल का नेतृत्व किया।

अपने उल्लेखनीय संगठनात्मक कौशल और रणनीतिक आयोजना प्रखरता के साथ, श्री गौरव गुलाटी ने अपनी वर्तमान भूमिका में एनएसआईसी के भीतर आवश्यक सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, विशेष रूप से आंतरिक नियंत्रण

को बढ़ाने के अलावा योजनाओं के लिए नीतियों और दिशानिर्देशों को तैयार और सुदृढ़ करके कंपनी के एनबीएफसी कार्यक्षेत्र को मजबूत किया है।

इसके अलावा, श्री गौरव गुलाटी की उपलब्धियाँ उनके पेशेवर करियर से भी आगे फैली हुई हैं। वह न केवल उस टीम के प्रमुख सदस्य रहे हैं, जिसने ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन (एआईएमए) द्वारा आयोजित बिजनेस सिमुलेशन प्रतियोगिता, नेशनल मैनेजमेंट गेम्स (एनएमजी) में दो बार जीत हासिल की, बल्कि 2011 में कीव, यूक्रेन में ग्लोबल मैनेजमेंट चैलेंज (जीएमसी) में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया।

श्री गौरव गुलाटी की व्यापक वित्तीय प्रखरता, नेतृत्व और रणनीतिक क्षमताएं उन्हें एनएसआईसी के लिए एक मूल्यवान संपत्ति बनाती हैं और उनकी असाधारण उपलब्धियाँ और समर्पण संगठन की सफलता और वित्तीय स्थिरता में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

श्री गौरव गुलाटी को 09 मई, 2023 से एनएसआईसी के निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्त किया गया है।

उन्हें एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड (एनएसआईसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) में निदेशक के रूप में भी नियुक्त किया गया है।



श्री सरवर्ण कुमार अनन्थन, निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (डीआईएन: 09769378)

श्री सरवर्ण कुमार अनन्थन आईआईएम-बैंगलोर से स्नातकोत्तर हैं, उनके पास बी.ई. की डिग्री है, और वे जीएआरपी-यूएसए से जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स से सीएआईआईबी की डिग्री धारक हैं और उन्होंने न्यूयॉर्क में मेरिल लिंच ग्लोबल मुख्यालय में प्रबंधन विकास कार्यक्रम में भाग लिया। उनके पास वेंचर कैपिटल, प्राइवेट इक्विटी, एआईएफ, एमएसएमई सेक्टर, फाइनेंस एंड अकाउंट्स, रिस्क मैनेजमेंट, रिसोर्स मोबिलाइजेशन, ट्रेजरी मैनेजमेंट और कॉर्पोरेट नियोजन में 35 वर्ष से ज्यादा का पेशेवर अनुभव है।

श्री अनन्थन को 17 अक्टूबर 2022 को श्री फंड (एमएसएमई के लिए भारत सरकार की फंड ऑफ फंड स्कीम) को लागू करने के लिए एनबीसीएफएल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने आईसीआईसीआई वेंचर्स और आईसीआईसीआई बैंक में एक वरिष्ठ प्रबंधन पेशेवर के रूप में कार्य किया और एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट, एलआईसी नोमुरा फंड्स मैनेजमेंट आदि में मुख्य निवेश अधिकारी के रूप में कार्य किया है।

वह 2011 में जीवन बीमा क्षेत्र के लिए निवेश के पुनर्गठन पर (क) आईआरडीएआई (ख) एआईएफ फंड विकसित करने पर सेबी और (ग) अमेरिकन इंटरनेशनल एश्योरेंस (एआईए)-हांगकांग की कोर निवेश समिति के सदस्य के सलाहकार कार्य समूह समिति के सदस्य थे। 2010 और 2013 के बीच लंदन स्टॉक एक्सचेंज से सर्वश्रेष्ठ एआईएफ फंड के लिए उन्हें मार्च 2013 में "वर्ल्ड फाइनेंस" पुरस्कार मिला था। "वर्ल्ड फाइनेंस" यानी यूके आधारित निवेश प्रकाशन ने उपरोक्त पुरस्कार वितरित किया था।

अध्यक्ष महोदय का संदेश



प्रिय शेयरधारको,

मुझे एनवीसीएफएल की इस चौथी वार्षिक आम बैठक में आप सभी का स्वागत करते हुए अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है। 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए एनवीसीएफएल की बोर्ड रिपोर्ट और उसके लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण, साथ ही लेखापरीक्षक की रिपोर्ट और उस पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ एनवीसीएफएल के सभी शेयरधारकों को परिचालित कर दी गई हैं।

भारत की अर्थव्यवस्था

वित्तीय वर्ष 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था में वर्ष-दर-वर्ष 8.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो वित्तीय वर्ष 2023 में 7.0 प्रतिशत से उल्लेखनीय वृद्धि है, जिसने मजबूत विनिर्माण और निर्माण क्षेत्रों द्वारा संचालित सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत किया है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 (एफवाई25) के लिए अपने वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद विकास अनुमान को 7 प्रतिशत के अपने पिछले पूर्वानुमान से संशोधित कर 7.2 प्रतिशत कर दिया है। भारत का चालू खाता घाटा वित्तीय वर्ष 24 में जीडीपी के 0.7 प्रतिशत (\$23.2 बिलियन) पर उल्लेखनीय रूप से सुधरकर 23.2 बिलियन डॉलर हो गया, जो पिछले वर्ष

जीडीपी के 2 प्रतिशत (\$67 बिलियन डॉलर) से कम है, जो कम व्यापारिक व्यापार घाटे के कारण है। आरबीआई को आशा है कि वित्तीय वर्ष 25 में हेडलाइन मुद्रास्फीति 4.5 प्रतिशत और वित्तीय वर्ष 26 में 4.1 प्रतिशत तक कम हो जाएगी। कुल मिलाकर, भारतीय अर्थव्यवस्था वित्तीय प्रणाली में संरचनात्मक सुधारों, सुधारों की चल रही गति और निजी क्षेत्र के पुनरुद्धार का समर्थन करने वाली नीतियों से प्रेरित स्थिर विकास संभावनाओं को देख रही है, जो बेहतर मध्यम अवधि के विकास के दृष्टिकोण का मार्ग प्रशस्त करती है। वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट ने सूचीबद्ध और गैर-सूचीबद्ध निवेशों के बीच पूंजीगत लाभ कर का संरेखण पेश किया, परिसंपत्ति वर्गों के बीच असमानताओं को समाप्त किया और परिसंपत्ति निर्माण, रोजगार और बिक्री में गैर-सूचीबद्ध कंपनियों की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता दी, जिससे भारतीय स्टार्टअप के लिए फंडिंग में वृद्धि हुई।

भारतीय शेयर बाजार जून 2024 में अपने सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया, जिसमें बीएसई सेंसेक्स 79,243 अंक और एनएसई निफ्टी-50 24,044 अंक को पार कर गया, जो घरेलू संस्थागत निवेशकों से मजबूत प्रवाह, मजबूत कॉर्पोरेट आय और सकारात्मक आर्थिक डाटा के कारण हुआ।

निजी इक्विटी और वेंचर कैपिटल फंड ने जून 2024 को समाप्त तिमाही के दौरान भारत स्थित कंपनियों में 233 डीलों में \$8.3 बिलियन डॉलर का निवेश किया। यह 2023 की इसी अवधि की तुलना में 33 प्रतिशत की गिरावट दर्शाता है, जिसमें 235 डीलों में 12.4 बिलियन डॉलर दर्ज किए गए थे। फंडिंग में गिरावट का कारण ट्रेजरी मार्केट्स में लगातार उच्च ब्याज दर, अवास्तविक मूल्यांकन और गैर-सूचीबद्ध संस्थाओं के अवास्तविक मूल्यांकन से उत्पन्न चुनौतियाँ हैं। इस बीच, आईपीओ बाजार ने हाल के महीनों में बढ़ी हुई गतिविधि दिखाई है, जिसमें 2024 की पहली छमाही में 4.4 बिलियन अमरीकी डॉलर जुटाए गए हैं, जो पिछले साल इसी अवधि के दौरान जुटाए गए 1.4 बिलियन अमरीकी डॉलर

से उल्लेखनीय वृद्धि है। जून 2024 को समाप्त तिमाही के दौरान निजी इक्विटी और उद्यम पूंजी निकासी में डील वॉल्यूम में 7 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 43 से बढ़कर 46 डील हो गई।

आर्थिक विकास और निवेश के अवसर

युवा जनसांख्यिकी, तीव्र डिजिटलीकरण, स्थिर नीतियों और विनियामक समर्थन जैसे अनुकूल कारकों द्वारा संचालित भारत की आर्थिक वृद्धि ने महत्वपूर्ण निवेश अवसरों के लिए मंच तैयार किया है। पिछले पाँच वर्षों में 54 प्रतिशत की वृद्धि के साथ स्टार्टअप में निवेश में तेजी से वृद्धि हुई है। भारतीय स्टार्टअप में निवेश किए गए लगभग 14 ट्रिलियन रुपये में से लगभग 40–50 प्रतिशत वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) से आता है। भारतीय निजी बाजारों ने भी लचीलापन और रिटर्न प्रदान करते हुए बढ़ती मात्रा में पूंजी को अवशोषित करने की क्षमता का प्रदर्शन किया है। पिछले पाँच वर्षों में, भारतीय निजी इक्विटी निवेश कुल 12.2 ट्रिलियन रुपये रहा, जिसमें निकासी 7.6 ट्रिलियन रुपये तक पहुँच गई, जो निवेश पर स्वस्थ प्रतिफल का संकेत देता है।

निजी इक्विटी का आकर्षण

पिछले दशक में निजी इक्विटी की प्रमुखता काफी बढ़ गई है, क्योंकि यह लंबे समय तक लगातार चक्रवृद्धि प्रतिफल देने की क्षमता रखती है। इस परिसंपत्ति वर्ग ने सार्वजनिक बाजारों और अन्य परिसंपत्ति वर्गों पर मजबूत अल्फा बनाने की क्षमता का लगातार प्रदर्शन किया है। वैश्विक स्तर पर, निजी इक्विटी ने पिछले 22 वर्षों में एस एण्ड पी 500 जैसे सार्वजनिक बाजारों पर 4–6 प्रतिशत प्रीमियम बनाए रखा है। भारत में, 2013 से 2022 तक के विंटेज वाले 217 फंडों के क्रिसिल विश्लेषण से पता चला कि उन्होंने सार्वजनिक बाजार समकक्ष (एस एण्ड पी बीएसई सूचकांक टीआरआई) से 13.5 प्रतिशत बेहतर प्रदर्शन किया।

संस्थागत पूंजी और विनियामक समर्थन

पेंशन फंड, बीमा कंपनियां और एंडोमेंट जैसी संस्थाएं वैश्विक स्तर पर निजी इक्विटी में सबसे बड़े निवेशकों में

से हैं। बीमा कंपनियां कुल वैश्विक प्रबंधन के अधीन होने वाली निजी इक्विटी परिसंपत्तियों (एयूएम) में लगभग 20 प्रतिशत का योगदान देती हैं, जबकि पेंशन फंड 25–35 प्रतिशत का योगदान देते हैं। भारत में, जीवन बीमा कंपनियाँ अपनी परिसंपत्तियों का 3–5 प्रतिशत कैट 1 और 2 एआईएफ में निवेश कर सकती हैं, जबकि वैश्विक स्तर पर यह 5–10 प्रतिशत है। भारतीय पेंशन योजना कुछ विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तरह निजी इक्विटी की ओर धन आवंटित करने का जबरदस्त अवसर प्रदान करती है। जैसे-जैसे निजी बाजार के अवसर बढ़ रहे हैं, भारत में परिष्कृत पारिवारिक कार्यालय (एफओ) अपने निजी इक्विटी निवेशों के लिए अलग-अलग टीमें बना रहे हैं। हालाँकि, अधिकांश निवेशक विशेषज्ञता, गहन समझ और स्रोत के कारण मिलने वाले लाभ के चलते फंड-आधारित निवेश को प्राथमिकता देना जारी रखे हुए हैं। मैकिन्से के एक विश्लेषण से पता चला है कि उच्च-निवल-मूल्य वाले व्यक्तियों (एचएनआई) द्वारा प्रत्यक्ष निजी इक्विटी निवेश 2021 से 13 प्रतिशत से घटकर 6 प्रतिशत हो गया है, जबकि फंड-आधारित निवेश 8 प्रतिशत से बढ़कर 10 प्रतिशत हो गया है।

वित्तीय और निष्पादन अवलोकन – एनवीसीएफएल

वर्ष 2023–2024 के दौरान, कंपनी ने प्रचालन से 594 लाख रुपये का राजस्व और 501.06 लाख रुपये का लाभ (कर पूर्व) और 374.69 लाख रुपये का कर पश्चात लाभ अर्जित किया। वर्ष 2023–24 के लिए, कंपनी की निवल संपत्ति पिछले वर्ष के 975.75 लाख रुपये की तुलना में 1259.32 लाख रुपये थी। 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए प्रति शेयर आय (ईपीएस) 62.45 रुपये थी, जबकि पिछले वर्ष यह 50.61 रुपये थी।

मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि निदेशक मंडल ने 112.40 लाख रुपये के लाभांश की सिफारिश की है, जो वित्तीय वर्ष 2023–2024 के लिए पीएटी का 30 प्रतिशत है, जो इस वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है।

31 मार्च, 2024 तक, कुल 53 डॉटर फंड को एसआरआई फंड (मदर फंड) के साथ सूचीबद्ध किया गया है और इन डॉटर फंड ने इन एमएसएमई में 7649 करोड़ रुपये

की प्रतिबद्धता के माध्यम से 432 उच्च क्षमता वाले एमएसएमई की सहायता की है, जिसमें से डॉटर फंड ने एसआरआई फंड से 6756 करोड़ रुपये आहरित किए हैं। ये एमएसएमई भारत के कम आय वाले राज्यों और आकांक्षी जिलों सहित पूरे भारत में मौजूद हैं। उन्होंने 1,00,000 से अधिक रोजगार सृजन करने में सहायता की है, जिनमें से 24 प्रतिशत महिलाओं को रोजगार मिला है।

एमएसएमई के बीच फंड के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए लखनऊ, उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे देश भर में विभिन्न आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

पूंजी संरचना

कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 100 रुपये प्रत्येक के 10,00,000 इक्विटी शेयर है और कंपनी की चुकता शेयर पूंजी 6 करोड़ रुपये है, जिसे 100 रुपये के 6,00,000 इक्विटी शेयरों में विभाजित किया गया है। एनवीसीएफएल राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।

कॉर्पोरेट अभिशासन

वर्ष के दौरान, बोर्ड ने कंपनी के लिए शासन संरचना को और मजबूत करने के लिए विभिन्न पहल की हैं। आवश्यकतानुसार सांविधिक दिशा-निर्देश और अनुपालन मामलों को उठाया गया है।

आगे की राह

एक परिसंपत्ति वर्ग के रूप में निजी इक्विटी के विकास के बावजूद, उद्योग को आगे के विस्तार के लिए अभी भी व्यापक पूंजी की आवश्यकता है। आईवीसीए (भारतीय उद्यम पूंजी संघ) की एक हालिया रिपोर्ट बताती है कि भारत को अगले पाँच वर्षों में लगभग 46 ट्रिलियन रुपए निजी इक्विटी पूंजी की आवश्यकता होगी। इसका

एक बड़ा हिस्सा घरेलू स्रोतों से आएगा क्योंकि व्यक्ति, परिवार और संस्थान भारतीय निजी बाजार में आकर्षक दीर्घकालिक प्रतिफल के वादे से प्रेरित होकर अपने पूंजी पूल को बढ़ा रहे हैं।

जबकि भारतीय पीई/वीसी परिदृश्य ने उल्लेखनीय वृद्धि दिखाई है, आगे की वृद्धि की कुंजी निरंतर विस्तार का समर्थन करने के लिए संस्थागत पूंजी को प्रभावी ढंग से चैनलाइज करने में निहित है। हालाँकि विनियामक वातावरण सहायक रहा है, फिर भी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय आवंटन स्तरों के बीच के अंतर को पाटने के लिए और अधिक प्रयासों की आवश्यकता है, ताकि निवेशकों को एक जटिल और गतिशील बाजार में सूचित विकल्प बनाने में सक्षम बनाया जा सके।

आभार

मैं इस अवसर पर एमएसएमई मंत्रालय, सेबी, डीपीई, एनएसआईसी लिमिटेड (धारक कंपनी) को निरंतर मार्गदर्शन के लिए और बोर्ड के सदस्यों को कंपनी को अपना नेतृत्व और दिशा प्रदान करने के लिए अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूँ।

मैं अपने सभी हितधारकों के प्रति भी अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जिन्होंने हमारी कंपनी में अपना विश्वास जताया है और आने वाले वर्षों में आपके निरंतर समर्थन की आशा करता हूँ। मैं अपने कर्मचारियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिनकी प्रतिबद्धता और दृढ़ संकल्प अनुकरणीय रहे हैं और जो कंपनी के दृष्टिकोण और मिशन को प्राप्त करने में केंद्रित हैं। हम आपकी कंपनी के भविष्य के प्रदर्शन के दृष्टिकोण पर आशावादी हैं और निरंतर विकास पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखेंगे तथा अपने सम्मानित हितधारकों के लिए 'उत्कृष्टता के साथ एमएसएमई की सेवा और सशक्तिकरण' के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे।

ह./

(डॉ. शुभांशु शेखर आचार्य)

अध्यक्ष

डीआईएन नं.: 06727939

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 27 सितंबर, 2024

बोर्ड की रिपोर्ट

प्रिय शेयरधारक,

आपके निदेशक वित्तीय वर्ष 2023–2024 के लिए कंपनी के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण के साथ बोर्ड की चौथी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्न हैं।

1. संचालन अवलोकन

एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड (एनवीसीएफएल) एनएसआईसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जिसे एसआरआई फंड को बढ़ावा देने के लिए 28 अगस्त, 2020 को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) कंपनी के रूप में शामिल किया गया था। आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) फंड एनवीसीएफएल की पहली योजना है।

एसआरआई फंड का उद्देश्य एमएसएमई को इक्विटी/इक्विटी जैसे वित्तपोषण में वृद्धि करने और एमएसएमई व्यवसायों के तीव्र विकास का समर्थन करने के लिए इक्विटी या अर्ध-इक्विटी के स्वरूप में विकास पूंजी के रूप में डॉटर फंड के माध्यम से एमएसएमई को वित्तपोषण की सहायता प्रदान करना है और इसके द्वारा अर्थव्यवस्था और रोजगार के अवसरों का निर्माण करना है।

एनवीसीएफएल भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (वैकल्पिक निवेश कोष) विनियम, 2012 ('विनियम') के तहत श्रेणी-II वैकल्पिक निवेश कोष के रूप में पंजीकृत है। 1 सितंबर 2021 को अपनी पहली योजना आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) फंड के लिए। एसआरआई फंड मदर/डॉटर फंड का एक संयोजन है। भारत सरकार एकमात्र एंकर निवेशक है और चरणबद्ध

तरीके से मदर फंड को 10,006 करोड़ रुपये की प्रारंभिक बजटीय सहायता प्रदान करती है।

एसआरआई फंड के लिए योगदान समझौते पर 12 अक्टूबर, 2021 को एंकर निवेशक (भारत सरकार), प्रायोजक (एनएसआईसी), एआईएफ कंपनी (एनवीसीएफएल) और निवेश प्रबंधक (एसबीआईसीएपी वेंचर्स लिमिटेड) के बीच हस्ताक्षर किए गए। अपनी स्थापना के बाद से 31 मार्च 2024 तक फंड इस प्रकार है:

विवरण		(रुपये) करोड़ में
डॉटर फंड के लिए प्रारंभिक आईसी अनुमोदन प्राप्त हुआ	65	रु. 8,055 करोड़
डॉटर फंड के लिए अंतिम आईसी अनुमोदन प्राप्त हुआ	57	रु. 6,725 करोड़
सूचीबद्ध डॉटर निधि	53	रु. 6,445 करोड़

31 मार्च 2024 तक कुल 53 सहायक निधियों को एसआरआई फंड (मदर फंड) के साथ सूचीबद्ध किया गया है और इन सहायक निधियों ने इन एमएसएमई में 7649 करोड़ रुपये के निवेश के माध्यम से 432 संभावित एमएसएमई को सहायता प्रदान की है, जिसमें से सहायक निधियों ने 31 मार्च 2024 तक एसआरआई फंड से 6,756 करोड़ रुपये। इन एमएसएमई की भारत के कम आय वाले राज्यों और आकांक्षी जिलों सहित पूरे भारत में उपस्थिति है। उन्होंने 1,00,000 से अधिक नौकरियाँ पैदा करने में मदद की है, जिनमें से -24% महिला रोजगार है।

वर्ष के दौरान फंड ने दीमापुर (नागालैंड, उत्तर पूर्वी भारत) और लखनऊ (उत्तर प्रदेश) में एमएसएमई इकाइयों को सशक्त बनाने के लिए आउटरीच कार्यक्रम और कार्यशाला का आयोजन किया था।



एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड (एनवीसीएफएल) ने 19.12.2023 को लखनऊ (उत्तर प्रदेश) में एनवीसीएफएल, एनएसआईसी, एसबीआईकैप्स वेंचर के वरिष्ठ अधिकारियों और केंद्र और राज्य सरकार के अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में एक आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) फंड आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया।

फंड ने पूरे भारत में विभिन्न एमएसएमई सम्मेलनों में भाग लिया है और एसआरआई फंड की विशेषताओं पर प्रकाश डाला है, जिसमें देहरादून (उत्तराखंड), राजकोट (गुजरात) और भुवनेश्वर (ओडिसा) शामिल हैं।

2. वित्तीय अवलोकन

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, कंपनी ने परिचालन से अपना राजस्व रु. 594.00 लाख और लाभ (कर से पहले) रु. 501.06 लाख।

पिछले वित्तीय वर्ष के साथ, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी के अंकेक्षित वित्तीय विवरणों का सारांश निम्नानुसार दिया गया है:-

(ईपीएस को छोड़कर रुपये लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष
1.	प्रचालनों से राजस्व	594.00	413.12
2.	अन्य आय	132.03	39.78
3.	व्यय	224.97	47.27
4.	कर पूर्व लाभ / (हानि)	501.06	405.63
5.	कर व्यय	126.37	101.97
6.	कर पश्चात लाभ / (हानि)	374.68	303.66
7.	कुल मूल्य	1,259.32	975.75
8.	प्रति शेयर आय (रुपयों में)	62.45	50.61

3. लाभांश

निदेशक मंडल ने 05 अगस्त, 2024 को हुई अपनी बैठक में सिफारिश की है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए रु. 112.40 लाख (पिछले वर्ष 91.10 लाख) (पीएटी का 30 प्रतिशत) के लाभांश की संस्तुति की है। अनुशासित लाभांश वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है।



एनवीसीएफएल के सीईओ श्री सरवण कुमार अनंथन ने एनएसआईसी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की उपस्थिति में डॉ. शुभांशु शेखर आचार्य, सीएमडी (एनएसआईसी) को वर्ष 2023-24 के लिए लाभांश चेक प्रदान किया। इस अवसर पर निदेशक (पीएंडएम) श्री कार्तिकेय सिन्हा, निदेशक (वित्त) श्री गौरव गुलाटी और कंपनी सचिव श्रीमती निष्ठा गोयल भी उपस्थित थे।

4. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (जे) के संदर्भ में आरक्षित निधि में स्थानांतरण

आपके निदेशक किसी भी राशि को आरक्षित निधि में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव नहीं करते हैं।

5. जमा राशि

आपकी कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 के अंतर्गत आने वाले नियमों के साथ पढ़ी गयी किसी भी जमा राशि को स्वीकार नहीं किया है।

6. व्यवसाय की प्रकृति में परिवर्तन

कंपनी के कारोबार की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

7. धारा 186 के अंतर्गत ऋण, गारंटी या निवेश के विवरण

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अंतर्गत, कोई ऋण नहीं दिया है या कोई गारंटी नहीं दी है या कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की है और/या कोई निवेश नहीं किया है। इसलिए उक्त प्रावधान लागू नहीं होते हैं। इसके अतिरिक्त, कंपनी द्वारा किए गए निवेश के विवरण नोट वर्ष 2023-24 के लिए अंकक्षित वित्तीय विवरणों के लेखों की टिप्पणियों में से टिप्पणी 7 में उल्लिखित किया गया है।

8. शेयर पूंजी

कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी रु. 10 करोड़ है और कंपनी की प्रदत्त (पेड-अप) शेयर पूंजी रु. 6 करोड़ रुपये है जिसे 100/- प्रत्येक के दर से 6,00,000 इक्विटी शेयरों में विभाजित किया गया है और संपूर्ण प्रदत्त शेयर पूंजी राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (धारक कंपनी) और उसके नामांकित व्यक्तियों ने अपने पास रोक रखा है।

9. प्रबंधक वर्ग की चर्चा और विश्लेषण

प्रबंधक वर्ग की चर्चा और विश्लेषण पर एक पृथक रिपोर्ट इस रिपोर्ट के "अनुबंध - क" के रूप में संलग्न है।

10. मानव संसाधन प्रबंधन

एनवीसीएफएल के वेतन निधि पर केवल एक कर्मचारी यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) है। इसके अलावा, होल्डिंग कंपनी यानी एनएसआईसी लिमिटेड ने कंपनी और एसआरआई फंड के परिचालन सुविधा और दिन-प्रतिदिन के मामलों के प्रबंधन के लिए अपने कुछ कर्मचारियों को पूर्णकालिक आधार पर तैनात किया है, जो पेशेवर हैं और वित्तीय विशेषज्ञता रखते हैं।

कंपनी ने निदेशकों या प्रबंधन या उनके रिश्तेदारों या कंपनियों और प्रतिष्ठानों आदि के साथ किसी भी सामग्री, वित्तीय या वाणिज्यिक लेनदेन नहीं किया है, जिसमें वे प्रत्यक्ष रूप से या अपने रिश्तेदारों के माध्यम से निदेशक और/या भागीदार के रूप में रुचि रखते हैं।

11. कर्मचारियों के विवरण

कंपनी का कोई भी कर्मचारी कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5(2) के अंतर्गत, निर्धारित सीमा से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त नहीं कर रहा था।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के प्रावधान और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होते हैं।

12. ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय और व्यय का संरक्षण

आपकी कंपनी में कोई निर्माण गतिविधि नहीं है, इसलिए ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और अवशोषण के संरक्षण पर कोई खर्च नहीं होता है। इसके अतिरिक्त, समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी की कोई विदेशी मुद्रा आय और व्यय के लेनदेन नहीं है।

13. संबंधित पक्षों के साथ किए गए अनुबंधों और व्यवस्थाओं के विवरण

वित्तीय वर्ष के दौरान, संबंधित पक्षों के साथ व्यव/लेन-देन व्यापार के सामान्य क्रम में और आमने-सामने बातचीत के आधार पर थे। कंपनी (लेखा) स्थापित नियम, 2014 के नियम 8(2) के अनुसार निर्धारित प्रपत्र एओसी-2 में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188(1) में संदर्भित संबंधित पार्टी लेनदेनों के रहस्योद्घाटन और अनुबंधों या व्यवस्थाओं के विवरण इस रिपोर्ट के लिए "अनुबंध – ख" के रूप में संलग्न हैं।

14. सांविधिक लेखापरीक्षक

(i) वैधानिक लेखा परीक्षक

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने मैसर्स के. प्रसाद एण्ड कंपनी चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सांविधिक लेखापरीक्षक नियुक्त किया है। वैधानिक लेखा परीक्षकों ने वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों पर अपनी रिपोर्ट दी है। इस प्रकार से, अंकेक्षित वित्तीय विवरण, नकदी प्रवाह का विवरण और आवश्यक अनुबंधों के साथ लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट वार्षिक रिपोर्ट का एक भाग है। कंपनी के वित्तीय विवरणों पर वैधानिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में कोई प्रतिकूल टिप्पणी, अवलोकन या आपत्ति नहीं है।

कंपनी के वित्तीय विवरणों पर वैधानिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में कोई प्रतिकूल टिप्पणियाँ, टिप्पणियाँ या आपत्तियाँ नहीं हैं।

(ii) सी एंड एजी ऑडिट

वित्तीय विवरण पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ रिपोर्ट का हिस्सा होंगी

15. आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली और उनकी पर्याप्तता

कंपनी के संचालनों को प्रभावशाली ढंग से नियंत्रित करने के लिए कंपनी आंतरिक नियंत्रण और प्रक्रियाओं की एक उपयुक्त प्रणाली बनाए रखती है। आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) फंड की निवेश प्रक्रिया को कुशल और पारदर्शी तरीके से और एमएसएमई मंत्रालय द्वारा जारी संचालनीय दिशानिर्देशों के पूर्ण अनुपालन में

लागू करने के लिए कंपनी के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) है। विवरण का उल्लेख रिपोर्ट के साथ संलग्न प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट में भी किया गया है।

16. वार्षिक विवरणी

अधिनियम की धारा 134(3)(ए) के साथ पठित धारा 92(3) के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी का वार्षिक रिटर्न कंपनी रजिस्ट्रार के पास दाखिल किया गया है। इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक रिटर्न का ड्राफ्ट कंपनी की वेबसाइट <https://www-nvcfl.co.in/AboutUs/AnnualReports> पर उपलब्ध है। कंपनी की वार्षिक आम बैठक के बाद, 31 मार्च, 2024 तक वार्षिक रिटर्न कंपनी रजिस्ट्रार के पास दाखिल किया जाएगा और इसे उसी वेबलिंग पर वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।

17. जोखिम प्रबंधन

कंपनी ने एसआरआई फंड (कंपनी की पहली योजना) से जुड़े जोखिमों की पहचान करने के लिए एक सुपरिभाषित जोखिम प्रबंधन नीति निर्धारित की है। वार्षिक रिपोर्ट में प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट में अधिक विवरण दिए गए हैं। कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीति को http://nvcfl.co.in/pdfs/Risk_Mgmt_Policy_30082022.pdf पर देखा जा सकता है।

18. निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान और आज तक निदेशक मंडल में निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं:-

क) डॉ. शुभांशु शेखर आचार्य को 2 मई, 2024 से श्री विपुल गोयल के स्थान पर एनवीसीएफएल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था।

ख) श्री गौरव गुलाटी को 14 जून 2023 से कंपनी के अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

ग) सुश्री मर्सी एपाओ 30 जून, 2023 तक अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाल रही थीं।

वर्ष 2023-24 के दौरान निदेशक मंडल की चार बैठकें आयोजित की गई थी। बैठकों का विवरण कॉरपोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में दिया गया है जो इस रिपोर्ट के "अनुबंध-ग" के रूप में संलग्न है।

19. निदेशकों का दायित्व संबंधी विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(ग) के अपेक्षाओं के अनुसरण में निदेशक मंडल इस बात की पुष्टि करता है कि:

- अनुसरण में 2023-24 वार्षिक लेखे तैयार करते समय, सारवान विपथनों से संबंधित उपयुक्त स्पष्टीकरणों के साथ-साथ लागू होने वाले लेखांकन मानकों का पालन किया गया है;
- निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया है और उनको लगातार लागू किया है और ऐसे निर्णय और आकलन किए हैं जो तर्कसंगत एवं विवेकपूर्ण हैं, ताकि वित्त वर्ष के अंत में कारपोरेशन की अद्यतन तथा उस अवधि में निगम के लाभ या हानि की सही और उचित तस्वीर प्रस्तुत की जा सके;
- निदेशक मंडल ने निगम की परिसंपत्तियों की रक्षा करने के लिए और कपट तथा अन्य अनियमितताओं का पता लगाने और उनकी रोकथाम करने के लिए इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकार्डों के रख-रखाव के लिए उपयुक्त और पर्याप्त सावधानी बरती है;

- वित्तीय विवरण, सतत कारोबार के आधार पर तैयार किए गए हैं;
- निदेशकों ने लागू होने वाले सभी कानूनों के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियाँ तैयार की और यह प्रणालियाँ पर्याप्त थीं और प्रभावी ढंग से कार्य कर रही हैं।

20. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान "सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (आरटीआई) के अंतर्गत कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

21. नियामकों / न्यायालयों / न्यायाधिकरणों द्वारा पारित महत्वपूर्ण और विशेष आदेश

कंपनी के खिलाफ नियामकों/अदालत/न्यायाधिकरणों द्वारा भविष्य में आपकी कंपनी की चालू प्रतिष्ठान की स्थिति और संचालन को प्रभावित करने वाला कोई आदेश पारित नहीं किया गया है।

22. कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले भौतिक परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं, यदि कोई हों, जो कंपनी के वित्तीय वर्ष के अंत के बीच हुई हैं, जिससे

वित्तीय विवरण संबंधित हैं और रिपोर्ट की तारीख

जिस वित्तीय वर्ष से ये वित्तीय विवरण संबंधित हैं उसकी समाप्ति और इस रिपोर्ट की तारीख के बीच कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाला कोई भी महत्वपूर्ण परिवर्तन या प्रतिबद्धता नहीं हुई।

23. आभार

एनवीसीएफएल एमएसएमई मंत्रालय, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड और सार्वजनिक उद्यम विभाग और अन्य सरकारी और नियामक एजेंसियों से प्राप्त बहुमूल्य समर्थन और मार्गदर्शन को स्वीकार करता है। कंपनी सांविधिक लेखा परीक्षकों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, निवेश प्रबंधक, कानूनी सलाहकार, बैंकों और कंपनी के सभी हितधारकों को उनके योगदान के लिए आभार व्यक्त करती है।

निदेशक एनएसआईसी लिमिटेड (होलडिंग कंपनी) को उनके निरंतर समर्थन और सहयोग के लिए भी धन्यवाद देते हैं। निदेशक कंपनी के स्थायी प्रदर्शन को सुनिश्चित करने में सभी कर्मचारियों की प्रतिबद्धता और समर्पण की ईमानदारी से सराहना करते हैं और उन्हें धन्यवाद देते हैं।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

ह./

(डॉ. शुभांशु शेखर आचार्य)

अध्यक्ष

डीआईएन नं.: 06727939

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 27 सितंबर, 2024

प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट

क.1 उद्योग संरचना और हालिया विकास

भारत की अर्थव्यवस्था ने अपने मजबूत मैक्रो-इकोनॉमिक फंडामेंटल्स और सरकार और आरबीआई की त्वरित नीति कार्रवाई के कारण वित्तीय वर्ष 2023-24 में अपनी विकास गति को बरकरार रखा है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत की वास्तविक जीडीपी में 8.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो वैश्विक बाधाओं और भू-राजनीतिक विकासों को पार करते हुए प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में घरेलू मांग में सुधार हुआ है और यह मजबूती से आगे बढ़ी है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था तिमाही उत्पादन के काफी करीब पहुंच गई है, अगर महामारी ने प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाला होता। मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने अपनी अप्रैल की बैठक में, भूराजनीतिक प्रतिकूल परिस्थितियों की चेतावनी देते हुए, चालू वित्तीय वर्ष में भारत की जीडीपी 7 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया। वित्त वर्ष 2025¹ की प्रत्येक तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था 7.1 प्रतिशत, 6.9 प्रतिशत, 7 प्रतिशत और 7 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी।

2024-25 के दौरान, अब तक, घरेलू आर्थिक गतिविधि ने लचीलापन बनाए रखा है। घरेलू मांग में मजबूती के कारण विनिर्माण गतिविधियों में तेजी जारी है। अप्रैल 2024 में 8 करोड़ प्रमुख

उद्योगों ने अच्छी वृद्धि दर्ज की। क्रय प्रबंधक सूचकांक, यानी विनिर्माण क्षेत्र में पीएमआई ने मई 2024 में मजबूती प्रदर्शित करना जारी रखा और यह वास्तव में विश्व स्तर पर सबसे अधिक है।

भारत में लगभग 6.3 करोड़ सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, मार्च 2024 तक, उदयम असिस्ट प्लेटफॉर्म (यूएपी) सहित उदयम पोर्टल पर पंजीकृत एमएसएमई की संख्या 4,00,42,875 तक पहुंच गई है, जिसमें निरंतर वृद्धि देखी गई है। इनमें से 3,93,18,355 को सूक्ष्म उद्यमों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो कुल का लगभग 97.7% है। छोटे उद्यमों की संख्या 6,08,935 है, जो लगभग 1.5% है, जबकि मध्यम आकार के उद्यमों की कुल संख्या 55,488 है, जो कुल पंजीकृत संस्थाओं का लगभग 0.8% है।²

एमएसएमई को ई-कॉमर्स साइट पर अपने उत्पादों का विपणन करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, विशेष रूप से सरकार के स्वामित्व वाले और संचालित सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जेम) के माध्यम से, जहां से मंत्रालय और पीएसयू (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) अपनी खरीद का स्रोत बनाते हैं। मार्च 2024 तक, सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जेम) पोर्टल ने रुपये के 5.8 मिलियन ऑर्डर दिए। 148,245 प्राथमिक खरीदारों और 215,743 माध्यमिक खरीदारों के साथ 3,87,006 करोड़ (US\$ 46.67 बिलियन)

¹स्रोत: पीआईबी आर्थिक सर्वेक्षण

²स्रोत: भारत में एमएसएमई उद्योग - बाजार हिस्सेदारी, रिपोर्ट, विकास और दायरा | आईबीईएफ

अंतरिम बजट 2024–2025 में यह स्थापना की घोषणा की गई थी। रुपये 1 लाख करोड़ (US\$11.99 बिलियन), 50-वर्षीय ब्याज-मुक्त ऋण की पेशकश इस पहल का उद्देश्य उभरते हुए क्षेत्रों में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र, विशेष रूप से एमएसएमई को प्रोत्साहित करना है।

अंतरिम बजट 2024, एमएसएमई के लिए रुपये 22,137.95 करोड़ (यूएस + 2.65 बिलियन) आवंटित करता है। उद्योग हितधारकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया के साथ, वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए नए समूहों और प्रौद्योगिकी केंद्रों पर जोर देते हुए।³

क.ii उद्योग क्षेत्र का महत्त्व (एमएसएमई)

एमएसएमई क्षेत्र, विनिर्माण और सेवाएँ दोनों, अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में एक प्रमुख योगदानकर्ता हैं। भारत की 6.3 करोड़ एमएसएमई संस्थाएँ निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी हैं⁴ –

- देश के कुल विनिर्माण उत्पादन का लगभग 40 प्रतिशत;
- सभी निर्यात का लगभग 42 प्रतिशत; तथा
- राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 33 प्रतिशत।

क.iii इस क्षेत्र में विकास

इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि घरेलू व्यापार को एक सुदृढ़ वित्तीय प्रोत्साहन की आवश्यकता है, जैसे कि भारत सरकार द्वारा एमएसएमई क्षेत्र में बड़े मूल्य के निवेश को वापस लाने की प्रत्याशा

में कई उपायों की घोषणा की गई। शुरू किए गए महत्वपूर्ण उपाय इस प्रकार हैं:

- स्टार्ट-अप इंडिया कार्यक्रम के तहत, सरकार ने XIV और XV वित्त आयोग की अवधि में स्टार्ट-अप के लिए फंडिंग सहायता प्रदान करने के लिए स्टार्ट-अप के लिए फंड ऑफ फंड्स (FFS) बनाया।

भारत सरकार ने एमएसएमई के लिए फंड ऑफ फंड्स स्कीम बनाई, ताकि विभिन्न प्रकार के फंडों को कम सेवा वाले एमएसएमई की ओर मोड़ा जा सके और व्यावहारिक एवं उच्च विकास वाले एमएसएमई की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। इस योजना को आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) फंड योजना का नाम दिया गया और इसे राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) द्वारा एक स्पेशल पर्पस व्हीकल अर्थात् एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड के माध्यम से प्रशासित किया जाना था।

एमएसएमई को विशेष रूप से सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जेएम) के माध्यम से अपने उत्पादों को ई-कॉमर्स साइट पर बेचने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

सरकार ने वित्त वर्ष 2023–24 के बजट में एमएसएमई क्षेत्र के लिए लगभग 22,140 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं जो पिछले वर्ष की तुलना में 42% की वृद्धि है। यह आवंटन एमएसएमई की मदद के लिए कई कर प्रोत्साहनों और सब्सिडी के साथ-साथ ऋण, प्रौद्योगिकी उन्नयन और बुनियादी ढांचे के विकास तक आसान और किफायती पहुंच प्रदान करने के लिए विभिन्न

³स्रोत: <https://www.indiabudget.gov.in/economicsurvey/>

⁴स्रोत: <https://www.forbes.com/advisor/in/business/msme-statistics/>

योजनाओं को लागू करने की दिशा में जाएगा।

ख. आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) फंड

आत्मनिर्भर भारत पैकेज के एक हिस्से के रूप में, वित्त मंत्री ने 2021-2022 के बजट भाषण में, एमएसएमई के लिए एक फंड ऑफ फंड योजना की घोषणा की थी, जिसे भारत सरकार द्वारा रुपये के योगदान के साथ वित्त पोषित किया जाएगा। 10,000 करोड़, और जिसे निजी भागीदारी के माध्यम से 5 गुना बढ़ाकर योजना के माध्यम से रु. 50,000 करोड़ की धनराशि जुटाई जानी थी।

एमएसएमई मंत्रालय (एमओएमएसएमई) को कार्यान्वयन मंत्रालय के रूप में नामित किया गया और आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) के रूप में नामित फंड ऑफ फंड को एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) के माध्यम से सहारा दिया जाना था। एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड (एनवीसीएफएल), एनएसआईसी की पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी, और कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) फंड को लागू करने के लिए निर्मित एक एसपीवी है।

“आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) फंड” एनवीसीएफएल की पहली योजना है जो 1 सितंबर, 2021 को श्रेणी-II वैकल्पिक निवेश फंड (एआईएफ) के रूप में भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) के साथ पंजीकृत है।

यह फंड इक्विटी, अर्ध-इक्विटी और ऋण के माध्यम से एमएसएमई को विकास पूंजी के रूप में आगे के प्रावधान के लिए डॉटर फंड को धनराशि की सहायता प्रदान करना है, जिसे सेबी के सम्बंधित दिशानिर्देशों के अंतर्गत अनुमति प्रदान की जा सकती है। एसआरआई फंड द्वारा डॉटर फंड को बैक-एंडेड आधार पर उपलब्ध

कराई गई धनराशि की प्रत्येक इकाई के लिए डॉटर फंड अपने स्वयं के स्रोतों से चार इकाई फंड जुटाएगा। इस प्रकार से, भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए रु. 10,000 करोड़ के कोष में वृद्धि करते हुए रु. 50,000 करोड़ की धनराशि एमएसएमई को सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी।

एसआरआई फंड के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

1. एमएसएमई को सेबी के सम्बंधित दिशानिर्देशों के अंतर्गत, प्राप्त अनुमति के अनुसार इक्विटी, अर्ध इक्विटी और ऋण वित्तपोषण में वृद्धि करना;
2. एमएसएमई के व्यवसायों में तीव्र वृद्धि को समर्थन प्रदान करना और इस प्रकार से अर्थव्यवस्था में जान फूँकना और रोजगार के अवसर पैदा करना;
3. ऐसे उद्यमों का समर्थन करना जिनमें एमएसएमई वर्ग से आगे निकल कर सक्षम होने और राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय चैंपियन बनने की क्षमता है; तथा
4. ऐसे एमएसएमई का समर्थन करना जो सम्बंधित प्रौद्योगिकियों, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करके भारत को आत्मनिर्भर बनाने में सहायता करते हैं।

ग. परिचालन और वित्तीय प्रदर्शन

12 अक्टूबर, 2021 को एंकर इन्वेस्टर (भारत सरकार), प्रायोजक (एनएसआईसी), एआईएफ कंपनी (एनवीसीएफएल) और निवेश प्रबंधक (एसबीआईसीएपी वेंचर्स लिमिटेड) के बीच एसआरआई फंड के लिए योगदान समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

एसआरआई फंड की स्थापना से लेकर 31 मार्च, 2024 तक की प्रगति इस प्रकार है:

	डॉटर फंड की संख्या	मूल्य
डॉटर फंड के लिए प्रारंभिक आईसी अनुमोदन प्राप्त हुआ	65	रु. 8,055 करोड़
डॉटर फंड के लिए प्राप्त अंतिम आईसी अनुमोदन	57	रु. 6,725 करोड़
पैनलबद्ध डॉटर फंड	53	रु. 6,445 करोड़

यह उल्लेख करना उचित है कि एआईएफ में फंड की तैनाती सूचीबद्ध डॉटर फंड द्वारा उठाई गई मांगों के अनुसार चरणों में होती है। डॉटर फंड्स ने 31 मार्च 2024 तक एसआरआई फंड से 1153 करोड़ रुपये निकालने का अनुरोध किया।

घ. मानव संसाधन में सामग्री विकास

एनवीसीएफएल द्वारा सीईओ की नियुक्ति के अलावा, होल्डिंग कंपनी यानी एनएसआईसी लिमिटेड ने कंपनी के परिचालन सुविधा और दिन-प्रतिदिन के मामलों के प्रबंधन के लिए अपने कुछ कर्मचारियों को अंशकालिक/पूर्णकालिक आधार पर तैनात किया है, जो पेशेवर हैं और वित्तीय विशेषज्ञता रखते हैं।

कंपनी ने निदेशकों या प्रबंधन या उनके रिश्तेदारों या कंपनियों और फर्मों आदि के साथ कोई भी भौतिक, वित्तीय या वाणिज्यिक लेनदेन नहीं किया है, जिसमें वे सीधे या अपने रिश्तेदारों के माध्यम से निदेशक और/या भागीदार के रूप में रुचि रखते हैं

ङ. जोखिम, चिंताएँ और खतरे

एनवीसीएफएल और इसके निवेश प्रबंधक ने एसआरआई फंड के लिए जोखिम के आकलन, निगरानी और प्रबंधन के लिए एक सुदृढ़ ढाँचे को अपनाया है। यह ढाँचा एक जोखिम मैट्रिक्स

प्रदान करता है जो किसी फंड के लिए जोखिम की सभी श्रेणियों, जोखिम के विवरण, प्रत्येक जोखिम के घटित होने की संभावना, परिणाम; यदि जोखिम वास्तव में घटित होता है, जोखिम रेटिंग, जोखिम शमन तंत्र और जोखिम की निगरानी की आवश्यकता को सूचीबद्ध करता है।

एसआरआई फंड के लिए निगरानी किए जाने वाले प्रमुख जोखिम हैं – प्रतिबद्धता जोखिम, वितरण जोखिम, पोर्टफोलियो जोखिम, पुनर्निवेश जोखिम, अनुपालन जोखिम, फंड स्तर पर एकाग्रता जोखिम, फंड स्तर पर विदेशी मुद्रा जोखिम, फंड और डॉटर फंड स्तर पर लीवरेज जोखिम, फंड और डॉटर फंड स्तर पर वसूली जोखिम, डॉटर फंड स्तर पर रणनीति जोखिम, डॉटर फंड स्तर पर प्रतिष्ठा जोखिम, फंड और डॉटर फंड स्तर पर पर्यावरणीय, सामाजिक और कॉर्पोरेट प्रशासन जोखिम।

एसआरआई फंड द्वारा डॉटर फंड के लिए प्रतिबद्ध राशि को पूर्ण राशि के रूप में और साथ ही डॉटर फंड द्वारा जुटाए जाने वाले लक्षित कोष के प्रतिशत के रूप में, जो भी कम हो, दोनों में व्यक्त किया जाता है। एक पैनलबद्ध डॉटर फंड के लक्षित कोष की राशि को बढ़ाने में असमर्थ होने की स्थिति में, गिरावट राशि प्रतिशत क्लॉज द्वारा बाधित हो जाएगी और तदनुसार, एसआरआई फंड से गिरावट कम होगी और यह पूर्ण रूप से व्यक्त की गई प्रतिबद्धता की राशि के बराबर नहीं हो सकती।

निवेश प्रबंधक और कानूनी सलाहकार के परामर्श से एनवीसीएफएल फंड के संचालन में उत्पन्न होने वाले जोखिमों को कम करने के लिए नियंत्रण के विभिन्न उपायों को अपना रहा है, जैसा कि नीचे सूचीबद्ध है:

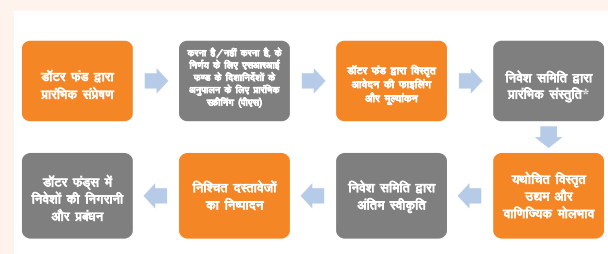
क) फंड के लिए एक व्यापक निवेश नीति अपनाई गई है;

- ख) डॉटर फंड में निवेश करने के लिए एक व्यापक निवेश प्रक्रिया को अनुमोदित किया गया है;
- ग) बोर्ड द्वारा एक विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) टेम्पलेट तैयार और अनुमोदित किया गया है, जिसके आधार पर विभिन्न पक्ष फंड के संबंध में अपनी भूमिका और उत्तरदायित्वों का निर्वहन करती हैं।
- घ) डॉटर फंड के मनोनयन के लिए पात्रता मापदंड बोर्ड द्वारा विकसित और अनुमोदित किया गया है;
- ङ) संचालन दिशानिर्देशों के अनुरूप प्रत्येक डॉटर फंड में अधिकतम एक्सपोजर की सीमा निर्धारित की गई है;
- च) जहाँ पर हितों के टकराव की सूचना मिलती है, वहाँ पर प्रस्तावों के लिए बोर्ड का अनुमोदन माँगा जाता है;
- छ) सीएजी द्वारा स्वतंत्र लेखापरीक्षक की नियुक्ति की गई है;
- ज) स्वतंत्र लेखा परीक्षक को बोर्ड को रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए। खरीद एनएसआईसी/एनवीसीएफएल की खरीद नीति (जैसा लागू हो) में उल्लिखित प्रक्रियाओं के माध्यम से की जानी चाहिए और विचलन, यदि कोई हो, तो बोर्ड को सूचित किया जाना चाहिए;
- झ) उचित कानूनी परामर्श लेकर संरचनागत जोखिमों को कम किया जाता है;
- ञ) विभिन्न जोखिमों को कवर करने वाली उपयुक्त बीमा पॉलिसियाँ लागू की जा रही हैं
- एसआरआई फंड में परिभाषित भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों के साथ, एसआरआई फंड

एडवाइजरी बोर्ड, एनवीसीएफएल बोर्ड और निवेश समिति (स्वतंत्र आईसी सदस्य सहित) की देखरेख में एक सुदृढ़ प्रशासन ढाँचा है। साथ ही, प्रत्येक डॉटर फंड, जैसा कि साइड लेटर के अंतर्गत आवश्यक है, अपनी निवेश प्राप्तकर्ता कंपनियों के लिए एक पर्यावरण, सामाजिक और प्रशासन मानकों ("ईएसजी") नीति/ढाँचे को विकसित करने और यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि वित्तीय जोखिम प्रबंधन और पर्यावरण एवं सामाजिक सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियाँ विद्यमान हैं। इसके अतिरिक्त, उन्हें किसी भी भौतिक उल्लंघन और भ्रष्टाचार विरोधी/धन-शोधन विरोधी, पर्यावरण, सामाजिक एवं व्यावसायिक प्रामाणिकता के पहलुओं पर रिपोर्ट करना आवश्यक है।

च. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उनकी पर्याप्तता

एसआरआई फंड अच्छी तरह से परिभाषित एक पारदर्शी निवेश प्रक्रिया का अनुसरण करता है जिसे विस्तृत एफएक्यू के एक भाग के रूप में एनवीसीएफएल और एसवीएल वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाता है। निवेश प्रक्रिया को नीचे दिए गए चित्र में दर्शाया गया है:



*हितों के टकराव के मामले में, ऐसे टकराव के लिए बोर्ड प्राधिकरण का पालन किया जाना चाहिए

स्वतंत्र पेशेवर एजेंसी द्वारा किए गए यथोचित विस्तृत उद्यम के निष्कर्षों पर विचार करने के

बाद निवेश समिति को अंतिम अनुमोदन प्रदान किया गया है – यथोचित विधिक उद्यम, यथोचित वित्तीय उद्यम और यथोचित कर उद्यम।

छ. दृष्टिकोण

एसआरआई फंड ने एसआरआई फंड से फंडिंग के लिए संभावित डॉटर फंड की एक मजबूत पाइपलाइन बनाई है। निधियों का परिनियोजन सहायक निधियों की निवेश अवधि के दौरान चरणों में होगा।

एसआरआई फंड स्तर (इसके योगदानकर्ताओं के लिए) और डॉटर फंड स्तर (एसआरआई फंड के लिए) पर विभिन्न रिपोर्टिंग आवश्यकताओं के साथ एक नया फंड प्लेटफॉर्म स्थापित किया गया है और वर्तमान में आईएम द्वारा संचालित सभी निवेश गतिविधियों और निगरानी को आईएम

द्वारा टेक प्लेटफॉर्म पर नियंत्रित किया जाता है।

इच्छित प्रभाव पैदा करने के लिए, एसआरआई फंड उपयुक्त उद्योग मंचों के साथ बातचीत करेगा और उनकी प्रतिक्रिया मांगेगा।

ज. सावधानीपूर्ण वक्तव्य

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण में कंपनी के उद्देश्यों, अनुमानों, अपेक्षाओं, अनुमानों का वर्णन करने वाले विवरण वर्तमान कारोबारी माहौल पर आधारित हैं। वास्तविक परिणाम सरकारी नीति निर्णयों और भविष्य के आर्थिक माहौल के आधार पर व्यक्त या निहित परिणामों से भिन्न हो सकते हैं। कंपनी बाद की घटनाओं या विकास के आधार पर ऐसे बयानों को संशोधित करने या संशोधित करने के लिए किसी भी तरह से कोई जिम्मेदारी नहीं लेती है।

ह. /

(डॉ. शुभांशु शेखर आचार्य)

अध्यक्ष

डीआईएन नं.: 06727939

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 27 सितंबर, 2024

फॉर्म - एओसी-2

वार्षिक अनुपालन से संबंधित पक्ष के लेनदेन

(अधिनियम की धारा 134 की उप-धारा (3) के खंड (एच) और कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8 (2) के अनुसार)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप-धारा (1) में संदर्भित संबंधित पक्षों के साथ कंपनी द्वारा किए गए अनुबंधों/व्यवस्थाओं के विवरण के प्रकटीकरण के लिए प्रपत्र जिसमें उनके प्रावधान के अंतर्गत, आमने-सामने के कुछ लेन-देन सम्मिलित हैं

1. अनुबंध या व्यवस्था या लेन-देन का विवरण जो हाथ की लंबाई के आधार पर नहीं है: वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी द्वारा किसी भी संबंधित पार्टी के साथ कोई सामग्री अनुबंध या व्यवस्था या लेनदेन दर्ज नहीं किया गया था।
2. वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, आमने-सामने संपन्न हुए भौतिक अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेन-देनों का विस्तृत विवरण:

क्र. सं.	संबंधित पक्ष का नाम और संबंध की प्रकृति	अनुबंधों/व्यवस्थाओं/लेनदेनों की प्रकृति	अनुबंधों/व्यवस्थाओं/लेनदेनों की अवधि	अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेनदेनों की मुख्य शर्तें; मूल्य सहित, यदि कोई हो:	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि, यदि कोई हो:	अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो:
1.	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (धारक कंपनी)	जनशक्ति समर्थन लागत, यात्रा, वाहन, स्टेशनरी, संचार आदि की प्रतिपूर्ति। (करों को छोड़कर)	जारी लेनदेन	जनशक्ति समर्थन लागत - रु. 110.33 लाख यात्रा, परिवहन, स्थिर संचार आदि - रु. 0.85 लाख (सभी राशियाँ वास्तविक आधार पर)	-	-
2.	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (धारक कंपनी)	एनएसआईसी को भुगतान किया गया किराया (करों को छोड़कर)		किराया : 17.07 लाख		

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 27 सितंबर, 2024

ह./
(डॉ. शुभांशु शेखर आचार्य)
अध्यक्ष
डीआईएन नं.: 06727939

कॉर्पोरेट प्रशासन पर रिपोर्ट

एनवीसीएफएल हमेशा कॉरपोरेट गवर्नेंस की सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन करने के लिए समर्पित है। एनवीसीएफएल अपनी पहली योजना यानी आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) फंड के माध्यम से इक्विटी/अर्ध-इक्विटी/इक्विटी जैसे संरचित उपकरणों के माध्यम से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को विकास पूंजी प्रदान कर रहा है। सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर जारी दिशानिर्देशों की आवश्यकताओं के अनुरूप एक रिपोर्ट निदेशक की रिपोर्ट के एक भाग के रूप में नीचे दी गई है, साथ ही अनुपालन के संबंध में एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव द्वारा जारी प्रमाण पत्र भी दिया गया है। कॉर्पोरेट प्रशासन के प्रावधान।

1. निदेशक मंडल

एनवीसीएफएल राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एनएसआईसी) की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। एसआरआई फंड योजना एनवीसीएफएल की पहली योजना है। एमएसएमई मंत्रालय द्वारा अनुमोदित आत्मनिर्भर भारत निधि दिशानिर्देशों के अनुसार, कंपनी के पास एक स्वतंत्र बोर्ड होगा जिसमें सीएमडी एनएसआईसी इसके अध्यक्ष, दो सरकारी नामित निदेशक, एक एनएसआईसी नामित निदेशक और एक पेशेवर सीईओ होंगे।

31 मार्च, 2024 को बोर्ड में निम्नलिखित निदेशक शामिल थे:

क्र. सं.	निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन)	निदेशक का नाम	पदनाम
1	10229523	श्री विपुल गोयल*	अध्यक्ष
2	09331424	सुश्री मर्सी इपाओ**	अध्यक्ष

3	09661006	डॉ. इशिता गांगुली त्रिपाठी	निदेशक
4	06789077	श्री अतीश कुमार सिंह	निदेशक
5	10144109	श्री गौरव गुलाटी***	निदेशक
6	09769378	श्री सरवण कुमार अण्ठन	निदेशक एण्ड सीईओ

**श्री विपुल गोयल 1 जुलाई, 2023 से 1 मई, 2024 तक कंपनी के अध्यक्ष का कार्यभार संभाल रहे थे।

**सुश्री मर्सी इपाओ 30 जून, 2023 तक कंपनी के अध्यक्ष का कार्यभार संभाल रही थीं।

***श्री गौरव गुलाटी दिनांक 14 जून 2023 से कंपनी के बोर्ड में हैं।

एसआरआई दिशानिर्देशों के संदर्भ में, डॉ. शुभ्रांशु आचार्य को 2 मई, 2024 से कंपनी के पदेन अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है।

2. निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान और आज तक निदेशक मंडल में निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं:-

क) डॉ. शुभ्रांशु शेखर आचार्य को 2 मई, 2024 से श्री विपुल गोयल के स्थान पर एनवीसीएफएल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है।

ख) श्री गौरव गुलाटी को 14 जून 2023 से कंपनी के अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

ग) सुश्री मर्सी इपाओ 30 जून, 2023 तक अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाल रही थीं।

3. बोर्ड के बैठकों की संख्या, बोर्ड की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी के निदेशक मंडल की चार (4) बैठकें आयोजित की गईं।

(i) 14 जून, 2023, (ii) 28 अगस्त, 2023, (iii) 11 दिसंबर, 2023, (iv) 19 मार्च, 2024.

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, निदेशक मंडल की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति और निदेशकों द्वारा आयोजित अन्य निदेशकों की संख्या का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	बोर्ड बैठक			31 मार्च, 2024 तक अन्य निदेशकों की संख्या (एनवीसीएफएल के अतिरिक्त)
		कार्यकाल के दौरान आयोजित	बोर्ड की बैठकों की संख्या जिसमें भाग लिया गया	11/12/2023 को आयोजित एजीएम में उपस्थिति	
1.	श्री विपुल गोयल	3	3	हां	सीएमडी एनएसआईसी, का अतिरिक्त प्रभार
2.	सुश्री मर्सी इपाओ	1	1	लागू नहीं	एनएसआईसी, डीएसआईआईडीसी और आईटीपीओ
3.	डॉ. इशिता जी. त्रिपाठी	4	4	हां	वैश्विक नवप्रवर्तन एवं प्रौद्योगिकी गठबंधन (जीआईटीए)
4.	श्री अतीश कुमार सिंह, निदेशक	4	4	हां	ओएनडीसी
5.	श्री सरवण कुमार अण्णथन	4	4	हां	शून्य
6.	श्री गौरव गुलाटी	4	4	हां	एनएसआईसी

4. निदेशकों का पारिश्रमिक

श्री सरवण कुमार अण्णथन को छोड़कर सभी निदेशक कंपनी से किसी भी पारिश्रमिक के हकदार नहीं हैं, क्योंकि वे होल्डिंग कंपनी में

अपने पदेन पदों के अनुसार निदेशक पद संभाल रहे हैं और/या एमएसएमई मंत्रालय द्वारा नामित हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान भुगतान किये गये पारिश्रमिक का विवरण इस प्रकार है:-

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री सरवण कुमार अण्णथन दिनांक 01.04.2023 से 31.03.2024 (लाख रुपये में)
1	सकल वेतन (आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार)	39.59
2	भंडार विकल्प	-
3	उद्यम इक्विटी	-
4	लाभ के % के रूप में कमीशननय अन्य (निर्दिष्ट करें)	-
5	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें (नियोक्ता पीएफ और पेंशन पर निर्भर है)	18.97
	कुल	58.56

5. लेखा परीक्षा समिति की बैठक

यह कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट किसी भी मापदंड के अंतर्गत नहीं आती है, इसके लिए एक लेखा परीक्षा समिति के गठन की कोई आवश्यकता नहीं है।

6. कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)

चूंकि, कंपनी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट किसी भी मापदंड के अंतर्गत नहीं आती है, इसलिए कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व ("सीएसआर") समिति का गठन करने की आवश्यकता नहीं है।

7. संबंधित पक्षकारों के साथ अनुबंधों और व्यवस्थाओं का विवरण

वित्तीय वर्ष के दौरान, संबंधित पक्षों के साथ व्यवस्थाएँ/लेन-देन व्यापार के सामान्य क्रम में और आमने-सामने के आधार पर थे। कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(2) के अनुसार निर्धारित प्रपत्र एओसी-2 में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188(1) में संदर्भित संबंधित पक्ष के लेनदेनों और अनुबंधों या व्यवस्थाओं के प्रकटीकरण बोर्ड की रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

8. सामान्य निकाय की बैठक

कंपनी के गठन के बाद से आयोजित कंपनी की वार्षिक आम बैठकों का विवरण इस प्रकार है:

वित्तीय वर्ष	तारीख	समय	कार्यक्रम का स्थान	विशेष व्यवसाय (यदि कोई हो)
2022-23	11 / 12 / 2023	दोपहर: 03.00 बजे	कंपनी का पंजीकृत कार्यालय	क) कंपनी के निदेशक के रूप में अतिरिक्त निदेशक, श्री विपुल गोयल, (डीआईएन-10229523) का नियमितीकरण ख) कंपनी के निदेशक के रूप में अतिरिक्त निदेशक, श्री गौरव गुलाटी (डीआईएन नंबर 10144109) का नियमितीकरण
2021-22	16 / 12 / 2022	प्रातः 11.00 बजे		क) कंपनी के निदेशक के रूप में अतिरिक्त निदेशक, डॉ. इशिता जी. त्रिपाठी (डीआईएन-09661006) का नियमितीकरण। ख) कंपनी के निदेशक के रूप में अतिरिक्त निदेशक, श्री सरवनकुमार अनंत (डीआईएन नंबर 09769378) का नियमितीकरण।
2020-21	26 / 11 / 2021	प्रातः 11.00 बजे		कंपनी के निदेशक के रूप में अतिरिक्त निदेशक, सुश्री अलका नांगिया अरोड़ा (डीआईएन - 03165567) का नियमितीकरण।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान सदस्यों की कोई असाधारण आम बैठक आयोजित नहीं की गई।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक आम बैठक 27 सितंबर, 2024 को आयोजित की जाएगी।

9. आचार संहिता

डीपीई द्वारा जारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों के अनुसार, कंपनी ने बोर्ड के सदस्यों, प्रमुख प्रबंधन कर्मियों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के लिए “आचार संहिता” जारी की है। कोड की एक प्रति कंपनी की वेबसाइट पर भी पोस्ट की गई है। जैसा कि आचार संहिता में उल्लेख किया गया है और बोर्ड के सदस्यों, केएमपी और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों से प्राप्त पुष्टि के आधार पर, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक द्वारा की गई आचार संहिता के अनुपालन के संबंध में एक घोषणा इस रिपोर्ट के अनुबंध-I के रूप में संलग्न है।

10. कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशानिर्देशों की आवश्यकताओं के अनुपालन का विवरण।

सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशानिर्देशों की आवश्यकताओं का कंपनी द्वारा

विधिवत अनुपालन किया गया है। इस संबंध में मैसर्स कुमार वाधवा एंड कंपनी से एक प्रमाण पत्र। प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव, कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित शर्तों के अनुपालन की पुष्टि इस रिपोर्ट में “अनुलग्नक-II” के रूप में संलग्न हैं।

11. कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं

इस रिपोर्ट में प्रकटीकरण यदि कोई हो के अलावा, कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले ऐसे कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं नहीं हैं, जो कंपनी के उस वित्तीय वर्ष के अंत, जिनसे वित्तीय विवरण संबंधित हैं और जिस तारीख की यह रिपोर्ट है, के बीच हुई हों।

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 27 सितंबर, 2024

ह./
(डॉ. शुभांशु शेखर आचार्य)
अध्यक्ष
डीआईएन नं.: 06727939



अनुबंध-।

डीपीई के दिशानिर्देशों के तहत आवश्यक घोषणा निगम से संबंधित शासन प्रणाली

“बोर्ड के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक ने इसके अनुपालन की पुष्टि की है। वित्तीय वर्ष के लिए “बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता” 31 मार्च 2024 को समाप्त हो गई।

ह./—

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 11 सितंबर, 2024

कॉरपोरेट सुशासन अनुपालन प्रमाण-पत्र

सेवा में,

सदस्यगण

एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड

रजि. पता: एनएसआईसी, ओखला इंडस्ट्रीयल एस्टेट फेज-III

नई दिल्ली-110020

हमने, भारी उद्योग और सरकारी उद्यम मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए केंद्र सरकारी क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसईज) के लिए कॉरपोरेट सुशासन संबंधी दिशानिर्देशों में उल्लिखित, 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के संबंध में **एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड**, सीआईएन: U65990DL2020G0I368828 के कॉरपोरेट सुशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम सूचना के अनुसार तथा प्रबंधकवर्ग द्वारा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने उक्त दिशानिर्देशों में उल्लिखित कॉरपोरेट सुशासन की शर्तों का अनुपालन किया है।

कॉरपोरेट सुशासन प्रणाली की शर्तों का अनुपालन करना प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच, भारी उद्योग और सरकारी उद्यम मंत्रालय, सरकारी उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए केंद्र सरकारी क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसईज) के लिए कॉरपोरेट सुशासन संबंधी दिशानिर्देशों में उल्लिखित कॉरपोरेट सुशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अंगीकृत प्रक्रियाओं और उनके कार्यान्वयन की समीक्षा करने तक सीमित थी। यह न तो कंपनी के वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षा है और न ही इन पर राय की कोई अभिव्यक्ति।

हम यह भी उल्लेख करते हैं कि इस प्रकार का अनुपालन, न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता के बारे में या उस दक्षता या प्रभावकारिता के बारे में कोई आश्वासन है, जिससे प्रबंधक वर्ग ने कंपनी के कारोबार का संचालन किया है।

कृते कुमार वाघवा एण्ड कंपनी
कंपनी सचिव

(संजय कुमार)

प्रबंधन साझेदार

सदस्यता सं.: 9211

सी.ओ.पी.सं.: 7027

यूडीआईएन: एफ009211एफ00905821

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 06 अगस्त, 2024

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,

सदस्य

एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड

वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा पर रिपोर्ट

अभिमत

हमने, एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड ('कंपनी') के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2024 को यथास्थिति तुलन-पत्र और उसी तिथि को समाप्त लाभ एवं हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन विवरण और नकदी प्रवाह विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों सहित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ और ऐसी अन्य व्याख्यात्मक सूचना शामिल हैं। ('वित्तीय विवरण')।

हमारे अभिमत में और हमारी सर्वोत्तम सूचना के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपर्युक्त उक्त वित्तीय विवरण, यथा अपेक्षित तरीके से, कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') द्वारा अपेक्षित सूचना देते हैं और 31 मार्च, 2024 को यथास्थिति निगम के कारोबार की, उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय, सहित इसकी हानियों इक्विटी में परिवर्तन तथा इसके नकदी प्रवाह की, भारत में आमतौर पर स्वीकार किए गए अन्य लेखांकन मानकों के अनुरूप सच्ची और सही तस्वीर प्रस्तुत करते हैं।

मूल अभिमत

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानक (एसए) के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है। उन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारियों को आगे हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारियाँ में वर्णित हैं। हम, नैतिकता अपेक्षाओं, जो अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के उपबंधों के अंतर्गत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा से सुसंगत हैं, के साथ-साथ भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी की गई नैतिकता संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं और हमने इन अपेक्षाओं और नैतिकता संहिता के अनुसार

अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियाँ पूरी की हैं। हम विश्वास करते हैं कि जो लेखापरीक्षा साक्ष्य हमने प्राप्त किया है, वह हमारी मूल अभिमत उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त और समुचित है।

महत्वपूर्ण विषय

हम वित्तीय विवरणों के नोट-26(4) की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं जो एसआरआई फंड की स्थापना के आसपास के तथ्यों की व्याख्या करता है, जो कंपनी द्वारा शुरू की गई एक एआईएफ योजना है और एक स्वतंत्र वित्तीय लेखापरीक्षा के अधीन एक अलग इकाई है।

उपर्युक्त मामले के संबंध में हमारा अभिमत सीमित नहीं है।

वित्तीय विवरणों और उन पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अलावा सूचना

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचना तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। अन्य सूचना में, बोर्ड रिपोर्ट के अनुबंधों सहित बोर्ड रिपोर्ट में शामिल की गई सूचना शामिल है परंतु इसमें वित्तीय विवरण और उन पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट शामिल नहीं है।

वित्तीय विवरणों पर हमारे अभिमत में अन्य सूचना शामिल नहीं की गई है और हम उस पर किसी भी रूप में कोई आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी, ऊपर पहचान की गई अन्य सूचना को पढ़ना है और ऐसा करने में, यह विचार करना कि क्या अन्य सूचना वित्तीय विवरणों के या लेखापरीक्षा में प्राप्त की गई हमारी जानकारी के साथ सारवान रूप से असंगत है या अन्यथा सारवान रूप से गलत विवरण देने के रूप में प्रतीत होती है।

यदि जो कार्य हमने किया है, यदि उसके आधार पर हम यह निष्कर्ष देते हैं कि इस अन्य सूचना का कोई सारवान मिथ्या विवरण है तो हमारे लिए उस तथ्य की सूचना देना आवश्यक है। इस संबंध में हमें कुछ भी सूचित नहीं करना है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारियाँ

ये वित्तीय विवरण, जो अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों सहित भारत में आमतौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्य-निष्पादन, की सही और सच्ची तस्वीर प्रस्तुत करते हैं, तैयार करने के संबंध में कंपनी अधिनियम की धारा 134(5) में उल्लिखित मामलों के लिए कंपनी का निदेशक मंडल जिम्मेदार है। इस जिम्मेदारी में कंपनी की परिसंपत्तियों की रक्षा करने के लिए और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमिताओं का पता लगाने और उनकी रोकथाम के लिए, समुचित लेखांकन नीतियों के चयन और अनुप्रयोग ऐसे निर्णय लेने और अनुमान लगाने, जो तर्कसंगत और विवेकपूर्ण हों, ऐसे उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के डिजाइन, कार्यान्वयन तथा अनुरक्षण, जो वित्तीय विवरण तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए सुसंगत लेखांकन रिकार्डों की परिशुद्धता और परिपूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रचालनरत हों, जो सच्ची और सही तस्वीर प्रस्तुत करते हों और सारवान मिथ्याकथन, चाहे धोखाधड़ी के कारण या गलती के कारण, से मुक्त हों, अधिनियम के उपबंधों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकार्ड का रखरखाव भी शामिल है।

वित्तीय विवरण तैयार करने में, प्रबंधन एक चलते रहने वाले प्रतिष्ठान के रूप में जारी रखे जाने की कंपनी की योग्यता का मूल्यांकन करने, चलते रहने वाले प्रतिष्ठान से संबंधित मामलों के प्रकटीकरण, जैसा लागू हो और लेखांकन के चलते रहने वाले आधार का उपयोग करने, जब तक प्रबंधन के परिसमापन करने की या प्रचालन बंद करने की मंशा न रखे या उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई अन्य वास्तविक विकल्प न हो, के लिए भी जिम्मेदार है।

यह निदेशक मंडल, कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी करने के लिए भी जिम्मेदार है।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारियाँ

हमारे उद्देश्य, इस बारे में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या पूरे वित्तीय विवरण, सारवान मिथ्याकथन से मुक्त हैं, चाहे वे धोखाधड़ी के कारण हों या गलती

के कारण और लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी करना है, जिसमें हमारा अभिमत शामिल हो। तर्कसंगत आश्वासन, आश्वासन का एक उच्च स्तर है परंतु यह गारंटी नहीं है कि लेखांकन मानकों के अनुसार की गई लेखापरीक्षा, सदैव किसी सारवान मिथ्या कथन का पता लगा लेगी, जब यह मौजूद हो। मिथ्या कथन, धोखाधड़ी या गलती से उत्पन्न हो सकता है और उसे सारवान तभी माना जाता है यदि अलग-अलग या स्वीकृत रूप से उनसे, इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक विषयों को प्रभावित करने की संभावना हो।

लेखांकन मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम व्यावसायिक निर्णय का उपयोग करते हैं और पूरी लेखापरीक्षा के दौरान व्यावसायिक संदेह बनाए रखते हैं। हम निम्नलिखित भी करते हैं:

- वित्तीय विवरणों के सारवान मिथ्या कथन के जोखिमों की पहचान करना और उनका मूल्यांकन करना, चाहे वे धोखाधड़ी के कारण हों या गलती के कारण और, इन जोखिमों के प्रति लेखापरीक्षा प्रक्रियाएँ तैयार करना और लागू करना तथा ऐसे लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना, जो हमारे अभिमत के लिए एक आधार उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त और समुचित है। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप किसी सारवान मिथ्या कथन का पता न लगाए जाने का जोखिम गलती के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम की तुलना में उच्चतर होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर की गई चूकें, मिथ्य निरूपण या आंतरिक नियंत्रणों का अधिक्रमण शामिल हो सकता है।
- ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाएँ तैयार करने की दृष्टि से, जो परिस्थितियों में समुचित हों, लेखापरीक्षा से सुसंगत आंतरिक नियंत्रण की समझबूझ प्राप्त करना। कंपनी अधिनियम की धारा 143 (3)(i) के अंतर्गत, हम इस पर भी अपना अभिमत व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं कि क्या निगम के पास वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और उन नियंत्रणों का प्रचालनरत प्रभावीपन मौजूद हैं।
- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन अनुमानों तथा प्रबंधन द्वारा किए गए

संबंधित प्रकटीकरणों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करना।

- लेखांकन के चल रहे प्रतिष्ठान आधार के प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष देना और प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर यह पता लगाना कि क्या घटनाओं या शर्तों से संबंधित कोई सारवान अनिश्चितता मौजूद है, जो चल रहे प्रतिष्ठान के रूप में जारी रखे जाने की निगम की योग्यता पर महत्वपूर्ण संदेह उत्पन्न कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई सारवान अनिश्चितता मौजूद है तो हमारे लिए यह आवश्यक होगा कि हम अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में, वित्तीय विवरणों में संबंधित विगोपनों की ओर ध्यान आकर्षित करें या यदि ये प्रकटीकरण हमारा अभिमत संशोधित करने के लिए अपर्याप्त हैं। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। तथापि, भावी घटनाएँ या स्थितियाँ निगम के लिए चल रहे प्रतिष्ठान के रूप में जारी न रहने का कारण बन सकती हैं।
- प्रकटीकरणों सहित वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतिकरण, संरचना और विषय-वस्तु का मूल्यांकन करना और क्या वित्तीय विवरण, किसी ऐसे तरीके से, जो उचित प्रस्तुतिकरण प्राप्त करता है, से अंतर्निहित लेन-देनों और घटनाओं को प्रदर्शित कर रहा है।

भौतिकता वित्तीय विवरणों में गलत बयानों की भयावहता है, जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, यह संभव बनाती है कि वित्तीय विवरणों के एक उचित जानकारी उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। (i) हम अपने ऑडिट कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं और (ii) वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचाने गए गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करना।

हम अन्य मामलों के साथ-साथ लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय तथा आंतरिक नियंत्रण में किसी महत्वपूर्ण कमी, जिसका पता हम अपनी लेखापरीक्षा के दौरान लगाते हैं, सहित सारवान लेखापरीक्षा निष्कर्षों

के संबंध में अभिशासन के प्रभार वाले व्यक्तियों के साथ पत्र-व्यवहार करते हैं।

हम अभिशासन के प्रभार वाले व्यक्तियों को एक विवरण भी उपलब्ध कराते हैं, जो हमने स्वतंत्रता के संबंध में सुसंगत नैतिक अपेक्षाओं के साथ संकलित किया है और उनके साथ पत्र व्यवहार करने के लिए सभी संबंध और अन्य मामले, जो हमारी स्वतंत्रता के संबंध में तर्क संगत समझे जाते हैं और जहाँ लागू हों, संबंधित रक्षोपाय भी उपलब्ध कराते हैं।

शासन के प्रभारी लोगों के साथ संचारित मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों के ऑडिट में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख ऑडिट मामले हैं। हम अपने ऑडिटर की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकता नहीं है या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणाम उचित रूप से अपेक्षित होंगे। ऐसे संचार के जनहित लाभ कहीं अधिक हैं।

अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

- जैसाकि अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (11) के अनुसार भारत सरकार द्वारा जारी किए गए कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ('आदेश') द्वारा अपेक्षित है, हम उक्त आदेश के पैरा 3 और 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर लागू सीमा तक एक विवरण "अनुबंध-क" देते हैं।
- जैसा कि अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा अपेक्षित है, हम लागू सीमा तक यह सूचित करते हैं कि:
 - (क) हमने वे सभी सूचनाएँ और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन से आवश्यक थे।
 - (ख) हमारे अभिमत में कंपनी ने कानून द्वारा यथा अपेक्षित उचित लेखा-बहियाँ रखी गई हैं, जैसाकि लेखा-बहियों की जांच करने से हमें पता चला है।

- (ग) इस रिपोर्ट से संबंधित अन्य व्यापक आय सहित तुलन-पत्र, लाभ और हानि विवरण इक्विटी में परिवर्तन विवरण नकद प्रवाह विवरण लेखा बहियों से मेल खाते हैं।
- (घ) 'हमारे अभिमत में, वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानक (Ind AS), जैसा भी लागू हो, का अनुपालन करते हैं।
- (ङ) कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना संख्या सा. का. नि. (जीएसआर) 463 (ई) दिनांक 5 जून 2015 के अनुसार, इस अधिनियम की धारा 164(2) के प्रावधान इस कंपनी पर लागू नहीं होते हैं, क्योंकि यह एक सरकारी कंपनी है।
- (च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों के प्रचालनात्मक प्रभावीपन के संबंध में अनुबंध-ख के रूप में हमारी पृथक रिपोर्ट देखें;
- (छ) कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी की गई दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना सं. जीएसआर 463 (ई) के अनुसार, अधिनियम की धारा 197 के उपबंध, एक सरकारी कंपनी होने के कारण, इस कंपनी पर लागू नहीं होते।
- (ज) अधिनियम की धारा 143(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार रिपोर्ट के संबंध में, अनुबंध-ग में हमारी पृथक रिपोर्ट का संदर्भ लें;
- (झ) कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षकों) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारे अभिमत में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार:
- I. कंपनी में कोई ऐसे लंबित मुकदमे नहीं हैं जिनका वित्तीय स्थिति पर प्रभाव होगा।
 - II. कंपनी के पास व्युत्पत्ति संविदाओं सहित कोई ऐसी दीर्घावधि संविदा नहीं था, जिनके लिए कोई महत्वपूर्ण अनुमानित हानियाँ थी।
 - III. कोई ऐसी राशियाँ नहीं थीं, जिन्हें कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरित किया जाना अपेक्षित था।
 - IV. पिछले वर्ष के लिए घोषित लाभांश के संबंध में कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान भुगतान किया गया अंतिम लाभांश कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 123 के अनुसार है, यह लाभांश के भुगतान पर लागू होता है।
जैसा कि वित्तीय विवरणों के नोट 26—(13) में कहा गया है, कंपनी के निदेशक मंडल ने 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए अंतिम लाभांश का प्रस्ताव दिया है जो आगामी वार्षिक आम बैठक में सदस्यों के अनुमोदन के अधीन है। घोषित लाभांश अधिनियम की धारा 123 के अनुसार है, यह लाभांश की घोषणा पर लागू होता है।
 - V. (क) प्रबंधन ने दर्शाया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार (जैसा कि वित्तीय विवरणों के नोट 26 (16 (एफ) (क)) में बताया गया है), कोई फंड नहीं (जो व्यक्तिगत रूप से या व्यक्तिगत रूप से महत्वपूर्ण हैं) कुल मिलाकर) कंपनी द्वारा विदेशी संस्था ("मध्यस्थ") सहित किसी अन्य व्यक्ति या इकाई को अग्रिम या ऋण या निवेश (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार के फंड से) किया गया है। यह समझ, चाहे लिखित रूप में या अन्यथा दर्ज की गई हो, कि मध्यस्थ, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कंपनी की ओर से या उसकी ओर से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं ("अंतिम लाभार्थी") को किसी भी तरीके से उधार देगा या निवेश करेगा

या कोई गारंटी प्रदान करेगा। अंतिम लाभार्थियों की ओर से सुरक्षा या ऐसा ही कुछ।

(ख) प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, (जैसा कि वित्तीय विवरणों के नोट 26 (16 (एफ) (ख) में बताया गया है), कोई फंड नहीं है (जो व्यक्तिगत रूप से या व्यक्तिगत रूप से महत्वपूर्ण हैं) कुल मिलाकर) कंपनी को किसी भी व्यक्ति या इकाई से, जिसमें विदेशी इकाई ("फंडिंग पार्टियां") शामिल हैं, इस समझ के साथ प्राप्त हुई हैं, चाहे लिखित रूप में दर्ज की गई हो या अन्यथा, कि कंपनी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, उधार देगी या निवेश करेगी। फंडिंग पार्टी ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही चीज प्रदान करना।

(ग) ऑडिट प्रक्रियाओं के आधार पर जिन्हें परिस्थितियों में उचित और उचित माना गया है, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी

नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि नियम 11(ई) के उप-खंड (i) और (ii) के तहत अभ्यावेदन जैसा कि ऊपर (क) और (ख) के तहत दिया गया है, इसमें कोई महत्वपूर्ण गलत बयान शामिल है।

VI. हमारी जांच के आधार पर जिसमें परीक्षण जांच भी शामिल है, कंपनी ने अपने खाते की पुस्तकों को बनाए रखने के लिए एक लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है जिसमें ऑडिट ट्रेल (लॉग संपादित करें) सुविधा को रिकॉर्ड करने की सुविधा है और यह रिकॉर्ड किए गए सभी प्रासंगिक लेनदेन के लिए पूरे वर्ष सॉफ्टवेयर द्वारा संचालित होता है। इसके अलावा, हमारे ऑडिट के दौरान हमें ऑडिट ट्रेल फीचर के साथ छेड़छाड़ का कोई उदाहरण नहीं मिला।

कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 3(1) के परंतुक के रूप में, जैसा कि संशोधित किया गया है, 1 अप्रैल 2023, इसलिए, रिकॉर्ड प्रतिधारण के लिए वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार ऑडिट ट्रेल के संरक्षण पर संशोधित कंपनी (ऑडिट और ऑडिटर) नियम, 2014 के नियम 11 (जी) के तहत रिपोर्टिंग 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लागू नहीं है।

के. प्रसाद एण्ड कंपनी के लिए

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण सं.: 002755एन

आर एस गुप्ता

साझेदार

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 05.08.2024

सदस्यता सं. : 072666
यूडीआईएन: 24072666बीकेसीएनएसयू3718

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के सदस्यों को वित्तीय विवरणों पर हमारे स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में संदर्भित अनुबंध क

उपर्युक्त वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 पर रिपोर्ट

- | | |
|--|--|
| <p>(i) कंपनी की संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्तियों के संबंध में:</p> <p>(क) कंपनी ने संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।</p> <p>(ख) कंपनी ने अमूर्त संपत्तियों का पूरा विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है;</p> <p>(ख) वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का भौतिक सत्यापन किया गया है और बताया गया है कि ऐसे सत्यापन में कोई भौतिक विसंगतियां नहीं पाई गई हैं।</p> <p>(ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी के पास कोई अचल संपत्ति नहीं है, इसलिए खंड (i) (ग) कंपनी पर लागू नहीं होता है।</p> <p>(घ) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण या अमूर्त परिसंपत्तियों या दोनों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है, इसलिए खंड (i) (क) कंपनी पर लागू नहीं होता है।</p> <p>(ङ) बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के विरुद्ध कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित</p> | <p>नहीं है, इसलिए खंड (i) (ङ) कंपनी पर लागू नहीं होता है।</p> <p>(ii) (क) कंपनी के व्यवसाय में कोई भौतिक मालसूची शामिल नहीं है और तदनुसार, आदेश के पैरा 3(ii)(क) की आवश्यकताएं कंपनी पर लागू नहीं होती हैं।</p> <p>(ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण तथा अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी को चालू परिसंपत्तियों की प्रतिभूति के आधार पर बैंकों और वित्तीय संस्थानों से कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत नहीं की गई है और इसलिए आदेश के खंड 3(ii)(ख) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।</p> <p>(iii) निवेश के संबंध में, कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पक्ष को कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान की है या ऋण की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम प्रदान किया है, चाहे वह सुरक्षित हो या असुरक्षित:</p> <p>क) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण तथा अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने किसी अन्य इकाई को ऋण या गारंटी की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं किया है या सुरक्षा प्रदान नहीं की है और इसलिए खंड 3(iii)(क) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।</p> <p>ख) वर्ष के दौरान कंपनी ने एसआरआई फंड में निवेश किया है। कंपनी द्वारा भारत सरकार और कंपनी की धारक कंपनी (नेशनल</p> |
|--|--|

स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड) के साथ मिलकर एसआरआई फंड में योगदान देने वाली पहली एआईएफ योजना स्थापित की गई है। यह योजना प्रथम दृष्टया कंपनी के हित के लिए हानिकारक नहीं है। कंपनी ने कोई गारंटी नहीं दी है, कोई सुरक्षा और शर्तें नहीं दी हैं और ऋण और गारंटी के रूप में कोई ऋण और अग्रिम राशि नहीं दी है।

- ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने ऋण के रूप में कोई ऋण या अग्रिम राशि नहीं दी है और इसलिए आदेश के खंड 3(iii)(ग), (घ), (ङ) और (च) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।
- घ) कंपनी के निदेशक को पिछले वर्ष में दिए गए 0.12 लाख रुपये के अग्रिम की वसूली वर्ष के दौरान की गई है।
- (iv) हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने ऋण, निवेश, गारंटी और सुरक्षा के संबंध में लागू सीमा तक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और धारा 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया है।
- (v) हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अधिनियम की धारा 73 से 76 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अर्थ में जनता से कोई जमा या मानद जमा को स्वीकार नहीं किया है।
- (vi) केंद्र सरकार ने कंपनी की किसी भी गतिविधि के लिए अधिनियम की धारा 148(1) के अंतर्गत लागत अभिलेखों के रखरखाव को निर्धारित नहीं किया है और तदनुसार आदेश का खंड लागू नहीं होता है।
- (vii) (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं

के आधार पर हम सूचित करते हैं कि कंपनी आम तौर पर आयकर अधिनियम, माल और सेवा कर, भविष्य निधि और उस पर लागू किसी भी अन्य भौतिक सांविधिक बकाया सहित निर्विवाद सांविधिक बकाया को उचित प्राधिकारियों के पास जमा करने में नियमित रही है। सिवाय वर्ष 2022-23 और 2023-24 की अधिवर्षिता परिवार पेंशन निधि के, जिसे 18.06.2024 को जमा किया गया है।

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर 31 मार्च 2024 तक कोई भी निर्विवाद देय राशि देय होने की तिथि से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया नहीं थी। सिवाय वर्ष 2022-23 की अधिवर्षिता परिवार पेंशन निधि के 119428 रुपये को, जिसे 18.06.2024 को जमा किया गया है।

- (ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर माल एवं सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर या अन्य कोई भौतिक सांविधिक बकाया नहीं है, जो किसी विवाद के कारण जमा नहीं किया गया हो।
- (viii) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा वित्तीय विवरणों की समग्र जांच के अनुसार, ऐसा कोई लेन-देन नहीं है, जिसे आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में अभ्यर्पित या प्रकट किया गया हो, तथा जिसे लेखा बहियों में दर्ज नहीं किया गया हो।
- (ix) (क) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा वित्तीय विवरणों की समग्र

- जांच के अनुसार कंपनी ने कोई ऋण या अन्य उधार नहीं लिया है। किसी भी ऋणदाता से ऋण नहीं लिया है। इसलिए, आदेश के खंड 3 (ix) (क) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।
- (ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, हम सूचित करते हैं कि कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।
- (ग) हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई सावधि ऋण नहीं लिया है, इसलिए खंड (ix) (ग) लागू नहीं होता है।
- (घ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच के आधार पर, हम सूचित करते हैं कि अल्पावधि आधार पर जुटाई गई निधियों का उपयोग दीर्घावधि उद्देश्यों के लिए नहीं किया गया है।
- (ङ) कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच के आधार पर, कंपनी ने किसी भी निकाय या व्यक्ति से खाते में या सहायक कंपनियों, सहयोगियों या संयुक्त उद्यमों के किसी भी दायित्व को पूरा करने के लिए कोई निधि नहीं ली है।
- (च) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई ऋण नहीं लिया है, इसलिए आदेश के खंड 3(ix) (च) पर रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।
- (x) (क) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान आरंभिक सार्वजनिक पेशकश या आगे की सार्वजनिक पेशकश (ऋण साधनों सहित) के माध्यम से कोई धन नहीं जुटाया।
- (ख) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान शेषों या पूर्ण, आंशिक या वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर का कोई अधिमानी आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है।
- (xi) (क) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारी लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी द्वारा या कंपनी पर कोई धोखाधड़ी नहीं देखी गई या रिपोर्ट नहीं की गई।
- (ख) कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (12) के अंतर्गत लेखापरीक्षकों द्वारा कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक नियम, 2014) के नियम 13 के अंतर्गत निर्धारित प्रपत्र एडीटी-4 में कोई रिपोर्ट केन्द्र सरकार के समक्ष दाखिल नहीं की गई है।
- (ग) जैसा कि प्रबंधन द्वारा हमें बताया गया है कि कंपनी को वर्ष के दौरान कोई विसल-ब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।
- (xii) हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार, आदेश का पैराग्राफ 3(xii) लागू नहीं होता है।
- (xiii) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन अधिनियम की धारा 177 एवं 188 के अनुपालन में हैं, जहां लागू है तथा ऐसे लेन-देन का विवरण लागू लेखा मानकों के अनुसार वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है।
- (xiv) कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी को आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली रखने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आदेश के खंड (iv)

- (क) और (ख) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।
- (xv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने निदेशकों या उनके साथ जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का पैराग्राफ 3(xv) लागू नहीं होता है।
- (xvi) (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45-आईए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसने 1 सितंबर, 2021 के प्रमाण पत्र के माध्यम से वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) स्थापित करने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) से आवश्यक नियामक अनुमोदन प्राप्त कर लिया है और भारतीय रिजर्व बैंक ने समय-समय पर अद्यतन मास्टर निर्देश-आरबीआई अधिनियम, 1934 के प्रावधानों से छूट के माध्यम से (एआईएफ) को भारतीय रिजर्व बैंक के साथ पंजीकरण से विशेष रूप से छूट दी है, जैसा कि किया जाता है। तदनुसार, पैरा 3 (xvi) कंपनी पर लागू नहीं होता है।
- (ख) कंपनी ने कोई गैर-बैंकिंग वित्तीय या आवास वित्त गतिविधियाँ संचालित नहीं की हैं।
- (ग) कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए विनियमों में परिभाषित कोर निवेश कंपनी (सीआईसी) नहीं है।
- (घ) कंपनी के पास समूह के हिस्से के रूप में एक से अधिक सीआईसी नहीं हैं।
- (xvii) कंपनी ने वित्तीय वर्ष और तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में नकद घाटा नहीं उठाया है।
- (xviii) सांविधिक लेखापरीक्षक का कोई त्याग-पत्र नहीं था, लेकिन सीएजी द्वारा चक्रानुक्रम के कारण कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक में बदलाव हुआ था। इस प्रकार, वर्तमान सांविधिक लेखापरीक्षक को निवर्तमान लेखापरीक्षकों द्वारा उठाए गए मुद्दों, आपत्तियों या चिंताओं पर विचार करने की आवश्यकता नहीं थी।
- (xix) वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ) को दी गई विशिष्ट विनियामक छूट के कारण कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी एनबीएफसी विनियमों की प्रयोज्यता से छूट दी गई है। सीआरएआर और नकदी कवरेज अनुपात कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
- (xx) कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के बारे में कंपनी अधिनियम की धारा 135 की उपधारा (5) का दूसरा परंतुक कंपनी पर लागू नहीं होता है, इसलिए खंड (xx) (क) और (ख) लागू नहीं होता है।

के. प्रसाद एण्ड कंपनी के लिए

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण सं.: 002755एन

आर एस गुप्ता

साझेदार

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 05.08.2024

सदस्यता सं. : 072666
यूडीआईएन: 24072666बीकेसीएनएसयू3718

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के सदस्यों को वित्तीय विवरणों पर हमारे स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में संदर्भित अनुलग्नक ख

कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के अधीन
आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2024 तक "कंपनी" की स्थिति के अनुसार एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की उस तारीख को समाप्त वर्ष के कंपनी के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के साथ मिलाकर लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के संबंध में प्रबंधक-वर्ग की जिम्मेदारी

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ('आईसीएआई') द्वारा जारी किए गए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा संबंधी दिशा-निर्देश टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मापदंड पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए कंपनी का प्रबंधक-वर्ग जिम्मेदार होता है। इस जिम्मेदारी में ऐसा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण तैयार करना, लागू करना और बनाए रखना भी शामिल है जो इसके कारोबार का विधिवत और प्रभावी रूप से संचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से कार्य कर रहा हो। इसमें निगम की नीतियों, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, कपट और त्रुटि का निवारण तथा पता लगाना, लेखाकरण अभिलेखों की यथार्थता और पूर्णता तथा अधिनियम के अधीन अपेक्षित विश्वसनीय वित्तीय सूचना समय पर तैयार करना भी शामिल है।

लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा पर आधारित कंपनी के आंतरिक वित्तीय विवरणों पर अपना अभिमत व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखापरीक्षा वित्तीय रिपोर्टिंग की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शक टिप्पणी ("मार्गदर्शक

टिप्पणी") तथा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा, दोनों पर प्रयोज्य सीमा तक लागू आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा एवं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अधीन निर्धारित माने जाने वाले भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार की है। इन मानकों और मार्गदर्शक टिप्पणी द्वारा यह अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का पालन करें और लेखापरीक्षा का नियोजन इस प्रकार करें, जिनसे यह उपयुक्त आश्वासन प्राप्त हो कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण स्थापित किए गए हैं और उनका संचालन किया गया एवं क्या ऐसे नियंत्रण प्रभावी रूप से कार्य कर रहे हैं।

हमारी लेखापरीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उसकी प्रचालन प्रभावोत्पादकता के बारे में लेखापरीक्षा संबंधी साक्ष्य प्राप्त करने की निष्पादन प्रक्रियाएँ अपनाया शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की जानकारी प्राप्त करने, जोखिम, जिनसे महत्वपूर्ण हानि होती है, का निर्धारण तथा निर्धारित जोखिम के आधार पर आंतरिक वित्तीय प्रणाली की प्रचालन प्रभावोत्पादकता की जांच तथा मूल्यांकन एवं निरूपण शामिल है। चयन की प्रक्रियाएँ लेखापरीक्षाओं के निर्णयों पर आधारित होती हैं, जिनमें वित्तीय विवरणों की महत्वपूर्ण गलतबयानी, चाहे वह धोखाधड़ी हो या त्रुटि हो, के जोखिमों का निर्धारण भी शामिल करना है।

हम विश्वास करते हैं कि हमने जो लेखापरीक्षा संबंधी साक्ष्य प्राप्त किया है, वह वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की हमारी लेखापरीक्षा की अर्हक मूल अभिमत उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त और समुचित है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण से तात्पर्य

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है, जो वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के बारे में उचित आश्वासन देने और सामान्य रूप से स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार बाह्य प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए बनाई गई है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं, जो

- (1) अभिलेखों को उचित विवरणों, यथार्थता से बनाए रखने से संबंधित हों और जिनमें निगम की परिसंपत्तियों के लेन-देन या निपटान को सही तरीके से दर्शाया गया हो,
- (2) इस संबंध में उचित आश्वासन दे कि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए आवश्यक लेन-देनों को दर्ज किया गया है और कंपनी की प्राप्तियों और व्यय को निगम के प्रबंधक वर्ग और निदेशकों के प्राधिकार के अनुसार ही किया जाता है और
- (3) अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निगम की परिसंपत्तियों के निपटान का निवारण करने या समय पर पता लगाने के बारे में उचित आश्वासन देता है, जिनका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की निहित सीमाएँ

प्रबंधन की मिलीभगत की संभावना या अनुचित प्रबंधन द्वारा नियंत्रण अधिभावी करने सहित वित्तीय रिपोर्टिंग पर निगम के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की निहित सीमाओं से त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण मिथ्या कथन किया जा सकता हो और जिसका पता नहीं लग पाया हो, शामिल है। इसके अलावा, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर किसी मूल्यांकन को भविष्य में दर्शाना, जिससे जोखिम हो सकता है और जो वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के संबंध में बदली हुई स्थितियों में अपर्याप्त हो सकता है या जिनसे नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुपालन की मात्रा में गिरावट आ सकती हो।

अभिमत

हमारे अभिमत में, कंपनी के पास सभी भौतिक मामलों हेतु वित्तीय विवरणों के संदर्भ में एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय विवरणों के संदर्भ में ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, 31 मार्च 2023 तक प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे और जो इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर वित्तीय प्रतिवेदन हेतु मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए, कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय विवरण मानदंड के संदर्भ में आंतरिक नियंत्रण पर आधारित हैं।

के. प्रसाद एण्ड कंपनी के लिए

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण सं.: 002755एन

आर एस गुप्ता

साझेदार

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 05.08.2024

सदस्यता सं. : 072666

यूडीआईएन: 24072666बीकेसीएनएसयू3718

31 मार्च, 2024 को समाप्त अवधि के लिए एनएसआईसी वेंचर कैपिटल लिमिटेड के सदस्यों को हमारी स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में उल्लिखित अनुबंध न

31 मार्च, 2024 को समाप्त अवधि के लिए एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड के वित्तीय विवरणों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी किए गए निर्देशों पर रिपोर्ट।

क्र.सं.	निर्देश	उत्तर
I	क्या कंपनी में सभी लेखांकन लेन-देन आईटी प्रणाली के जरिए प्रोसेस करने की प्रणाली विद्यमान है? यदि हाँ तो वित्तीय प्रभावों, यदि कोई हैं, के साथ-साथ लेखाओं के एकीकरण पर आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेन-देनों की प्रसंस्करण के प्रभावों का उल्लेख किया जाए।	हाँ, कंपनी में सभी लेखांकन लेन-देन आईटी प्रणाली के जरिए प्रोसेस करने के लिए प्रणाली विद्यमान है। कंपनी लेखांकन के लिए टेली, सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रहा है। लेखापरीक्षा प्रक्रिया के आधार पर और हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार आईटी प्रणाली के बाहर कोई लेखांकन लेन-देन प्रोसेस नहीं किया गया है/ना ही बाहर लेकर गए हैं।
II	क्या ऋण की अदायगी के लिए कंपनी की देयता के कारण, कंपनी को ऋणदाताओं द्वारा दिए गए कर्जों/ऋणों/ब्याज आदि की छूट/बढ़ेखाते डालने के मामलों या मौजूद ऋण की कोई पुनर्संरचना की गई है? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव का उल्लेख किया जाए।	हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा रिकार्डों की हमारी जांच के आधार पर किसी मौजूदा ऋण या कंपनी ने इस अवधि के दौरान ऋण दाताओं से कोई ऋण स्वीकार नहीं किया है।
III	क्या केंद्र/राज्य सरकार की एजेंसियों से विशिष्ट स्कीमों के लिए प्राप्त/प्राप्य निधियों को उचित ढंग से लेखे में लिया गया है/शर्तों एवं निबंधनों के अनुसार उनका उपयोग किया गया है? विपथन के मामलों की सूची दें।	वर्ष के दौरान केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए अनुदान/सब्सिडी/आदि के रूप में कोई धनराशि प्राप्त/प्राप्त नहीं हुई।

के. प्रसाद एण्ड कंपनी के लिए

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण सं.: 002755एन

आर एस गुप्ता

साझेदार

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 05.08.2024

सदस्यता सं. : 072666
यूडीआईएन: 24072666बीकेसीएनएसयू3718

टिप्पणियाँ, जो 31 मार्च, 2024 को समाप्त अवधि के लिए वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग हैं।

टिप्पणी-1 : कॉरपोरेट सूचना एवं लेखांकन का आधार

1.1 कंपनी सूचना

एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड ('एनवीसीएफएल' या 'कंपनी'), एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है, जो भारत में अवस्थित है और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत 28 अगस्त, 2020 को निगमित की गई है। कंपनी भारत सरकार का एक उद्यम राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड ('एनएसआईसी'), के अंतर्गत एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है और इसका पंजीकृत कार्यालय एनएसआईसी भवन, ओखला औद्योगिक एस्टेट, फेस-III, नई दिल्ली-110020 (भारत) में स्थित है। दिनांक 1 सितंबर 2021 से, एनवीसीएफएल को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड ('सेबी') के साथ भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (वैकल्पिक निवेश कोष) विनियम, 2012 ('विनियम') के तहत आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) फंड ("योजना" या "निधि") नामक इसकी पहली योजना के लिए श्रेणी II वैकल्पिक निवेश कोष के रूप में पंजीकृत किया गया और पंजीकरण संख्या आईएन/एआईएफ2/21-22/0924 प्राप्त हुई है। इस योजना में भारत सरकार, एनएसआईसी और कंपनी इसके योगदानकर्ता हैं और इसे एक अलग 'एसोसिएशन ऑफ पर्सन' (व्यक्तियों का संघ) के रूप में माना गया है। इस योजना का उद्देश्य इक्विटी, अर्ध-इक्विटी और ऋण के माध्यम से एमएसएमई को विकास पूंजी के रूप में सहायता के प्रावधान के लिए संतति/अनुषंगी निधियों (डॉटर फंड) को वित्त पोषण सहायता प्रदान करना है।

वित्तीय विवरण निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किए गए और 5 अगस्त, 2024 को जारी करने के लिए अधिकृत किए गए।

1.2 अनुपालन कथन

कंपनी के वित्तीय विवरण कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम 2015 (संशोधित) के तहत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानक, कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के साथ कंपनी (खाता) नियम 2014 और अन्य लागू नियामक मानदंडों / दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हैं।

कंपनी के वित्तीय विवरण आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार लेखांकन की प्रोद्भवन प्रणाली का पालन करते हुए ऐतिहासिक लागत सम्मेलन (जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो) के तहत चालू चिंता के आधार पर तैयार किए गए हैं और भारतीय लेखा मानक (जिसे "कहा जाता है") के अनुसार हैं।" कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के तहत अधिसूचित, संशोधित, कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधान, कंपनी (खाता) नियम 2014 के साथ पठित, यथा संशोधित, और अन्य लागू नियामक मानदंड/दिशानिर्देश।

1.3 तैयार करने और प्रस्तुत करने का आधार

हालांकि, मास्टर निदेश - आरबीआई अधिनियम, 1934 के प्रावधानों से छूट के अनुसार कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक के साथ गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (एनबीएफसी) के रूप में पंजीकरण से छूट दी गई है, जैसा कि समय-समय पर अद्यतन किया जाता है, दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए अपने वित्तीय विवरणों को तैयार

करते समय कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III की डिवीजन III का पालन किया है। डिवीजन III एनबीएफसी पर लागू होता है जैसा कि कंपनियों (भारतीय लेखा मानक नियम) 2015 में परिभाषित किया गया है, जिसमें उद्यम पूंजी निधि कंपनियाँ शामिल हैं और कंपनी को एआईएफ की स्थापना के विशिष्ट उद्देश्य के साथ एक उद्यम पूंजी निधि कंपनी के रूप में स्थापित किया गया है।

1.4 महत्वपूर्ण लेखांकन निर्णय और अनुमान अनिश्चितता के प्रमुख स्रोत

लेखांकन नीतियों को लागू करने में, जो नोट 2 में वर्णित हैं, प्रबंधन को ऐसे निर्णय लेने की आवश्यकता होती है (अनुमानों को छोड़कर) जिनका मान्यता प्राप्त राशियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है और परिसंपत्तियों और देनदारियों की वहन मात्रा के बारे में अनुमान और धारणाएं बनाने की आवश्यकता होती है। अन्य स्रोतों से आसानी से स्पष्ट नहीं होते हैं। अनुमान और संबंधित धारणाएं ऐतिहासिक अनुभव और अन्य कारकों पर आधारित हैं जिन्हें प्रासंगिक माना जाता है। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से अलग हो सकते हैं।

अनुमानों और अंतर्निहित धारणाओं की निरंतर आधार पर समीक्षा की जाती है। लेखांकन अनुमानों में संशोधन को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें अनुमान को संशोधित किया जाता है यदि संशोधन केवल उस अवधि को प्रभावित करता है, या संशोधन की अवधि और भविष्य की अवधि में यदि संशोधन वर्तमान और भविष्य की अवधि दोनों को प्रभावित करता है।

- **संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई)**
अमूर्त परिसंपत्तियाँ: परिसंपत्तियों के स्वरूप, परिसंपत्ति के अनुमानित उपयोग, परिसंपत्ति

की परिचालनात्मक स्थिति, प्रतिस्थापन के पिछले इतिवृत्त और अनुरक्षण सहायता को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट की गई प्रत्येक तिथि को पीपीई और अमूर्त परिसंपत्तियों के अवशिष्ट मूल्य और अनुमानित उपयोगी जीवनकाल का मूल्यांकन किया जाता है। समीक्षा करने पर प्रबंधन, मूल्यहास/मौद्रिकीकरण के परिकलन के लिए दिया गया उपयोगी जीवनकाल और अवशिष्ट मूल्य स्वीकार करता है।

- **आय कर:** भुगतान की जाने वाली प्रत्याशित धनराशि/अनिश्चित कर स्थितियों के लिए वसूल की गई धनराशि सहित आय कर के लिए प्रावधान निर्धारित करने में अनुमान शामिल होते हैं। स्थगित कर परिसंपत्ति का मूल्यांकन करने के लिए प्रत्याशित भावी लाभप्रदाता के संबंध में निर्णय लिए जाते हैं।
- **वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि:** व्यापार प्राप्य और ऋण और अग्रिम सहित वित्तीय साधनों की हानि का मूल्यांकन, प्रत्याशित हानि और चूक के जोखिम के बारे में लगाए गए अनुमानों के आधार पर किया जाता है। हानिकरण के परिकलन के लिए इनपुट का चयन, अनुमान, पिछले इतिवृत्त, बाजार स्थितियों और रिपोर्ट की जाने वाली प्रत्येक तिथि के अंत में भावी अनुमानों पर विचार करते हुए प्रबंधन के निर्णय पर आधारित है।
- **गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों का हानिकरण (पीपीई):** गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों के हानिकरण का मूल्यांकन उन परिसंपत्तियों की वसूलीयोग्य धनराशि के अनुमान के आधार पर निर्धारित किया जाता है। वसूलीयोग्य धनराशि का परिकलन करने में उपयोग किए गए अनुमान प्रबंधन के निर्णय पर आधारित होते हैं।

- **सुनिश्चित लाभ योजनाएं और अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ:** वर्तमान में, कंपनी में केवल एक कर्मचारी है, परिभाषित लाभ योजना की लागत और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ और ऐसे दायित्व का वर्तमान मूल्य स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यांकनकर्ता द्वारा निर्धारित किया जाता है। बीमांकिक मूल्यांकन में विभिन्न धारणाएँ बनाना शामिल होता है जो वास्तविक से भिन्न हो सकती हैं। प्रबंधन का मानना है कि छूट दर, भविष्य में वेतन वृद्धि, मृत्यु दर और नौकरी छोड़ने की दर के निर्धारण में बीमांकिक द्वारा उपयोग की गई धारणा उचित है।
- **वित्तीय विलेखों का उचित मूल्य मापन:** जब वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं के उचित मूल्य सक्रिय बाजारों में उद्धृत मूल्यों के आधार पर नहीं मापे जा सकते तो ऐसी स्थिति में प्रबंधन इसके उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए अन्य मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करता है। ये तकनीकें लागू करने के लिए इनपुट, जहां कहीं संभव हो, अवलोकनयोग्य बाजारों से प्राप्त किए जाते हैं, परंतु जहाँ ऐसा करना व्यवहार्य नहीं है, उचित मूल्य स्थापित करने में निर्णय का उपयोग किया जाता है। इन निर्णयों में परिशोधन जोखिम, क्रेडिट जोखिम और संचलता जैसे इनपुटों पर विचार शामिल हैं।
- **प्रावधान और आकस्मिकताएँ:** अन्य प्रावधानों की मान्यता और मापन, संसाधनों के बहिर्वाह की संभाव्यता के मूल्यांकन और रिपोर्टिंग की तिथि को ज्ञात परिस्थितियों तथा पिछले अनुभव पर आधारित होते हैं। इसलिए, भविष्य की किसी तिथि को संसाधनों का वास्तविक बहिर्वाह, प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अनुमानित आंकड़ों से भिन्न हो सकता है।
- **निधि द्वारा व्यय की प्रतिपूर्ति:** निधि की ओर से कंपनी द्वारा किए गए निधि खर्चों के लिए फंड द्वारा प्रतिपूर्ति की गई राशि। एनवीसीएफएल की विधिवत प्रतिपूर्ति की जाती है और इसे कंपनी की बही खातों में समायोजित किया जाता है।
- **कार्यात्मक और प्रस्तुति मुद्रा:** वित्तीय विवरण भारतीय रुपये में प्रस्तुत किए जाते हैं और सभी मूल्यों को अधिसूचना संख्या जीएसआर 404 (ई), दिनांक 06-04-2016 से प्रभावी 06-04-2016 द्वारा सम्मिलित कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के डिबीजन III के पैरा 5 के अनुसार निकटतम लाख और दशमलव में पूर्णांकित किया जाता है।

नोट-2: महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

2.1 नकदी प्रवाह का विवरण

परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह को निम्न प्रभावों के लिए कर पूर्व लाभ को समायोजित करके अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करके रिपोर्ट किया जाता है: (i) गैर-नकद प्रकृति के परिचालन प्राप्य और देय लेनदेन में अवधि के दौरान परिवर्तन (ii) गैर-नकद वस्तुएं जैसे मूल्यह्रास, प्रावधान, आस्थगित कर, अप्राप्त लाभ और हानिय और (iii) अन्य सभी वस्तुएं जिनके लिए नकदी प्रभाव निवेश या नकदी प्रवाह का वित्तपोषण कर रहे हैं।

2.2 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

संयंत्र, मशीनरी, फिक्स्चर और फिटिंग को संचित मूल्यह्रास और संचित हानि, यदि कोई हो, को घटाकर लागत पर बताया गया है।

मूल्यह्रास को इस प्रकार पहचाना जाता है कि सीधी-रेखा विधि का उपयोग करके परिसंपत्तियों की लागत या मूल्यांकन को उनके उपयोगी जीवन पर उनके अवशिष्ट मूल्यों से घटाकर बड़े

खाते में डाल दिया जाता है। कंपनी ने मूल्यहास की विधि को इस तरह से चुना कि यह परिसंपत्ति में सन्निहित भविष्य के आर्थिक लाभों की खपत के अपेक्षित पैटर्न को सबसे करीब से दर्शाता है।

क्र. सं.	परिसंपत्तियों के स्वरूप	उपयोगी जीवन	दर (एसएलएम)	अवशिष्ट मूल्य
1	प्लांट एवं मशीनरी	15 वर्ष	6.33%	मूल लागत का 5%
2	फर्नीचर एवं फिटिंग्स	10 वर्ष	9.50%	मूल लागत का 5%
3	कार्यालय उपकरण	5 वर्ष	19.00%	मूल लागत का 5%
4	प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर, लैपटॉप आदि के रूप में अंतिम उपयोगकर्ता उपकरण	3 वर्ष	31.67%	मूल लागत का 5%
5	सर्वर और नेटवर्क	6 वर्ष	15.83%	मूल लागत का 5%
6	विद्युत प्रतिष्ठान और उपकरण	10 वर्ष	9.50%	मूल लागत का 5%
7	मोबाइल फोन उपकरण	*2 वर्ष	50%	रु. 1/-
(*पिछला वर्ष 3 वर्ष)				

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अनुमानित उपयोगी जीवन, अवशिष्ट मूल्यों और मूल्यहास पद्धति की समीक्षा की जाती है, जिसमें संभावित आधार पर अनुमान में किसी भी बदलाव के प्रभाव को शामिल किया जाता है।

रुपये 0.10 लाख तक की लागत वाले पीपीई को उपयोग के लिए तैयार होने पर खरीद के वर्ष में पूरी तरह से मूल्यहास किया जाता है, और मोबाइल फोन उपकरणों को छोड़कर मूल लागत का 5% अवशिष्ट मूल्य के रूप में बनाए रखने के बाद, जहां रुपये 1/- को अवशिष्ट मूल्य के रूप में रखा जाता है।

2.3 अलग से अर्जित अमूर्त संपत्ति

सीमित उपयोगी जीवन वाली अमूर्त संपत्तियां जो अलग से अर्जित की जाती हैं, उन्हें संचित परिशोधन और संचित हानि हानि को घटाकर

लागत पर ले जाया जाता है। अवशिष्ट मूल्य के रूप में रुपये 1/- को बनाए रखने के बाद परिशोधन को पांच साल की अवधि में सीधी रेखा के आधार पर मान्यता दी जाती है। हालांकि, जहाँ सॉफ्टवेयर का जीवन पाँच वर्ष से कम है, ऐसी परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन पर लागत का परिशोधन किया जाता है।

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अनुमानित उपयोगी जीवन और परिशोधन पद्धति की समीक्षा की जाती है, जिसमें अनुमान में किसी भी बदलाव के प्रभाव को संभावित आधार पर ध्यान में रखा जाता है।

सदस्यता के आधार पर खरीदे गए सॉफ्टवेयर, जिनका उपयोग एक से अधिक अवधि के लिए नहीं होने की उम्मीद है, सदस्यता अवधि के दौरान लाभ और हानि के विवरण में शुल्क लिया जाता है।

क्र. सं.	परिसंपत्तियों के स्वरूप	उपयोगी जीवन	दर (एसएलएम)	अवशिष्ट मूल्य
1	अमूर्त पीपीई – सॉफ्टवेयर	5 वर्ष	20.00%	रु. 1
2	वैबसाइट	5 वर्ष	20.00%	रु. 1

2.4 पट्टा

कंपनी संपत्ति के उपयोग के अधिकार को तब मान्यता देती है जब पट्टादाता के साथ कोई रद्द न होने वाला समझौता होता है।

2.5 राजस्व मान्यता

राजस्व प्राप्त किए गए और प्राप्तियोग्य प्रतिफल के उचित मूल्य पर मापा जाता है। आय/राजस्व की सभी मदें और व्यय प्रोद्भवन आधार पर लेखे में लिए जाते हैं जहाँ नीचे उल्लिखित वसूली के बारे में निश्चित हो:

(क) ब्याज आय

सावधि जमा पर ब्याज आय समय के आधार पर, बकाया मूलधन और लागू प्रभावी ब्याज

दर के संदर्भ में अर्जित की जाती है, यह वो दर है जिस पर प्रारम्भिक पहचान के बाद उस परिसंपत्ति की निवल अग्रणीत राशि पर वित्तीय आस्तियों के अपेक्षित जीवनकाल के माध्यम से अनुमानित भावी नकद प्राप्ति को सटीक रूप से छूट देती है।

(ख) प्रबंधन शुल्क

भारत सरकार द्वारा जारी परिचालन दिशा-निर्देशों और निधि के योगदानकर्ताओं के साथ हस्ताक्षरित योगदान समझौते के अनुसार, एनवीसीएफएल द्वारा एक निवेश प्रबंधन शुल्क ('प्रबंधन शुल्क') प्राप्त किया जा सकता है। योगदान समझौते में निर्दिष्ट प्रतिशत के रूप में एनवीसीएफएल द्वारा प्राप्य प्रबंधन शुल्क, वास्तव में निधि के निपटान में रखी गई राशि से है।

(ग) व्यय की प्रतिपूर्ति

ऐसी राशि जो एसआरआई फंड की ओर से कंपनी द्वारा खर्च की जाती है, निधि के दस्तावेजों के अनुसार निधि द्वारा प्रतिपूर्ति की जाती है और यह लाभ और हानि खाते में जमा की जाती है।

2.6 कर्मचारी लाभ

कर्मचारी लाभ में वेतन और मजदूरी, भविष्य निधि, पेंशन, ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण और अन्य टर्मिनल लाभ शामिल हैं।

(क) अल्पकालिक कर्मचारी लाभ

अल्पकालिक कर्मचारी लाभों में कर्मचारी लागत जैसे वेतन, भत्ते, वार्षिक अवकाश और बीमार अवकाश शामिल होते हैं जो उस वर्ष के दौरान अर्जित होते हैं जिसमें निगम के कर्मचारियों द्वारा संबंधित सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

अल्पकालिक कर्मचारी लाभों के संबंध में मान्यता प्राप्त देनदारियों को संबंधित सेवाओं

के बदले भुगतान किए जाने वाले अपेक्षित लाभों की बिना छूट वाली राशि पर मापा जाता है।

(ख) रोजगार के बाद के लाभ और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

(i) परिभाषित योगदान योजना

परिभाषित योगदान एक रोजगारोत्तर लाभ योजना है जहां निगम विभिन्न संगठनों में निश्चित योगदान का भुगतान करता है और आगे की राशि का भुगतान करने के लिए कोई कानूनी या रचनात्मक दायित्व नहीं होगा। निगम द्वारा भविष्य निधि, पेंशन फंड और सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी) में किए गए योगदान को परिभाषित योगदान योजना के रूप में माना जाता है। वर्ष के दौरान भुगतान/देय ऐसे योगदान को उस वर्ष के लाभ और हानि के विवरण में कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें संबंधित सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

भविष्य निधि में योगदान का भुगतान ईपीएफओ को किया जाता है और पेंशन में योगदान का भुगतान राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) में किया जाता है।

(ii) परिभाषित लाभ योजना

एक परिभाषित लाभ योजना, परिभाषित अंशदान योजना के अलावा एक रोजगारोत्तर लाभ योजना है। ग्रेच्युटी, छुट्टी नकदीकरण और अन्य कर्मचारियों के लाभ अर्थात् बीमारी की छुट्टी और टी.ए. के प्रति निगम

की देनदारी। सेवानिवृत्ति पर, निगम द्वारा किए गए, परिभाषित लाभ योजना के तहत विचार किए जाते हैं।

ऐसी परिभाषित लाभ योजनाओं के तहत दायित्व का वर्तमान मूल्य अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके वर्ष के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

पुनर्माप, जिसमें बीमांकिक लाभ और हानि शामिल हैं, को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें वे सीधे अन्य व्यापक आय में होते हैं। अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्यता प्राप्त पुनः माप तुरंत बरकरार रखी गई कमाई में परिलक्षित होता है और इसे लाभ और हानि के विवरण में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाता है।

2.7 पूर्व अवधि के व्यय और आय

पूर्व अवधि से संबंधित आय/व्यय, जो प्रत्येक मामले में पिछले वर्ष के संचालन से कंपनी के राजस्व का 0.25% से अधिक नहीं है, को चालू वर्ष की आय/व्यय के रूप में माना जाता है।

2.8 प्रीपेड आइटम

आगामी वित्तीय वर्ष (वर्षों) से संबंधित खर्चों को केवल तभी प्रीपेड माना जाता है जब भुगतान प्रत्येक मामले में ₹1.00 लाख से अधिक हो।

2.9 कराधान

अवधि के खर्चों में, चालू कर और आस्थापित कर शामिल होते हैं। कर को लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी जाती है, सिवाय उस सीमा तक, जिस सीमा तक यह अन्य व्यापक आय या प्रत्यक्ष रूप से इक्विटी में मान्यता प्राप्त मदों से संबंधित है, जहाँ कर को अन्य व्यापक आय या इक्विटी में भी मान्यता दी जाती है।

(क) वर्तमान कर

वर्तमान में देय कर वर्ष के लिए कर योग्य लाभ पर आधारित है। कर योग्य लाभ शुद्ध लाभ से भिन्न होता है जैसा कि लाभ या हानि में बताया गया है क्योंकि इसमें आय या व्यय की वे वस्तुएं शामिल नहीं हैं जो अन्य वर्षों में कर योग्य या कटौती योग्य हैं और इसमें उन वस्तुओं को भी शामिल नहीं किया गया है जो कभी कर योग्य या कटौती योग्य नहीं हैं। वर्तमान कर के लिए कंपनी की देनदारी की गणना उन कर दरों का उपयोग करके की जाती है जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित की गई हैं।

एक प्रावधान उन मामलों के लिए मान्यता प्राप्त है जिनके लिए कर निर्धारण अनिश्चित है लेकिन यह संभावित माना जाता है कि कर प्राधिकरण को भविष्य में धन का बहिर्वाह होगा। प्रावधानों को देय होने वाली अपेक्षित राशि के सर्वोत्तम अनुमान पर मापा जाता है। मूल्यांकन विशेषज्ञ स्वतंत्र कर सलाह पर आधारित है।

(ख) आस्थगित कर

आस्थगित कर वह कर है जो वित्तीय विवरणों में परिसंपत्तियों और देनदारियों की वहन मात्रा और कर योग्य लाभ की गणना में उपयोग किए जाने वाले संबंधित कर आधारों के बीच अंतर पर देय या वसूली योग्य होने की उम्मीद है, और देयता पद्धति का उपयोग करके इसका हिसाब लगाया जाता है। देनदारियों को आम तौर पर सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए मान्यता दी जाती है और आस्थगित कर परिसंपत्तियों को इस हद तक मान्यता दी जाती है कि यह संभव है कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके विरुद्ध कटौती योग्य अस्थायी अंतर का उपयोग किया जा सकता है।

प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर आस्थगित कर परिसंपत्तियों की वहन राशि की समीक्षा की जाती है और इस हद तक कम कर दी जाती है कि अब यह संभव नहीं है कि परिसंपत्ति के सभी या उसके हिस्से को पुनर्प्राप्त करने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा।

आस्थगित कर की गणना उन कर दरों पर की जाती है जो उस अवधि में लागू होने की उम्मीद होती है जब देनदारी का निपटान हो जाता है या कर कानूनों (यानी आयकर अधिनियम, 1961) और उन दरों के आधार पर परिसंपत्ति का एहसास हो जाता है जो रिपोर्टिंग तारीख में अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित की गई हैं।

(ग) ऑफसेट

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों की भरपाई तब की जाती है जब वर्तमान कर देनदारियों के खिलाफ वर्तमान कर परिसंपत्तियों की भरपाई करने का कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार होता है और जब वे एक ही कराधान प्राधिकरण द्वारा लगाए गए आयकर से संबंधित होते हैं और कंपनी अपनी वर्तमान कर परिसंपत्तियों और देनदारियों को शुद्ध आधार पर निपटाने का इरादा रखती है।

2.10 आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) फंड में किया गया निवेश

कंपनी लागत पर निवेश का हिसाब रखती है।

2.11 वित्तीय साधन

(क) प्रारंभिक मान्यता

कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को तब पहचानती है जब वह दस्तावेज के संविदात्मक प्रावधानों में एक पक्ष बन जाती है। व्यापार प्राप्त को छोड़कर, जिन्हें प्रारंभ में लेनदेन मूल्य पर मापा जाता है, सभी वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों

को प्रारंभिक मान्यता पर उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है।

लेन-देन लागत जो सीधे वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों के अधिग्रहण या जारी करने के लिए जिम्मेदार होती हैं, जो लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर नहीं होती हैं, उन्हें प्रारंभिक मान्यता पर वित्तीय परिसंपत्ति या वित्तीय देनदारियों के उचित मूल्य से समायोजित किया जाता है। वित्तीय परिसंपत्तियों की नियमित तरीके से खरीद और बिक्री का हिसाब-किताब व्यापार तिथि पर किया जाता है।

एफवीटीपीएल में वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय देनदारियों के अधिग्रहण के लिए सीधे जिम्मेदार लेनदेन लागत को तुरंत लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है।

(ख) बाद का माप

(i) परिशोधित लागत पर ली गई वित्तीय परिसंपत्तियाँ

एक वित्तीय परिसंपत्ति को बाद में परिशोधन लागत पर मापा जाता है यदि इसे एक व्यवसाय मॉडल के भीतर रखा जाता है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने के लिए परिसंपत्ति को धारण करना है और वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें निर्दिष्ट तिथियों पर नकदी प्रवाह को बढ़ाती हैं जो पूरी तरह से होती हैं बकाया मूल राशि पर मूलधन और ब्याज का भुगतान। अग्रिम, सुरक्षा जमा, किराया जमा, नकद और नकद समकक्ष आदि को परिशोधन लागत पर माप के लिए वर्गीकृत किया गया है।

(ii) लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय संपत्ति

एक वित्तीय परिसंपत्ति जिसे बाद में परिशोधित लागत पर मापा नहीं जाता है, बाद में लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य निर्धारण

किया जाता है। व्यापार, व्युत्पन्न वित्तीय साधनों के लिए रखे गए सभी निवेशों को लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है।

(iii) वित्तीय देनदारियाँ

व्यावसायिक संयोजन में मान्यता प्राप्त आकस्मिक विचार को छोड़कर, जिसे बाद में लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है, वित्तीय देनदारियों को प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके परिशोधन लागत पर किया जाता है। बैलेंस शीट की तारीख से एक वर्ष के भीतर परिपक्व होने वाले व्यापार और अन्य देय के लिए, इन उपकरणों की कम परिपक्वता के कारण कैरिंग राशि उचित मूल्य का अनुमान लगाती है।

(ग) वित्तीय साधनों की मान्यता रद्द करना

कंपनी किसी वित्तीय परिसंपत्ति की मान्यता तब रद्द कर देती है जब वित्तीय परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह के संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाते हैं या वह वित्तीय परिसंपत्ति को स्थानांतरित कर देती है और स्थानांतरण इंड एस 109 के तहत मान्यता रद्द करने के योग्य हो जाता है। एक वित्तीय देनदारी (या वित्तीय देनदारी का एक हिस्सा) की मान्यता रद्द कर दी जाती है कंपनी की बैलेंस शीट से जब अनुबंध में निर्दिष्ट दायित्व समाप्त हो जाता है या रद्द हो जाता है या समाप्त हो जाता है।

(घ) हानि

कंपनी उन वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) मॉडल का उपयोग करके हानि भत्ते को पहचानती है जिनका लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्यांकन नहीं किया जाता है। बिना किसी महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक वाले व्यापार प्राप्य के लिए हानि भत्ता आजीवन ईसीएल के बराबर राशि पर मापा जाता है। अन्य सभी वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए, अपेक्षित क्रेडिट हानियों को 12-महीने की ईसीएल के बराबर राशि पर मापा जाता है, जब तक कि प्रारंभिक मान्यता से क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई हो, उस स्थिति में उन्हें जीवनकाल ईसीएल पर मापा जाता है। अपेक्षित क्रेडिट हानियों (या उत्क्रमण) की वह राशि जो रिपोर्टिंग तिथि पर हानि भत्ते को उस राशि में समायोजित करने के लिए आवश्यक है जिसे मान्यता दी जानी आवश्यक है, लाभ या हानि में हानि लाभ या हानि के रूप में पहचानी जाती है।

यह निर्धारित करते समय कि किसी वित्तीय परिसंपत्ति का क्रेडिट जोखिम प्रारंभिक मान्यता के बाद से काफी बढ़ गया है और अपेक्षित क्रेडिट हानि का अनुमान लगाते समय, कंपनी उचित और समर्थन योग्य जानकारी पर विचार करती है जो प्रासंगिक है और अनुचित लागत या प्रयास के बिना उपलब्ध है। इसमें मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों तरह की जानकारी और विश्लेषण शामिल है, जिसमें ऐतिहासिक अनुभव और भविष्योन्मुखी जानकारी भी शामिल है।



एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड

("एनएसआईसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी")

पंजीकृत कार्यालय: एनएसआईसी भवन, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, फेज-II, नई दिल्ली-110020

(सीआईएन नंबर: U65990DL2020GOI368828)

31.03.2024 के यथास्थिति तुलन-पत्र

(लाख रु. में)

क्र.सं.	विवरण	नोट संख्या	31.03.2024 को यथास्थिति	31.03.2023 को यथास्थिति
परिसंपत्तियां				
I	वित्तीय परिसंपत्तियां			
(क)	नकदी एवं नकदी समतुल्य	3	40.66	352.79
(ख)	नकदी और नकदी के अलावा बैंक शेष	4	1,022.08	328.39
(ग)	प्राप्य	5	-	-
	(I) व्यापार प्राप्तियां – बिल नहीं की गई			
(घ)	ऋण और अग्रिम	6	0.04	0.19
(ङ)	प्राप्य	7	56.91	28.36
(च)	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	8	158.73	621.09
			1,278.42	1,330.82
II	गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां			
(क)	वर्तमान कर संपत्ति (शुद्ध)	9	9.17	61.11
(ख)	आस्थगित कर परिसंपत्तियां (शुद्ध)	10	8.86	11.28
(ग)	संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर	11	22.40	3.45
(घ)	अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां	11	0.12	0.00
(ङ)	विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्तियां	-	-	-
(च)	अन्य गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां	12	5.32	75.84
	कुल परिसंपत्तियां		1,324.29	1,406.66
देयताएं और इक्विटी				
I	वित्तीय देयताएं			
(क)	देय	13		
	(I) व्यापार देय			
	(i) सूक्ष्म और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि		-	-
	(ii) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि		-	-
(ख)	अन्य वित्तीय देयताएं	14	58.50	429.04
II	गैर-वित्तीय देयताएं			
(क)	वर्तमान कर देयताएं (निवल)	15	-	-
(ख)	प्रावधानों	16	6.46	1.87
	कुल देयताएं		64.96	430.91
III	इक्विटी			
(क)	इक्विटी शेयर पूंजी	17	600.00	600.00
(ख)	अन्य इक्विटी	18	659.33	375.75
	कुल इक्विटी		1,259.33	975.75
	कुल देयताएं और इक्विटी		1,324.29	1,406.66
	खाते के अन्य नोट्स	26		
	कॉर्पोरेट जानकारी का विवरण नोट 1			
	लेखांकन नीति नोट 2			
	संलग्न नोट वित्तीय विवरणों का अभिन्न हिस्सा हैं	1 से 26		

इसी तारीख को हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

के प्रसाद एण्ड कंपनी के लिए

सनदी लेखाकार

आईसीएआई फर्म पंजीकरण सं.: 002755एन

नाम: आर.एस. गुप्ता

साझेदार

सदस्यता सं.: 072666

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 05.08.2024

निदेशक मंडल के लिए और की ओर से

एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड

ह./-

जॉ. शुभांशु शेखर आचार्य

अध्यक्ष

डीआईएन नं.: 06727939

ह./-

राजेश मदान

महाप्रबंधक

ह./-

सरवण कुमार अनणथन

सीईओ एण्ड निदेशक

डीआईएन नं.: 9769378

ह./-

निष्ठा गोयल

कंपनी सचिव

सदस्यता सं.: ए22768

एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड

("एनएसआईसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी")

पंजीकृत कार्यालय: एनएसआईसी भवन, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, फेज-II, नई दिल्ली-110020

(सीआईएन नंबर: U65990DL2020GOI368828)

**01.04.2023 से 31.03.2024 तक की
अवधि के लिए लाभ और हानि का विवरण**

(लाख रु. में)

क्र.सं.	विवरण	नोट संख्या	31.03.2024 को यथास्थिति	31.03.2023 को यथास्थिति
I	प्रचालनों से राजस्व	19	594.00	413.12
	प्रचालनों से कुल राजस्व		594.00	413.12
II	अन्य आय	20	132.03	39.78
III	कुल आय (I+II)		726.03	452.90
IV	व्यय			
	कर्मचारी लाभ व्यय	21	68.39	30.22
	मूल्यहास और परिशोधन व्यय	22	2.41	0.51
	अन्य व्यय	23	154.17	16.54
	कुल व्यय (IV)		224.97	47.27
V	लाभ/(हानि) कर से पहले (III-IV)		501.06	405.63
VI	कर व्यय			
	वर्तमान कर	24	124.00	102.00
	आस्थगित कर		2.42	0.53
	पूर्व वर्ष कर		-0.05	-0.56
	कुल कर व्यय (VI)		126.37	101.97
VII	वर्ष के लिए लाभ/(कर) (V-VI)		374.69	303.66
VIII	अन्य व्यापक आय			
	क) मर्दे, जिन्हें लाभ अथवा हानि निवेश में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा			-
	वह वस्तु जिसे परिभाषित लाभ योजना पर लाभ या हानि - बीमांकिक जियान/हानि के रूप में पुनः वर्गीकृत किया जाएगा		-0.017	-
	परिभाषित लाभ योजना पर बीमांकिक लाभ/हानि से संबंधित आयकर		0.004	0.01
	कुल अन्य व्यापक आय (क + ख)			-
IX	इस अवधि के लिए कुल व्यापक आय इस अवधि के लिए (VII + VIII) (सम्मिलित लाभ/हानि) और अन्य व्यापक आय		374.68	303.66
X	प्रति इक्विटी शेयर आय/(हानि)	25		
	मूल (रु.)		62.45	50.61
	तनुकृत (रु.)		62.45	50.61
	खाते पर अन्य नोट	26		
	कॉर्पोरेट जानकारी का विवरण नोट 1			
	लेखांकन नीति नोट 2			
	संलग्न नोट वित्तीय विवरणों का अभिन्न हिस्सा हैं	1 से 26		

इसी तारीख को हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

के प्रसाद एण्ड कंपनी के लिए

सनदी लेखाकार

आईसीएआई फर्म पंजीकरण सं.: 002755एन

नाम: आर.एस. गुप्ता

साझेदार

सदस्यता सं.: 072666

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 05.08.2024

निदेशक मंडल के लिए और की ओर से

एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड

ह./—

डॉ. शुभ्रांशु शेखर आचार्य

अध्यक्ष

डीआईएन नं.: 06727939

ह./—

राजेश मदान

महाप्रबंधक

ह./—

सरवण कुमार अनणथन

सीईओ एण्ड निदेशक

डीआईएन नं.: 9769378

ह./—

निष्ठा गोयल

कंपनी सचिव

सदस्यता सं.: ए22768

टिप्पणी-3: नकदी एवं नकदी समतुल्य

(लाख रु. में)

विवरण	31.03.2024 को यथास्थिति	31.03.2023 को यथास्थिति
बैंक में शेष:		
चालू खाते में		352.79
हाथ में चेक, ड्राफ्ट		-
कुल	40.66	352.79

3.1 उपर्युक्त रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक रोकड़ और रोकड़ समतुल्यों के संदर्भ में प्रत्यावर्तन पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

टिप्पणी-4: नकदी और नकदी समतुल्यों के अलावा बैंक शेष

(लाख रु. में)

विवरण	31.03.2024 को यथास्थिति	31.03.2023 को यथास्थिति
औद्योगिक बैंक में सावधि जमा (परिपक्वता 3 महीने से अधिक लेकिन 1 वर्ष से अधिक नहीं)	675.00	328.39
एसबीआई बैंक में सावधि जमा (परिपक्वता 12 महीने से अधिक यानी जमा की तारीख से 370 दिन)	347.08	
कुल	1,022.08	328.39

4.1 जमा खातों में बैंकों के साथ शेष राशि पर एक दिन से लेकर 370 दिनों तक की अवधि के लिए दैनिक बैंक जमा दरों के आधार पर निश्चित दर पर ब्याज मिलता है।

टिप्पणी-5: प्राप्य

(लाख रु. में)

विवरण	31.03.2024 को यथास्थिति	31.03.2023 को यथास्थिति
व्यापार प्राप्य	0.00	0.00
गैर-जमानती, विचारार्थ माल	0.00	0.00
कुल	0.00	0.00

5.2 व्यापार प्राप्तियां काल प्रभावन अनुसूची

भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया

क्र.सं.	विवरण	6 महीने से कम	6 महीने - 1 वर्ष	1 - 2 वर्ष	2 - 3 वर्ष	कुल
1	अविवादित व्यापार प्राप्तियां - विचारार्थ माल	0	0	0	0	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
2	अविवादित व्यापार प्राप्तियां - क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि	0	0	0	0	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
3	अविवादित व्यापार प्राप्तियां - क्रेडिट क्षीणता	0	0	0	0	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
4	विवादित व्यापार प्राप्तियां - विचारार्थ माल	0	0	0	0	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
5	विवादित व्यापार प्राप्तियां - क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि	0	0	0	0	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
6	विवादित व्यापार प्राप्तियां - क्रेडिट क्षीणता	0	0	0	0	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
7	बिल नहीं किए गए व्यापार प्राप्तियां					0
						(-)
कुल		0	0	0	0	0
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)

टिप्पणी-6: ऋण और अग्रिम

(लाख रु. में)

विवरण	31.03.2024 को यथास्थिति	31.03.2023 को यथास्थिति
संबंधित पार्टियों / प्रमोटरों / निदेशकों / केएमपी के लिए		
कंपनी के निदेशक		0.12
अन्य		
अन्य कर्मचारी	-	0.07
एनएसडीएल	0.04	-
कुल	0.04	0.19

टिप्पणी-7: निवेश

(लाख रु. में)

विवरण	31.03.2024 को यथास्थिति	31.03.2023 को यथास्थिति
परिशोधन लागत पर	0.00	0.00
एसआरआई निधि में निवेश	56.91	28.36
कुल	56.91	28.36

टिप्पणी-8: अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

(लाख रु. में)

विवरण	31.03.2024 को यथास्थिति	31.03.2023 को यथास्थिति
सावधि जमा पर अर्जित ब्याज	10.17	7.41
आत्मनिर्भर भारत निधि से वसूली योग्य	148.56	613.68
कुल	158.73	621.09

टिप्पणी-9: वर्तमान कर संपत्ति (शुद्ध)

(लाख रु. में)

विवरण	31.03.2024 को यथास्थिति	31.03.2023 को यथास्थिति
अग्रिम कर	70.23	110.00
जोड़ें: टीडीएस	62.94	53.11
घटाएं: प्रोव. टैक्स के लिए	124.00	102.00
वर्तमान कर संपत्ति (शुद्ध)	9.17	61.11

टिप्पणी-10: वर्तमान कर देयताएं (निवल)

(लाख रु. में)

विवरण	31.03.2024 को यथास्थिति	31.03.2023 को यथास्थिति
आस्थगित कर परिसंपत्तियां		
- आयकर प्रावधानों के अनुसार परिशोधित व्यय	7.02	10.53
वित्तीय पुस्तकों में प्रावधान कर में लंबित भत्ता	1.92	0.77
सकल आस्थगित कर परिसंपत्तियां (क)	8.94	11.30
आस्थगित कर देयताएं		
- मूल्यह्रास और परिशोधन	0.08	0.02
सकल आस्थगित कर देयताएं (ख)	0.08	0.02
मान्यता प्राप्त निवल आस्थगित कर परिसंपत्ति (क-ख)		
कुल	8.86	11.28



टिप्पणी-11: संपत्ति, संयंत्र और उपकरण-मूर्त

(लाख रु. में)

विवरण	सकल ब्लॉक					मूल्यहास				नेट ब्लॉक		
	01.04. 2023 को लागत	परिवर्धन	बिक्री/ समायोजन	अन्य समायोजन	लागत 31. 03.2024 तक	01.04. 2023 तक	इस वर्ष के लिए	वापस लिखा	अन्य समायोजन	31.03. 2024 तक	31.03. 2024 तक	31.03. 2023 तक
भूमि फ्रीहोल्ड					-						-	-
इमारत					-					-	-	-
संयंत्र एवं मशीनरी					-					-	-	-
जेनरेटर	-				-					-	-	-
विद्युत स्थापना			-		-					-	-	-
कार्यालय उपकरण	0.93	10.32	-		11.25		0.95	-		0.95	10.30	0.93
फर्निचर एवं फिक्सचर	0.79	9.16			9.95	0.02	0.23	-		0.25	9.70	0.77
वाहनों					-					-	-	-
कंप्यूटर और सहायक उपकरण	1.83	1.87	-		3.70	0.67	0.88	-		1.55	2.15	1.16
मोबाइल फोन	0.74		-		0.74	0.15	0.34	-		0.49	0.25	0.59
इस साल	4.29	21.35	-	-	25.64	0.84	2.40	-	-	3.24	22.40	3.45
पिछले साल	1.01	3.28	-	-	4.29	0.33	0.51	-	-	0.84	-	3.45
पूँजी—डब्ल्यूआईपी	-	-	-		-	-	-	-		-	-	
पिछले साल												

टिप्पणी-11: संपत्ति, संयंत्र और उपकरण-अमूर्त

(लाख रु. में)

विवरण	सकल ब्लॉक					मूल्यहास				नेट ब्लॉक		
	01.04. 2023 को लागत	परिवर्धन	बिक्री/ समायोजन	अन्य समायोजन	लागत 31. 03.2024 तक	01.04. 2023 तक	इस वर्ष के लिए	वापस लिखा	अन्य समायोजन	31.03. 2024 तक	31.03. 2024 तक	31. 03. 2023 तक
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर लाइसेंस	0.00	0.13	-		0.13	-	0.01	-		0.01	0.12	0.00
इस साल	0.00	0.13	-	-	0.13	-	0.01	-	-	0.01	0.12	0.00
पिछले साल	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00

टिप्पणी-12: अन्य गैर वित्तीय परिसंपत्तियां

(लाख रु. में)

विवरण	31.03.2024 को यथास्थिति	31.03.2023 को यथास्थिति
सरकारी प्राधिकरणों में शेष		
एसजीएसटी का उपयोग नहीं किया गया	0.51	0.00
सीजीएसटी का उपयोग नहीं किया गया	0.51	0.00
एसजीएसटी 2 बी में प्रतिबिंबित नहीं हो रहा है	0.095	0.000
सीजीएसटी 2बी में प्रतिबिंबित नहीं हो रहा है	0.095	0.000
आयकर रिफंड निर्धारण वर्ष 2023-24	4.11	0.00
कुल	5.32	0.00

टिप्पणी-13: देय

(लाख रु. में)

विवरण	31.03.2024 को यथास्थिति	31.03.2023 को यथास्थिति
व्यापार देय		
(i) सूक्ष्म और लघु उद्यमों की बकाया कुल देयताएं	0	-
(ii) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा लेनदारों की बकाया कुल देयताएं	0	-
कुल	0	-

टिप्पणी: ऐसा कोई भी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम नहीं है, जिसके लिए कंपनी की बकाया राशि वर्ष के दौरान 45 दिनों से अधिक के लिए बकाया हो। ऐसी सूचना, जिसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत प्रकट करने की आवश्यकता हो, आपूर्तिकर्ता की स्थिति के बारे में कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर इस तरह की पार्टियों की पहचान की गई है। इसके अतिरिक्त, इस प्रकार की किसी भी पार्टी के भुगतान करने के लिए कोई भी ब्याज बकाया नहीं है। सांविधिक लेखा-परीक्षा शुल्क के प्रावधान के सूक्ष्म, और लघु उद्यम के बकाया के रूप में वर्गीकृत किया गया है, क्योंकि लेखा फर्म एक सूक्ष्म उद्यम है, तथापि, कोई भी बकाया देय नहीं है चूंकि वास्तविक भुगतान लेखा परीक्षा को पूरा होने पर चालान जारी करने पर देय हो जाएगा।

13.1 व्यापार देय काल प्रभाव

भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया

क्र.सं.	विवरण	31.03.2024 को यथास्थिति	31.03.2023 को यथास्थिति	6 महीने – 1 वर्ष	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक	कुल
1	एमएसएमई	0.00	-	-	-	-	-	-
2	अन्य	0.00	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
3	विवादित देय बकाया – एमएसएमई	0.00	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
4	विवादित देय बकाया – अन्य	0.00	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
5	बिल नहीं किए गए बकाया – एमएसएमई	0.00	-	-	-	-	-	-
6	बिल नहीं किए गए बकाया – अन्य	0.00	-	-	-	-	-	-
	कुल	0.00	-	-	-	-	-	(-)
			-	(-)	(-)	(-)	(-)	-

पिछली अवधि की रकम (कोष्ठक) में बताई गई है

टिप्पणी-14: अन्य वित्तीय देयताएं

(लाख रु. में)

विवरण	31.03.2024 को यथास्थिति	31.03.2023 को यथास्थिति
सांविधिक बकाया देय	4.79	97.36
अन्य देय – कर्मचारी	3.96	1.19
व्ययों के लिए वर्तमान देनदारियाँ	21.60	322.52
सुरक्षा जमा रशि	2.02	0.00
अन्य देय – पीआरपी (कर्मचारी – निदेशक)	26.13	7.97
कुल	58.50	429.04



टिप्पणी-15: वर्तमान कर देयताएं (निवल)

(लाख रु. में)

विवरण	31.03.2024 को यथास्थिति	31.03.2023 को यथास्थिति
टीडीएस काटा गया	-	-
आय कर के लिए प्रावधान	-	-
घटाएं: भुगतान किया गया आयकर	-	-
कुल	-	-

टिप्पणी-16: प्रावधान

(लाख रु. में)

विवरण	31.03.2024 को यथास्थिति	31.03.2023 को यथास्थिति
ग्रेजुटी के लिए	1.88	0.53
अवकाश नकदीकरण के लिए	3.51	1.06
अर्ध वेतन अवकाश के लिए	1.07	0.28
टीए के लिए	0.00	0.00
कुल	6.46	1.87

टिप्पणी-17: इक्विटी शेयर पूंजी

(लाख रु. में)

विवरण	31.03.2024 को यथास्थिति	31.03.2023 को यथास्थिति
(क) प्राधिकृत शेयर पूंजी		
रु. 100 प्रति का 10,000,000 इक्विटी शेयर	1,000.00	1,000.00
कुल	1,000.00	1,000.00
(ख) जारी, सब्सक्राइब और भुगतान की गई शेयर पूंजी		
रु. 100 प्रति का 6,00,000 इक्विटी शेयर	600.00	600.00
कुल	600.00	600.00

(ग) वर्ष के आरंभ में अंत में बकाया शेयरों की संख्या का मिलान:

(लाख रु. में)

विवरण	31.03.2024 को यथास्थिति		31.03.2023 को यथास्थिति	
	शेयरों की संख्या	राशि	शेयरों की संख्या	राशि
वर्ष के आरंभ में शेष राशि				
जोड़/ (घटाएँ) : वर्ष के दौरान जारी	6,00,000	600.00	6,00,000	600.00
वर्ष के दौरान शेयर वापस खरीदे गए	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया शेयर	6,00,000	600.00	6,00,000	600.00

(घ) 5 प्रतिशत से अधिक शेयर रखने वाले प्रत्येक शेयरधारक के पास कंपनी में इक्विटी शेयर और धारित इक्विटी शेयरों की संख्या निम्नानुसार है:

(लाख रु. में)

विवरण	31.03.2024 को यथास्थिति		31.03.2023 को यथास्थिति	
	शेयरों की संख्या	कुल प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कुल प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी प्रतिशत
राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एनएसआईसी)	600000*	100	600000*	100
कुल	600000	100	600000	100

*कंपनी के नामित व्यक्ति के रूप में अन्य लोगों द्वारा रखे गए 6 शेयर इसमें शामिल हैं।

(ड) होल्डिंग कंपनी द्वारा रखे गए शेयरों की संख्या

(लाख रु. में)

विवरण	31.03.2024 को यथास्थिति	31.03.2023 को यथास्थिति
राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एनएसआईसी)	600000*	600000*
कुल	600000	600000

*कंपनी के नामित व्यक्ति के रूप में अन्य लोगों द्वारा रखे गए 6 शेयर इसमें शामिल हैं।

(च) इक्विटी शेयरों से जुड़े नियम और अधिभार:

कंपनी के पास इक्विटी शेयरों का केवल एक वर्ग है, जिसमें प्रतिशेयर 100 रु. का है। इक्विटी शेयरों का प्रत्येक शेयर धारक एक वोट का हकदार है।

कंपनी के परिसमापन की स्थिति में, इक्विटी शेयर धारक सभी अधिमान्य राशियों के वितरण के बाद कंपनी की शेष संपत्ति प्राप्त करने के हकदार होंगे। वितरण शेयरधारकों द्वारा रखे गए इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में होगा।

(छ) बोनस शेयर:

स्थापना के बाद से कोई भी बोनस शेयर जारी नहीं किया गया है।

(ज) प्रमोटर और प्रमोटर समूह का विवरण:

वर्ष के अंत में प्रमोटर और प्रमोटर समूह द्वारा धारित शेयर

प्रमोटर और प्रमोटर समूह का नाम	31.03.2024 को यथास्थिति		31.03.2023 को यथास्थिति		31.03.2022 को यथास्थिति		इस अवधि के दौरान परिवर्तन का प्रतिशत
	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का प्रतिशत	
राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एनएसआईसी)	6,00,000	100%	6,00,000	100%	6,00,000	100%	0%
कुल	6,00,000	100%	6,00,000	100%	6,00,000	100%	0%

टिप्पणी-18: अन्य इक्विटी

(लाख रु. में)

विवरण	31.03.2024 को यथास्थिति	31.03.2023 को यथास्थिति
प्रतिधारित आय/संचित हानि		
अवधि के आरम्भ में शेष	375.75	129.17
अवधि के लिए लाभ/(हानि)	374.68	303.66
वर्ष 2022-23 के लिए लाभांश भुगतान	-91.10	-57.08
अवधि के अंत में शेष राशि	659.33	375.75

टिप्पणी-19: प्रचालनों से राजस्व

(लाख रु. में)

विवरण	31.03.2024 को यथास्थिति	31.03.2023 को यथास्थिति
एसआरआई निधि से प्रबंधन शुल्क	570.17	386.66
ब्याज आय	23.83	26.46
कुल	594.00	413.12

टिप्पणी-20: अन्य आय

(लाख रु. में)

विवरण	31.03.2024 को यथास्थिति	31.03.2023 को यथास्थिति
बैंक में जमा सावधि जमा पर अर्जित ब्याज	3.10	0.06
एसआरआई निधि की ओर से किए गए खर्चों की प्रतिपूर्ति	128.93	39.72*
कुल	132.03	39.78

*वित्तीय वर्ष के दौरान, 2022-23 व्यय और आय रु. 73.64 लाख का शुद्ध लाभ हुआ

टिप्पणी-21: कर्मचारी लाभ व्यय

(लाख रु. में)

विवरण	31.03.2024 को समाप्त अवधि के लिए	31.03.2023 को समाप्त अवधि के लिए
निदेशक:		
वेतन एवं भत्ते	39.59	17.38
को योगदान:-		
भविष्य निधि	3.15	1.44
सेवानिवृत्ति योजना/पेंशन योजना/ईडीएलआई	2.91	1.19
ग्रेव्यूटी	1.33	0.53
कुल	46.98	20.54
अन्य लाभ:-		
नकदीकरण छोड़े	2.45	1.06
अर्ध वेतन अवकाश	0.79	0.28
चिकित्सा	-	0.37
प्रदर्शन संबंधी वेतन (पीआरपी)	18.17	7.97
कुल अन्य लाभ:-	21.41	9.68
कुल	68.39	30.22

टिप्पणी-22: मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय

(लाख रु. में)

विवरण	31.03.2024 को समाप्त अवधि के लिए	31.03.2023 को समाप्त अवधि के लिए
संपत्ति संयंत्र उपकरण	2.40	0.51
अमूर्त आस्तियों का परिशोधन	0.01	-
लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार	2.41	0.51

टिप्पणी-23: अन्य व्यय

(लाख रु. में)

विवरण	31.03.2024 को समाप्त अवधि के लिए	31.03.2023 को समाप्त अवधि के लिए
चिकित्सा के खर्चे	0.56	-
जनशक्ति समर्थन लागत	94.45	-
भर्ती व्यय	4.21	0.47
ब्याज/शुल्क/दंड/सांविधिक बकाया के लिए	2.52	7.03
कानूनी पेशेवर शुल्क	2.53	1.98
यात्रा, वाहन और वाहन प्रभार	0.86	0.27
लेखा परीक्षकों को भुगतान – सांविधिक लेखा परीक्षा व्यय	1.26	0.50
सुरक्षा और संबंध सेवाएं	16.23	-
मुद्रण और लेखन सामग्री पर व्यय	1.10	0.87
डीमेट शुल्क	0.33	-
किराया भुगतान	17.07	-
संचार व्यय	0.25	0.05
विविध व्यय	0.27	0.69
कम्प्यूटरों की मरम्मत एवं रख-रखाव	2.38	1.04
निदेशक अन्य व्यय	8.35	2.54
व्यापार संवर्धन	1.11	1.10
व्यय की पूर्ति	0.69	-
कुल	154.17	16.54*

वित्तीय वर्ष 2022-2023 के दौरान व्यय और आय रु. 73.64 लाख का शुद्ध लाभ हुआ।

टिप्पणी-24: कर व्यय

(लाख रु. में)

विवरण	31.03.2024 को समाप्त अवधि के लिए	31.03.2023 को समाप्त अवधि के लिए
वर्तमान कर		
इस अवधि की कर योग्य राशि पर वर्तमान कर	124.00	102.00
कुल वर्तमान कर	124.00	102.00
पिछले वर्ष के करों का समायोजन		
आयकर का पुनर्लिखित अतिरिक्त प्रावधान	-0.05	-0.56
कुल पूर्व वर्षों के कर	-0.05	-0.56
आस्थगित कर क्रेडिट		
अस्थायी विसंगतियों की उत्पत्ति		
कुल आस्थगित कर क्रेडिट	2.42	0.53
कुल	126.37	101.97

आयकर में वर्तमान कर और आस्थगित कर शामिल है। वर्तमान कर को आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार वर्ष के लिए देय आय के संबंध में भुगतान की जाने वाली अपेक्षित राशि पर मापा जाता है और यदि को अधिकता अथवा कमी होती है तो, उसे परिसंपत्तियों को अंतिम रूप देते समय समायोजित कर लिया जाता है। देशी कंपनियों को कम कॉर्पोरेट कर दर का लाभ देने के लिए आयकर अधिनियम, 1961 में धारा 115बीए को जोड़ा गया है। धारा 115बीए में कहा गया है कि देशी कंपनियों के पास विकल्प है कि वे वित्त वर्ष 2019-20 (मूल्यांकन वर्ष 2020-21) से 22 प्रतिशत की दर से कर का भुगतान कर सकती हैं यदि ये देशी कंपनियों इसमें निर्दिष्ट कुछ निश्चित शर्तों का पालन करती हैं। कंपनी ने चालू अवधि के लिए इस सुविधा का लाभ प्राप्त किया है और खाता वहीं में तदनुसार कर प्रावधान किए गए हैं।



टिप्पणी : 24.1 लाभ और हानि के विवरण में रिपोर्ट किए गए आयकर व्यय हेतु सांविधिक दर पर अनुमानित कर व्यय का समायोजन

(लाख रु. में)

विवरण	31.03.2024 को समाप्त अवधि के लिए	31.03.2023 को समाप्त अवधि के लिए
कर से पहले लाभ/(हानि)	501.06	405.63
भारत में कंपनियों पर लागू होने वाली अधिनिगमित आय कर दर	25.17%	25.17%
परिकलित कर व्यय	126.12	102.09
लागू कर:		
कर योग्य लाभ निर्धारित करने में कटौती योग्य व्यय	-4.18	-3.65
कर योग्य लाभ निर्धारित करने में कटौती न करने योग्य व्यय	2.06	3.56
चालू का प्रावधान	124.00	102.00
आयकर का पुनर्लिखित अतिरिक्त प्रावधान	-0.05	-0.56
आस्थगित कर क्रेडिट	2.42	0.53
लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त कर व्यय	126.37	101.97

आयकर व्यय में चालू कर और आस्थगित कर शामिल हैं। चालू कर की गणना आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार वर्ष के लिए कर योग्य आय के संबंध में भुगतान की जाने वाली अपेक्षित राशि पर की जाती है और यदि कोई अतिरिक्त या कमी है, तो उसे मूल्यांकन के अंतिम रूप देने पर समायोजित किया जाता है। घरेलू कंपनियों के लिए कम कॉर्पोरेट कर दर का लाभ देने के लिए आयकर अधिनियम, 1961 में धारा 115बीएए डाली गई है। धारा 115बीएए में कहा गया है कि घरेलू कंपनियों के पास वित्त वर्ष 2019-20 (एवाई 2020-21) से 22% की दर से कर का भुगतान करने का विकल्प है, बशर्ते ऐसी घरेलू कंपनियां निर्दिष्ट कुछ शर्तों का पालन करें। कंपनी ने चालू अवधि में इसका लाभ उठाया है और खातों की पुस्तकों में तदनुसार कर प्रावधान किया गया है।

टिप्पणी-25: प्रतिशेयर आय

(लाख रु. में)

विवरण	31.03.2024 को समाप्त अवधि के लिए	31.03.2023 को समाप्त अवधि के लिए
(क) इक्विटी शेयर धारकों के कारण शुद्ध लाभ/(हानि)	374.68	303.66
(ख) प्रति शेयर मूल कमाई के लिए इक्विटी शेयर की भारित औसत संख्या	6,00,000	6,00,000
तनुकृत की प्रभाव*		
(ग) तनुकृत आय प्रति शेयर के लिए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	6,00,000	6,00,000
प्रति शेयर आय (मूल) (रु.) (ए/बी)	62.45	50.61
प्रति शेयर आय (तनुकृत) (रु.) (ए/सी)	62.45	50.61

*प्रतिवेदन अवधि के दौरान कंपनी के पास कोई संभावित रूप से कमजोर प्रतिभूतियां नहीं थीं।

खाते के लिए अन्य टिप्पणियाँ: – नोट 26

1. सामग्री लेखांकन नीति में परिवर्तन

वित्तीय विवरण के पाठकों के बेहतर चित्रण और समझ के लिए लेखांकन नीतियों को फिर से तैयार किया गया है। हालाँकि, लेखांकन नीति में मोबाइल फोन के उपयोगी जीवन को छोड़कर कोई बदलाव नहीं हुआ है जिसे तीन साल से घटाकर 2 साल कर दिया गया है। इस परिवर्तन के कारण वर्ष के लिए मूल्यह्रास में रु. 0.11 लाख की वृद्धि हुई है।

2. संबंधित पार्टियों का विवरण

क. संबंधित पार्टियों के नाम और उनसे संबंधों की प्रकृति :	
संबंध का विवरण	संबंधित पार्टी का नाम
होलिडिंग कंपनी	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड
एनवीसीएफएल की पहली एआईएफ योजना	आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) निधि
मुख्य प्रबंधन कार्मिक (केएमपी)	सुश्री मर्सी एपाओ चेयरपर्सन 1.04.2023 से 30.06.2023 तक
	श्री विपुल गोयल अध्यक्ष 1.07.2023 से 31.03.2024 तक
	श्री सरवण कुमार अनणथन (निदेशक और सीईओ)
	श्रीमती निष्ठा गोयल (कंपनी सचिव)

क. कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक श्री सरवण कुमार अनणथन (निदेशक और सीईओ) के साथ वर्ष के दौरान लेनदेन

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	लेन-देन की प्रकृति	2023-24	2022-23
1.	व्यय:		
क)	वेतन एवं भत्ते	39.59	17.38
ख)	अवकाश/एलटीसी नकदीकरण	—	—
ग)	भविष्य निधि अंशदान	3.15	1.43
घ)	पेंशन योजना में योगदान	2.91	1.19
ङ)	अन्य खर्च	0.32	0.16
च)	चिकित्सा के खर्चे	—	0.37
छ)	सेवांत लाभ के लिए प्रावधान	4.59	1.87
2.	बकाया राशि		
क)	ऋण एवं ब्याज बकाया	0	0.12
ख)	बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार अंतिम लाभ का प्रावधान	6.46	1.87
3.	अन्य भुगतान	—	—

टिप्पणी:—

- एनवीसीएफएल के सीईओ और निदेशक श्री सरवण कुमार अनणथन को वेतन और अन्य भत्ते का भुगतान किया गया है।
- किसी अन्य प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक को किसी भी प्रकार का कोई भुगतान नहीं किया गया है।

ख. वर्ष के दौरान संबंधित पार्टियों के नाम और लेनदेन की प्रकृति

राशि (लाख रु. में)

संबंधित पार्टी का नाम	लेन-देन की प्रकृति	31 मार्च, 2024 को समाप्त अवधि	31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि
होलिडिंग कंपनी	कंपनी की ओर से संबंधित पार्टी द्वारा किए गए व्यय के किए की गई प्रतिपूर्ति		
	जनशक्ति समर्थन लागत	110.33	60.26
	भुगतान किया गया किराया	17.07	5.93
	यात्रा, वाहन स्थिर संचार आदि	0.85	3.83
	एसआरआई फंड में योगदान	5.86	3.73
एसआरआई निधि	निवेश किया गया	28.55	19.45
	प्रबंधन शुल्क प्राप्त हुआ	570.17	386.66
	फंड एसआरआई फंड की ओर से एनवीसीएफएल द्वारा किया गया व्यय (प्रतिपूर्ति योग्य)	128.93	551.53

ग. संबंधित पार्टी लेनदेन के लिए बकाया राशि का विवरण

राशि (लाख रु. में)

संबंधित पार्टी का नाम	लेन-देन की प्रकृति	31 मार्च, 2024 को समाप्त अवधि	31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि
होलिडिंग कंपनी	अन्य वित्तीय दायित्व	18.44	80.24
	इक्विटी में योगदान	600.00	600.00
एसआरआई निधि	निवेश	56.91	28.36
	अन्य वित्तीय परिसंपत्ति	148.56	613.68

घ. संबंधित पार्टियों के साथ लेन-देन उन शर्तों के बराबर किया जाता है जो सामान्यतः लेनदेन में प्रचलित होते हैं। उपरोक्त सभी मूल्य (टिप्पणी संख्या 2 [ख]) जहाँ लागू हो, जीएसटी के बिना हैं।

3. लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त राशि

31.03.2024 को समाप्त अवधि के दौरान, परिचालन पट्टे की प्रकृति में पट्टा किराया रु. 17.07 लाख को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी गई है। 31.03.2023 को समाप्त

अवधि के लिए, रु. 5.93 लाख का पट्टा किराया लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी गई थी जिसे एसआरआई फंड से खर्चों की वसूली के खिलाफ सेट किया गया था।

चूंकि लीज एक रद्द करने योग्य लीज है, इसलिए परिसंपत्तियों के उपयोग के अधिकार को वित्तीय विवरणों में मान्यता नहीं दी गई है।

4. एसआरआई फंड की स्थापना

कंपनी को एमएसएमई क्षेत्र के विकास के लिए भारत सरकार की योजना – सेल्फ रिलाएंट इंडिया (एसआरआई) फंड के कार्यान्वयन हेतु

स्थापित किया गया है। चूंकि कंपनी ने सेबी से श्रेणी-II वैकल्पिक निवेश कोष के रूप में अनुमोदन प्राप्त किया था, एसआरआई फंड हमेशा एक ऐसी योजना के रूप में था, जिसे केवल कंपनी द्वारा प्रशासित किया जाए, लेकिन इसकी अपनी एक अलग पहचान थी। अपने कानूनी सलाहकारों के साथ विचार-विमर्श के उपरान्त, कंपनी को आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार एसआरआई फंड को 'एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स' (व्यक्तियों का संघ) के रूप में स्थापित करने की सलाह दी गई, जिससे निधि में योगदानकर्ता अर्थात् भारत सरकार, एनएसआईसी और कंपनी, दिनांक 12 अक्टूबर 2021 के योगदान समझौते की शर्तों के अनुसार सदस्य होंगे।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (बी) के तहत वित्तीय वर्ष 22-23 के लिए एनवीसीएफएल का ऑडिट करते समय, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने एनवीसीएफएल और एसआरआई फंड की संरचना के संबंध में कुछ सवाल उठाए थे। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमओ एमएसएमई), प्रशासनिक मंत्रालय से स्पष्टीकरण मांगने के लिए, एक पत्र क्रमांक एनवीसीएफएल/एमएसएमई/जेईएन कॉम-मेल/20232-24/96/458 दिनांक 15.01.2024 प्रशासनिक को लिखा गया था। मंत्रालय ने अपने पत्र संख्या एफ.नं.1(64)/आई-एफ/दिशानिर्देश/2020-21 भाग III (सी.नं. 4019843) दिनांक 27.05.2024 के माध्यम से सीएजी द्वारा उठाए गए मुद्दों को उद्देश्यों को संशोधित करके संबोधित किया गया है (एसआरआई फंड दिशानिर्देशों के बिंदु संख्या 2) और कानूनी और शासन संरचना (एसआरआई फंड दिशानिर्देशों के बिंदु संख्या 9(बी) खंड)।

5. कर्मचारी लाभ: – भारतीय लेखाकन मानक 19 के अनुसार प्रकटीकरण

कंपनी ने निम्नलिखित रोजगारोत्तर योजनाएं प्रदान की हैं जैसे:

- (क) परिभाषित लाभ योजनाएं जैसे ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण और सेवानिवृत्ति पर टीए। और
- (ख) परिभाषित योगदान योजनाएं जैसे भविष्य निधि और सेवानिवृत्ति पेंशन योजना।

परिभाषित-लाभ योजना: परिभाषित लाभ योजना के संबंध में बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त देयता या परिसंपत्ति रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिभाषित लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य है, जिसमें योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य कम है। परिभाषित लाभ दायित्वों की गणना अनुमानित इकाई क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके बीमांकिक मूल्यांकन के माध्यम से वार्षिक रूप से की जाती है।

परिभाषित योगदान योजना

परिभाषित योगदान योजनाओं, भविष्य निधि और सेवानिवृत्ति पेंशन योजना के तहत, कंपनी अलग-अलग निधियों में पूर्व-निर्धारित राशि का भुगतान करती है और अतिरिक्त भुगतान करने के लिए कोई कानूनी या अनौपचारिक बाध्यता नहीं है। परिभाषित योगदान योजनाओं के लिए कंपनी के भुगतान को उस अवधि के दौरान खर्चों के रूप में पहचाना जाता है जिसमें कर्मचारी भुगतान द्वारा कवर की गई सेवाएं प्रदान करते हैं।

उपरोक्त मामलों के संबंध में बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार निर्धारित प्रकटीकरण नीचे दिया गया है:-

(लाख रुपए में)

विवरण	सीवाई / पीवाई	उपदान	अर्जित छुट्टी	रुग्णता छुट्टी	सेवानिवृत्ति पर
अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	सीवाई	1.88	3.51	1.07	0
	पीवाई	0.53	1.06	0.28	0

सेवा लागत

(लाख रुपए में)

विवरण	सीवाई / पीवाई	उपदान	अर्जित छुट्टी	रुग्णता छुट्टी	सेवानिवृत्ति पर
चालू सेवा लागत	सीवाई	1.29	2.42	0.73	0
	पीवाई	0.53	1.06	0.28	0
कटौती लाभों/हानियों सहित पिछली सेवा लागत	सीवाई	0	0	0	0
	पीवाई	0	0	0	0
गैर-नैत्यक करारों पर लाभ या हानियाँ	सीवाई	0	0	0	0
	पीवाई	0	0	0	0
कुल सेवा लागत	सीवाई	1.29	2.42	0.73	0
	पीवाई	0.53	1.06	0.28	0

निवल ब्याज लागत

(लाख रुपए में)

विवरण	सीवाई / पीवाई	उपदान	अर्जित छुट्टी	रुग्णता छुट्टी	सेवानिवृत्ति पर
सुनिश्चित लाभ दायित्व पर ब्याज लागत	सीवाई	0.04	0.08	0.02	0
	पीवाई	0	0	0	0
योजना परिसंपत्तियों पर ब्याज आय	सीवाई	0	0	0	0
	पीवाई	0	0	0	0
निवल ब्याज लागत (आय)	सीवाई	0.04	0.08	0.02	0
	पीवाई	0	0	0	0

लाभ दायित्व में परिवर्तन

(लाख रुपए में)

विवरण	सीवाई / पीवाई	उपदान	अर्जित छुट्टी	रुग्णता छुट्टी	सेवानिवृत्ति पर
अवधि के आरंभ में दायित्व का वर्तमान मूल्य	सीवाई	0.53	1.06	0.28	0
	पीवाई	0	0	0	0
ब्याज लागत (आय)	सीवाई	0.04	0.08	0.02	0
	पीवाई	0	0	0	0

विवरण	सीवाई / पीवाई	उपदान	अर्जित छुट्टी	रुग्णता छुट्टी	सेवानिवृत्ति पर
ब्याज लागत (आय)	सीवाई	1.29	2.42	0.73	0
	पीवाई	0.53	1.06	0.28	0
पुनः मापन	सीवाई		(.05)		0
	पीवाई				0
कटौती लाभों/हानियों सहित पिछली सेवा लागत	सीवाई	0	0	0	0
	पीवाई	0	0	0	0
भुगतान किए गए लाभ	सीवाई	0	0	0	0
	पीवाई	0	0	0	0
दायित्व पर कुल बीमांकिक (लाभ)/हानि	सीवाई	.017	0	0.04	0
	पीवाई	0	0	0	0
अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	सीवाई	1.88	3.51	1.07	0
	पीवाई	0.53	1.06	0.28	0

दायित्व पर बीमांकिक लाभ/हानि का अलग-अलग विवरण

(लाख रुपए में)

विवरण	सीवाई / पीवाई	उपदान	अर्जित छुट्टी	रुग्णता छुट्टी	सेवानिवृत्ति पर
जनसांख्यिकीय अनुमान में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	सीवाई	0	0	0	0
	पीवाई	0	0	0	0
वित्तीय अनुमान में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	सीवाई	0.01	0.01	0	0
	पीवाई	0	0	0	0
अनुभव समायोजन से उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	सीवाई	0.01	(0.06)	0.03	0
	पीवाई	0	0	0	0

तुलन-पत्र और संबंधित विश्लेषण

(लाख रुपए में)

विवरण	सीवाई / पीवाई	उपदान	अर्जित छुट्टी	रुग्णता छुट्टी	सेवानिवृत्ति पर
अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	सीवाई	1.88	3.51	1.07	-
	पीवाई	0.53	1.06	0.28	0
योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	सीवाई	-	-	-	-
	पीवाई	-	-	-	-
तुलन-पत्र में अनिधिकृत देयता/प्रावधान	सीवाई	(1.88)	(3.51)	(1.07)	-
	पीवाई	(0.53)	(1.06)	(0.28)	0

आय विवरण में मान्यता प्राप्त धनराशियाँ

(लाख रुपए में)

विवरण	सीवाई / पीवाई	उपदान	अर्जित छुट्टी	रुग्णता छुट्टी	सेवानिवृत्ति पर
कुल सेवा लागत	सीवाई	1.29	2.42	0.73	0
	पीवाई	0.53	1.06	0.28	0
निवल ब्याज लागत	सीवाई	0.04	0.08	0.02	0
	पीवाई	0	0	0	0
अवधि में मान्यताप्राप्त निवल बीमांकिक (लाभ) / हानि	सीवाई	0	(.05)	.04	0
	पीवाई	0	0	0	0
आय विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	सीवाई	1.33	2.45	0.79	0
	पीवाई	0.53	1.06	0.28	0

अन्य व्यापक आय (ओसीआई)

(लाख रुपए में)

विवरण	सीवाई / पीवाई	उपदान	अर्जित छुट्टी	रुग्णता छुट्टी	सेवानिवृत्ति पर
आरंभिक निवल संचयी गैर-मान्यताप्राप्त बीमांकिक लाभ / (हानि)	सीवाई	0	0	0	0
	पीवाई	0	0	0	0
पीबीओ पर वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ / (हानि)	सीवाई	(.02)	0	0	(0)
	पीवाई	0	0	0	0
परिसंपत्ति पर वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ / (हानि)	सीवाई	0	0	0	0
	पीवाई	0	0	0	0
अवधि के लिए गैर-मान्यता प्राप्त बीमांकिक लाभ / (हानि)	सीवाई	(.02)	0	0	0
	पीवाई	0	0	0	0

निवल सुनिश्चित लाभ दायित्व में परिवर्तन

(लाख रुपए में)

विवरण	सीवाई / पीवाई	उपदान	अर्जित छुट्टी	रुग्णता छुट्टी	सेवानिवृत्ति पर
अवधि के आरंभ में निवल सुनिश्चित लाभ देयता	सीवाई	0.53	1.06	0.28	0
	पीवाई	0	0	0	0
अधिग्रहण समायोजन	सीवाई	0	0	0	0
	पीवाई	0	0	-	-
कुल सेवा लागत	सीवाई	1.29	2.42	0.73	0
	पीवाई	0.53	1.06	0.28	0
निवल ब्याज लागत (आय)	सीवाई	0.04	0.08	0.02	0
	पीवाई	0	0	0	0

विवरण	सीवाई / पीवाई	उपदान	अर्जित छुट्टी	रुग्णता छुट्टी	सेवानिवृत्ति पर
पुनर्मापण	सीवाई	.002	(.05)	.04	0
	पीवाई	0	0	0	0
निधि में भुगतान किया गया अंशदान	सीवाई	-	-	-	-
	पीवाई	-	-	-	-
उद्यम द्वारा प्रत्यक्ष रूप से भुगतान किया गया लाभ	सीवाई	-	-	-	-
	पीवाई	-	-	-	-
अवधि के अंत में निवल सुनिश्चित लाभ देयता	सीवाई	1.88	3.51	1.07	0
	पीवाई	0.53	1.06	0.28	0

वर्तमान और गैर-वर्तमान में वर्ष के अंत में पीबीओ का द्विभाजन

(लाख रुपए में)

विवरण	सीवाई / पीवाई	उपदान	अर्जित छुट्टी	रुग्णता छुट्टी	सेवानिवृत्ति पर
वर्तमान देयता (एक वर्ष के भीतर राशि)	सीवाई	0.02	0.18	0.15	0
	पीवाई	.005	0.07	0.04	0
गैर-वर्तमान देयता (एक वर्ष से अधिक राशि)	सीवाई	1.86	3.34	0.92	0
	पीवाई	0.52	0.99	0.24	0
अवधि के अंत में कुल पीबीओ	सीवाई	1.88	3.51	1.07	0
	पीवाई	0.53	1.06	0.28	0

अगली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए प्रत्याशित अंशदान

(लाख रुपए में)

विवरण	सीवाई / पीवाई	उपदान	अर्जित छुट्टी	रुग्णता छुट्टी	सेवानिवृत्ति पर
सेवा लागत	सीवाई	1.45	2.64	0.79	-
	पीवाई	1.31	2.57	0.68	0
निवल ब्याज लागत	सीवाई	0.14	0.25	0.08	-
	पीवाई	0.04	0.08	0.02	0
अगली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए प्रत्याशित व्यय	सीवाई	1.59	2.89	0.87	-
	पीवाई	1.35	2.65	.070	0

बीमांकिक मूल्यांकन के लिए उपयोग किए गए प्रधान अनुमान निम्नलिखित हैं:

विवरण	2023-24	2022-23
उपयोग की गई पद्धति	अनुमानित इकाई क्रेडिट पद्धति	अनुमानित इकाई क्रेडिट पद्धति
बढ़ा दर	7.23%	7.38%

विवरण	2023-24	2022-23
योजनागत परिसंपत्ति पर लाभ की प्रत्याशित दर	0	0
भावी वेतन में वृद्धि	5.50%	5.50%
मर्त्यता दर	100% प्रतिशत आईएएलएम (2012-14)	100% प्रतिशत आईएएलएम (2012-14)
आयु (आहरण दर) (प्रतिशत)		
30 वर्ष तक	3	3
31 से 44 वर्ष तक	2	2
44 वर्ष से अधिक	1	1

सुनिश्चित लाभ दायित्व की संवेदनशीलता

(लाख रुपए में)

विवरण	सीवाई / पीवाई	उपदान	अर्जित छुट्टी	रुग्णता छुट्टी
बढ़ा दर में परिवर्तन का प्रभाव				
अवधि के अंत में दायित्व को वर्तमान मूल्य	1.88	3.51	1.07	0
0.50 प्रतिशत की वृद्धि के कारण प्रभाव	(.02)	(.04)	(.010)	0
0.50 प्रतिशत की कमी के कारण प्रभाव	.02	.04	.010	0
वेतन की वृद्धि में परिवर्तन का प्रभाव				
अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	1.88	3.51	1.07	-
0.50 प्रतिशत की वृद्धि के कारण प्रभाव	.02	.04	0.010	-
0.50 प्रतिशत की कमी के कारण प्रभाव	(.02)	(.04)	(0.010)	-

सुनिश्चित लाभ दायित्व की परिपक्वता रूपरेखा

(लाख रुपए में)

विवरण	सीवाई / पीवाई	उपदान	अर्जित छुट्टी	रुग्णता छुट्टी
0 से 1 वर्ष	.02	0.18	0.15	0
1 से 2 वर्ष	0.01	0.07	0.02	0
2 से 3 वर्ष	0.03	0.02	0.02	0
3 से 4 वर्ष	1.70	0.04	0.03	0
4 से 5 वर्ष	.04	0.05	0.03	0
5 से 6 वर्ष	0.01	0.02	0.02	0
6 वर्ष से आगे	0.08	3.14	0.80	0

6. वित्तीय विलेख – उचित मूल्य

I. पूंजी प्रबंधन

कंपनी के पूंजी प्रबंधन के उद्देश्य के लिए, पूंजी में कंपनी के इक्विटी धारकों के कारण जारी इक्विटी पूंजी और अन्य सभी इक्विटी रिजर्व शामिल किए जाते हैं। कंपनी के पूंजी प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य शेयर पूंजी की सुरक्षा और रक्षा और शेयरधारक के धन में वृद्धि करना। कंपनी अपनी पूंजी संरचना का प्रबंधन करती है और आर्थिक स्थितियों में बदलाव और वित्तीय अनुबंधों की आवश्यकताओं के आलोक में समायोजन करती है। समय-समय पर, कंपनी शेयरधारकों को पूंजी पर वापसी के लिए पूंजी संरचना की समीक्षा करती है। 31 मार्च 2024 की यथास्थिति के अनुसार कंपनी पर कोई ऋण नहीं है। (पिछले वर्ष शून्य)

II. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

कंपनी की प्रमुख वित्तीय देनदारियों में व्यापार देय और अन्य वित्तीय देनदारियां शामिल हैं। इन वित्तीय देनदारियों का मुख्य उद्देश्य है कंपनी के संचालन को वित्तपोषित करना और इसके परिचालनों में सहयोग हेतु गारंटी प्रदान करना। कंपनी की प्रमुख वित्तीय संपत्तियों में नकदी एवं नकदी समतुल्य, अन्य बैंक शेष, ऋण और अग्रिम, व्यापार प्राप्य, निवेश और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां शामिल हैं जो सीधे इसके संचालन से प्राप्त होती हैं।

कंपनी बाजार जोखिम, ऋण जोखिम और चलनिधि जोखिम का सामना करती है। विदेशों में कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन इन जोखिमों का प्रबंधन करते हैं। कंपनी की वित्तीय जोखिम गतिविधियों पर प्रबंधन द्वारा निरंतर निगरानी रखी जाती है और वित्तीय जोखिम की पहचान, मापन किया जाता है और वरिष्ठ प्रबंधन निर्णयों और

नीतियों के अनुसार इनका प्रबंधन किया जाता है।

क) बाजार जोखिम

बाजार जोखिम वह जोखिम होता है जिसमें बाजार की कीमतों में बदलाव के कारण किसी वित्तीय साधन के भावी नकदी प्रवाह के उचित मूल्य में उतार-चढ़ाव आएगा। बाजार जोखिम में तीन प्रकार के जोखिम मुद्रा जोखिम, ब्याज दर जोखिम और इक्विटी मूल्य जोखिम शामिल हैं। इक्विटी मूल्य जोखिम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कंपनी के पास कोई उधार और विदेशी मुद्रा लेनदेन नहीं है, इसलिए ब्याज जोखिम के साथ ही मुद्रा जोखिम का सामना नहीं करना पड़ा।

ख) क्रेडिट जोखिम प्रबंधन

क्रेडिट जोखिम वह जोखिम है जिसके अंतर्गत यदि कोई भी कंपनी वित्तीय साधनों और ग्राहक अनुबंध के तहत अपने दायित्वों को पूरा नहीं कर सकेगी, तो उसे वित्तीय नुकसान होगा। कंपनी अपनी परिचालन गतिविधियों, मुख्य रूप से व्यापार प्राप्य, निवेश, बैंकों के साथ अन्य शेष और अग्रिमों से ऋण जोखिम के संपर्क में है। व्यापार प्राप्यों और अग्रिमों से उत्पन्न होने वाले ऋण जोखिम की और पिछले अनुभव और इतिहास के आधार पर भी समय-समय पर समीक्षा की जाती है। क्रेडिट जोखिम निवेश से उत्पन्न होता है और बैंकों के साथ अन्य शेष राशि सीमित होती है और इनके खिलाफ कोई संपार्श्विक नहीं होता है काउंटर पार्टियां क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा सौंपी गई उच्च क्रेडिट रेटिंग वाले बैंक हैं और कंपनी के पास समीक्षा निवेश के लिए जोखिम प्रबंधन नीति भी है। कंपनी ने किसी भी क्रेडिट खराब करने वाली परिसंपत्ति का अधिग्रहण नहीं किया। किसी भी वित्तीय परिसंपत्ति में कोई संशोधन नहीं है।

ग) चलनिधि जोखिम प्रबंधन

कंपनी बैंकिंग सुविधाओं और आरक्षित उधार सुविधाओं को बनाए रखते हुए, पूर्वानुमान और वास्तविक नकदी प्रवाह की निरंतर निगरानी और वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं की परिपक्वता प्रोफाइल का

मिलान करके चलनिधि जोखिम का प्रबंधन करती है। कंपनी के पास वित्त पोषण के पर्याप्त स्रोत हैं।

रिपोर्टिंग तिथि पर वित्तीय देनदारियों की शेष संविदात्मक परिपक्वता निम्नानुसार है। यह राशि सकल राशि है और बिना रियायत के भुगतान की गई है।

(लाख रुपए में)

वित्तीय देनदारियों की संविदात्मक परिपक्वता 31.03.2024	1 वर्ष या उससे कम	1-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
उधारी	0	0	0	0
व्यापार देयताएं	0	0	0	0
अन्य वित्तीय देयताएं	58.50	0	0	58.50
वित्तीय परिसंपत्तियों की संविदात्मक परिपक्वता 31.03.2024	1 वर्ष या उससे कम	1-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
नकदी और नकदी समतुल्य	40.66	0	0	40.66
नकदी और नकदी समतुल्य के अलावा अन्य बैंक शेष	675.00	347.08	0	1022.08
ऋण एवं अग्रिम	0.04	0	0	0.04
व्यापार प्राप्त्य	0	0	0	0
निवेश	0	0	56.91	56.91
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	158.73	0	0	158.73

(लाख रुपए में)

वित्तीय देयताओं की संविदात्मक परिपक्वता 31.03.2023	1 वर्ष या उससे कम	1-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
उधारी	0	0	0	0
व्यापार देयताएं	0	0	0	0
अन्य वित्तीय देयताएं	429.04	0	0	429.04
वित्तीय देयताओं की संविदात्मक परिपक्वता 31.03.2023	1 वर्ष या उससे कम	1-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
नकदी और नकदी समतुल्य	352.79	0	0	352.79
नकदी और नकदी समतुल्य के अलावा अन्य बैंक शेष	328.39	0	0	328.39
ऋण एवं अग्रिम	0.19	0	0	0.19
व्यापार प्राप्त्य	0	0	0	0
निवेश	0	0	28.36	28.36
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	621.09	0	0	621.09

7. वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों का वर्गीकरण

निम्नलिखित तालिका में वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को उचित मूल्य पदानुक्रम में शामिल उनके स्तर की वहन राशि और उचित

मूल्य को दर्शाया गया है। यदि वहन राशि उचित मूल्य का उचित अनुमान है, इसे उचित मूल्य पर मापा नहीं गया है, इसमें वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों के लिए उचित मूल्य की जानकारी शामिल नहीं है।

(लाख रुपए में)

31 मार्च, 2024 को वित्तीय परिसंपत्तियाँ और देयताएं	नोट सं.	वहन राशि			कुल
		लाभ और हानि खाते के माध्यम से उचित मूल्य	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	परिशोधित लागत	
वित्तीय परिसंपत्तियाँ					
नकदी और नकदी समतुल्य	3	-	-	40.66	40.66
नकदी और नकदी समतुल्य के अलावा अन्य बैंक शेष	4	-	-	1022.08	1022.08
ऋण एवं अग्रिम	6	-	-	0.04	0.04
व्यापार प्राप्त्य	5	-	-	0	0
निवेश	7	-	-	56.91	56.91
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	8	-	-	158.73	158.73
वित्तीय देयताएँ					
व्यापार देयताएं	13	-	-	0	0
अन्य वित्तीय देयताएं	14	-	-	58.50	58.50

(लाख रुपए में)

31 मार्च, 2024 को वित्तीय परिसंपत्तियाँ और देयताएं	नोट सं.	वहन राशि			कुल
		लाभ और हानि खाते के माध्यम से उचित मूल्य	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	परिशोधित लागत	
वित्तीय परिसंपत्तियाँ					
नकदी और नकदी समतुल्य	3	-	-	352.79	352.79
नकदी और नकदी समतुल्य के अलावा अन्य बैंक शेष	4	-	-	328.39	328.39
ऋण एवं अग्रिम	6	-	-	0.19	.019
व्यापार प्राप्त्य		-	-	0	0
निवेश	7	-	-	28.36	28.36
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	8	-	-	621.09	621.09
वित्तीय देयताएँ					
व्यापार देयताएं		-	-	0	0
अन्य वित्तीय देयताएं	14	-	-	429.04	429.04

(लाख रुपए में)

31 मार्च, 2023 को वित्तीय परिसंपत्तियाँ और देयताएं	नोट सं.	उचित मूल्य			कुल
		स्तर-1	स्तर-2	स्तर-2	
वित्तीय परिसंपत्तियाँ					
नकदी और नकदी समतुल्य	3	-	-	40.66	40.66
नकदी और नकदी समतुल्य के अलावा अन्य बैंक शेष	4	-	-	1022.08	1022.08
ऋण एवं अग्रिम	6			0.04	0.04
व्यापार प्राप्त्य	5			0	0
निवेश	7			56.91	56.91
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	8	-	-	158.73	158.73
वित्तीय देयताएँ					
व्यापार देयताएं	13	-	-	0	0
अन्य वित्तीय देयताएं	14			58.50	58.50

(लाख रुपए में)

31 मार्च, 2023 को वित्तीय परिसंपत्तियाँ और देयताएं	नोट सं.	उचित मूल्य			कुल
		स्तर-1	स्तर-2	स्तर-2	
वित्तीय परिसंपत्तियाँ					
नकदी और नकदी समतुल्य	3	-	-	352.79	352.79
नकदी और नकदी समतुल्य के अलावा अन्य बैंक शेष	4	-	-	328.39	328.39
ऋण एवं अग्रिम	6			0.19	0.19
व्यापार प्राप्त्य				0	0
निवेश	7			28.36	28.36
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	8	-	-	621.09	621.09
वित्तीय देयताएँ					
व्यापार देयताएं		-	-	0	0
अन्य वित्तीय देयताएं	14			429.04	429.04

क. उचित मूल्य पदानुक्रम

कंपनी निम्नलिखित उचित मूल्य पदानुक्रम का उपयोग करके उचित मूल्य को मापती है, जो माप बनाने में उपयोग किए गए इनपुट के महत्व को दर्शाती है।

स्तर-1 – इनपुट जिनमें समान संपत्ति या देयताओं के लिए सक्रिय बाजारों में बाजार मूल्य (असमायोजित) उद्धृत किए जाते हैं।

स्तर-2 – मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण निम्नतम स्तर का इनपुट प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देखने योग्य है।

स्तर-3 – मूल्यांकन तकनीकें जिसके लिए उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण निम्नतम स्तर का इनपुट अप्राप्य है।

ख. वहनीय मूल्य पर वित्तीय विलेखों का मूल्य वहन

अन्य चालू बैंक शेष, अन्य प्राप्त्य और व्यापार और अन्य देय सहित अन्य वित्तीय देनदारियों सहित नकद समकक्ष की अग्रणी राशि को उनके, वर्तमान और इस तरह के शेष की कम समय अवधि की प्रकृति के कारण इन्हें उचित मूल्यों के समान माना जाता है।

8. बिक्री के लिए धारित गैर चालू संपत्तियाँ

भारतीय लेखांकन मानक-105 के अनुसार कोई भी परिसम्पत्ति बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत नहीं की गई है।

9. बैंक ब्याज

वर्ष वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, सावधि जमा (एसबीआई के साथ) पर ब्याज रु. 31.59 लाख (पिछले वर्ष रु. 76.89 लाख) है, जिसमें से रु. 9.66

लाख (पिछले वर्ष रु. 50.43 लाख) एसआरआई फंड से संबंधित है और वही है एसआरआई फंड की पुस्तकों में हिसाब लगाया गया है।

एसआरआई फंड के खातों की लेखापरीक्षा शुरुआत से यानी वित्त वर्ष 2021-22 से अलग लेखा परीक्षक द्वारा की जाती है।

10. खंड रिपोर्टिंग

कंपनी को वित्तीय और निवेश गतिविधियों के लिए स्थापित किया गया है और वर्तमान में एक ही व्यवसाय और भौगोलिक खंड में काम करती है।

11. रिपोर्टिंग तिथि के बाद के कार्य

रिपोर्टिंग तिथि के बाद ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया जिसके लिए इन वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण की आवश्यकता हो।

12. परिसंपत्ति और देनदारियों के तहत प्रत्येक पंक्ति वस्तु के लिए 12 महीने और उसके बाद वसूली/ निपटान की जाने वाली अपेक्षित राशि:

(लाख रुपए में)

विवरण		31 मार्च, 2024 तक			31 मार्च, 2024 तक		
		12 महीने के भीतर	12 महीने से अधिक	कुल	12 महीने के भीतर	12 महीने से अधिक	कुल
परिसंपत्तियाँ							
1	वित्तीय देनदारिया						
क	नकदी एवं नकदी समतुल्य	40.66		40.66	352.79	0	352.79
ख	नकदी एवं नकदी समतुल्य के अलावा बैंक शेष	1022.08		1022.08	328.39	0	328.39
ग	यापार प्राप्त्य	0		0	0	0	0
घ	ऋण एवं अग्रिम	0.04		0.04	0.19	0	0.19
ङ	निवेश		56.91	56.91	0	28.36	28.36
च	अन्य वित्तीय परिसंपत्तिया	158.73		158.73	621.09	0	621.09
कुल वित्तीय संपत्ति (1)		1221.51	56.91	1278.42	1302.46	28.36	1330.82
2	गैर-वित्तीय परिसंपत्तियाँ						
क	काल-सूचियाँ				0	0	0
ख	वर्तमान कर परिसंपत्तियाँ (निवल)	9.17		9.17	61.11	0	61.11
ग	आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (निवल)		8.86	8.86	0	11.28	11.28
घ	संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर	0	22.40	22.40	0	3.45	3.45

विवरण		31 मार्च, 2024 तक			31 मार्च, 2024 तक		
		12 महीने के भीतर	12 महीने से अधिक	कुल	12 महीने के भीतर	12 महीने से अधिक	कुल
ड	चालू पूंजीगत कार्य				0	0	0
च	विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्तियां	0		0	0	0	0
छ	अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां	0.12		0.12	0	0	0
ज	उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियां				0	0	0
झ	बक्री के लिए वर्गीकृत परिसंपत्तियां				0	0	0
ञ	अन्य गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां	5.32		5.32	0	0	0
कुल गैर वित्तीय संपत्ति (2)		14.61	31.26	45.87	61.11	14.73	75.84
कुल संपत्ति (1+2)		1236.12	88.17	1324.29	1363.57	43.09	1406.66
देयताएं							
1	वित्तीय देनदारियां						
क	व्यापार देयताएं	0		0	0	0	0
ख	उधार	0		0	0	0	0
ग	बिक्री के लिए रखी गई संपत्तियों से जुड़ी देनदारियां	0		0	0	0	0
घ	अन्य वित्तीय देनदारियां	58.50		58.50	429.04	0	429.04
कुल वित्तीय देनदारियाँ (1)		58.50		58.50	429.04	0	429.04
2	गैर-वित्तीय देयताएं						
क	वर्तमान कर देयताएं (निवल)						
ख	प्रावधान		6.46	6.46	0	1.87	1.87
ग	आस्थगित कर देयताएं (निवल)				0	0	0
घ	अन्य गैर-वित्तीय देयताएं				0	0	0
कुल गैर-वित्तीय देयताएं (2)		58.50	6.46	64.96	0	1.87	1.87
कुल देयताएं (1+2)		58.50	6.46	64.96	429.04	1.87	430.91

13. प्रस्तावित लाभांश

विवरण	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
100 रु. प्रत्येक के इक्विटी शेयरों पर		
वर्ष के लिए लाभ (लाख रुपये में)	374.68	303.66
लाभांश की दर	30%	30%
प्रस्तावित लाभांश की राशि (लाख रुपये में)	112.40	91.10
प्रति इक्विटी शेयर लाभांश (लाख रुपये में)	18.73	15.18

एनवीसीएफएल द्वारा प्रस्तावित लाभांश कर के बाद मुनाफे पर आधारित हैं जैसा कि निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएम) द्वारा जारी वित्तीय विवरणों और दिशानिर्देशों में बताया गया है। एनवीसीएफएल के निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए रु. 112.40 लाख (वित्त वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक रु. 91.10 लाख) के अंतिम लाभांश का प्रस्ताव रखा।

14. प्रदर्शन संबंधित वेतन (पीआरपी)

सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्रदर्शन संबंधित वेतन (पीआरपी) के लिए रु. 18.17 लाख (वित्त वर्ष 2022-23 रु. 7.97 लाख) की राशि का प्रावधान किया गया है।

15. आकस्मिक देनदारियां एवं प्रतिबद्धताएं

- i. 31 मार्च 2024 (पिछले वर्ष शून्य) तक कंपनी पर कोई आकस्मिक देनदारी नहीं है।
- ii. भविष्य की अवधि के लिए कानूनी सलाहकार के खर्चों के प्रति प्रतिबद्धता रु. 75.67 लाख है (पिछले वर्ष रु. 120.66 लाख)
- iii. एसआरआई फंड में एनवीसीएफएल योगदान के भुगतान के लिए शेष प्रतिबद्धता (कुल प्रतिबद्धता रु. 266.75 लाख के मुकाबले) रु. 209.84 लाख है (पिछले वर्ष रु. 223.64 लाख)

16. अतिरिक्त खुलासे

क) इरादतन चूककर्ता

कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या सरकार या किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

ख) समाप्त की गई कंपनियों से संबंध

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के तहत हटाई गई कंपनियों के साथ कंपनी का कोई लेनदेन नहीं है।

ग) धारित बेनामी संपत्ति का विवरण

बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत बेनामी संपत्ति रखने के लिए कंपनी पर कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित है।

घ) कंपनियों की परतों की संख्या का अनुपालन

कंपनी भारत सरकार की कंपनी के रूप में पंजीकृत है और कंपनी (परतों की संख्या पर प्रतिबंध) नियम, 2017 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (87) के तहत परतों की संख्या पर प्रतिबंध से संबंधित प्रावधान लागू नहीं हैं।

ड) व्यवस्थाओं की अनुमोदित योजना (योजनाओं) का अनुपालन

कंपनी ने ऐसी किसी भी व्यवस्था की योजना में प्रवेश नहीं किया है जिसका चालू या पिछले वित्तीय वर्ष पर लेखांकन प्रभाव पड़ता हो।

च) उधार ली गई धनराशि और शेयर प्रीमियम का उपयोग

(क) वर्ष के दौरान, कंपनी ने विदेशी संस्थाओं सहित किसी भी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या इकाई (ओं) को अग्रिम या उधार या निवेशित धनराशि (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार की धनराशि) नहीं दी है। मध्यस्थ इस समझ के साथ (चाहे लिखित रूप में या अन्यथा दर्ज किया गया हो) कि मध्यस्थ यह करेगा:

- (i) कंपनी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देना या निवेश करना; या
- (ii) अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही कोई गारंटी प्रदान करना।

(ख) वर्ष के दौरान, कंपनी को विदेशी

संस्थाओं (फंडिंग पार्टी) सहित किसी भी व्यक्ति (व्यक्तियों) या इकाई (ओं) से कोई फंड प्राप्त नहीं हुआ है (चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा) कि कंपनी:

- (i) फंडिंग पार्टी (अंतिम लाभार्थियों) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देना या निवेश करना; या
- (ii) अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही कोई गारंटी प्रदान करना।

छ) अघोषित आय

आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण में चालू या पिछले वर्ष के दौरान आय के रूप में सरेंडर या खुलासा की गई कोई आय नहीं है, जिसे खाते की किताबों में दर्ज नहीं किया गया है।

ज) क्रिप्टो करेंसी या आभासी मुद्रा का विवरण

कंपनी ने चालू या पिछले वर्ष के दौरान क्रिप्टो करेंसी या आभासी मुद्रा में व्यापार या निवेश नहीं किया है।

झ) पीपी एंड ई, अमूर्त संपत्ति और निवेश संपत्ति का मूल्यांकन

कंपनी ने चालू या पिछले वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (उपयोग के अधिकार वाली संपत्तियों सहित) या अमूर्त संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

ट) कंपनी रजिस्ट्रार के पास शुल्कों का पंजीकरण या संतुष्टि

ऐसा कोई शुल्क या संतुष्टि नहीं है जिसे वैधानिक अवधि के बाद कंपनी रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत किया जाना बाकी है।

ठ) विश्लेषणात्मक अनुपात

वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) को दी गई विशिष्ट नियामक छूट के कारण कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी एनबीएफसी नियमों की प्रयोज्यता से छूट दी गई है। सीआरएआर और तरलता कवरेज अनुपात कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

द) यदि आवश्यक हो तो पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहित, पुनर्व्यवस्थित और पुनर्गठित किया गया है।

एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड

("एनएसआईसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी")

पंजीकृत कार्यालय: एनएसआईसी भवन, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, फेज-III, नई दिल्ली-110020

(सीआईएन नंबर: यू65990डीएल2020जीओआई368828)

31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए खातों का हिस्सा बनने वाला नकदी प्रवाह का विवरण संलग्न है

(लाख रु. में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
	परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
	कर से पहले लाभ/(हानि)	501.06	405.63
	समायोजन से पहले शुद्ध हानि		
	मूल्यहास	2.41	0.51
	सावधि जमा पर अर्जित ब्याज		
	कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पहले परिचालन नकदी प्रवाह	503.47	406.14
	कार्यशील पूंजी में परिवर्तन		
	ऋण एवं अग्रिम में (वृद्धि)/कमी	0.15	1.06
	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी	462.36	-504.29
	अन्य गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी	-1.21	0.83
	अन्य वित्तीय देनदारियों में वृद्धि/(कमी)	-370.54	307.55
	प्रावधान में वृद्धि/कमी	4.57	1.87
	परिचालन से नकदी (उपयोग)/उत्पन्न	95.33	-192.98
	भुगतान किया गया आयकर (रिफंड का शुद्ध)	-76.12	-215.46
I	परिचालन गतिविधियों से उत्पन्न शुद्ध नकदी	522.68	-2.30
	निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह:		
	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की खरीद	-21.35	-3.28
	अमूर्त संपत्ति – व्यवसाय लाइसेंस	-0.13	-
	सावधि जमा में निवेश – (1 वर्ष से अधिक की परिपक्वता)	-693.68	105.42
	एआईएफ – एसआरआई निधि में निवेश	-28.55	-19.45
	सावधि जमा पर प्राप्त ब्याज	-	-
II	निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकदी (उपयोग)/उत्पन्न	-743.71	82.69
	वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह:		
	शेयर जारी करने से प्राप्त आय	-	-
	लाभांश भुगतान	-91.10	-57.08
III	शुद्ध नकदी (वित्तीय गतिविधियों में प्रयुक्त)/उत्पन्न	-91.10	-57.08
	(क) परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी (+) प्रवाह/(-) बहिर्वाह	522.68	-2.30
	(ख) निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकदी (+) प्रवाह/(-) बहिर्वाह	-743.71	82.69
	(ग) वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध नकदी (+) प्रवाह/(-) बहिर्वाह	-91.10	-57.08
	शुद्ध नकदी (+) आवक/(-) बहिर्वाह	-312.13	23.31
	जोड़े: अवधि के आरंभ में नकदी और नकदी समतुल्य	352.79	329.48
	वर्ष के अंत में नकद और नकद समकक्ष	40.66	352.79
	तुलन पत्र के अनुसार नकद और नकद समकक्ष – नोट 3	40.66	352.79



कॉरपोरेट जानकारी का विवरण (नोट 1) और लेखा नीति (नोट -2)

ऊपर उल्लिखित नोट 1 से 26 वित्तीय विवरण का एक अभिन्न अंग हैं।

इविट्टी में परिवर्तन का विवरण बैलेंस शीट का अभिन्न अंग है और इसे लाभ और हानि के विवरण के बाद रखा जाता है।

टिप्पणी :-

1. उपरोक्त नकदी प्रवाह विवरण इंडस्ट्रीज एएस-7 नकदी प्रवाह विवरण के अनुसार अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करके तैयार किया गया है।
2. नकद और नकद समतुल्य चालू खाते में शेष राशि से मिलकर बनता है
3. पिछले आंकड़े जहां भी आवश्यक हो, आंकड़ों को पुनर्समूहित/पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

इसी तारीख को हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

निदेशक मंडल के लिए और की ओर से

एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड

के प्रसाद एण्ड कंपनी के लिए

सनदी लेखाकार

आईसीएआई फर्म पंजीकरण सं.: 002755एन

नाम: आर.एस. गुप्ता

साझेदार

सदस्यता सं.: 072666

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 05.08.2024

ह./—

डॉ. शुभांशु शेखर आचार्य

अध्यक्ष

डीआईएन नं.: 06727939

ह./—

राजेश मदान

महाप्रबंधक

ह./—

सरवण कुमार अनन्यथन

सीईओ एण्ड निदेशक

डीआईएन नं.: 9769378

ह./—

निष्ठा गोयल

कंपनी सचिव

सदस्यता सं.: ए22768

एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड

(एनएसआईसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी)

पंजीकृत कार्यालय: एनएसआईसी भवन, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, फेज-III, नई दिल्ली-110020

01.04.2022 से 31.03.2024 की अवधि के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क: इक्विटी शेयर पूंजी

विवरण	अध शेष	पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	रिपोर्टिंग अवधि के आरम्भ में पुनःउल्लिखित शेष	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में	जमा शेष									
2022-23	600	0	0	0	600									
2023-24	600	0	0	0	600									
ख: अन्य इक्विटी														
विवरण	आवेदन राशि साझा करें, आर्टन लभित है	मिश्रित वित्तीय साधनों का इक्विटी घटक	मंडार और वैधानिक आरक्षण	पूँजी मंडार	प्रतिभूति प्रीमियम	प्रतिभूति रिजर्व (प्रकृति निर्दिष्ट करें)	अन्य व्यापक आय	अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी उपकरण	नकदी प्रवाह हेतु का प्रभावी भाग	पुनर्मूल्यांकन अधिशेष	किसी विदेशी परिचालन के वित्तीय विवरणों का अनुवाद करने पर मतभेदों का आदान-प्रदान करें	बीमागत लाभ (हानि)	शेयर वारंट के विरुद्ध धन प्राप्त होता है	कुल
31 मार्च 2022 को यथास्थिति शेष				129.17										129.17
लेखांकन नीति के कारण परिवर्तन				-										-
पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण परिवर्तन				-										-
अवधि के लिए लाभ / (हानि)।				303.66										303.66
अवधि के लिए व्यापक आय														-
कुल व्यापक आय				432.83			0							432.83
लामांश भुगतान				-57.08										-57.08
वर्ष के दौरान परिवर्तन, स्थानांतरण / समायोजन				-										-
वर्ष के लिए मूल्यहास				-										-
परिभाषित लाभ योजनाओं से संबंधित आयकर				-										-
इक्विटी निवेश से संबंधित आयकर				-										-
31 मार्च 2023 को यथास्थिति शेष				375.75			0							375.75
लेखांकन नीति के कारण परिवर्तन				-										-
पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण परिवर्तन				-										-
अवधि के लिए लाभ / (हानि)।				374.69										374.69
अवधि के लिए व्यापक आय				-										-
कुल व्यापक आय				750.44			0							750.42
लामांश भुगतान				-91.10										-91.10
वर्ष के दौरान परिवर्तन, स्थानांतरण / समायोजन				-										-
वर्ष के लिए मूल्यहास				-										-
परिभाषित लाभ योजनाओं से संबंधित आयकर				-										-
इक्विटी निवेश से संबंधित आयकर				-										-
31 मार्च 2024 को यथास्थिति शेष				659.34			0							659.33
कोर्पोरेट सूचना का विवरण (नोट-1).														-0.01
लेखांकन नीतियाँ नोट-2														
लेखांकन नोट वित्तीय विवरण 1-26 का अभिन्न अंग														

संलग्न नोट वित्तीय विवरण 1-26 का अभिन्न अंग है

के प्रसाद एण्ड कंपनी के लिए

समवेत लेखाकार

आईसीएआई फर्म पंजीकरण सं.: 002755एन

ह. / -

नाम: आर.एस. गुप्ता

साक्षीदार

सदस्यता सं.: 072666

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 05.08.2024

निदेशक मंडल के लिए और की ओर से

एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड

ह. / -

ह. / -

डॉ. शुभांशु शेखर आचार्य

अध्यक्ष

डीआईएन नं.: 06727939

ह. / -

राजेश मदान

महाप्रबंधक

सरवण कुमार अनुराधन

सीईओ एण्ड निदेशक

डीआईएन नं.: 9769378

ह. / -

निष्ठा गोयल

कंपनी सचिव

सदस्यता सं.: ए22768



31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अधीन निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड के वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। उक्त अधिनियम की धारा 139(5) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक उक्त अधिनियम की धारा 143(10) के अधीन निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा पर आधारित अधिनियम की धारा 143 के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है। उनकी दिनांक 05 अगस्त, 2024 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के जरिए बताया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से, कंपनी अधिनियम की धारा 143(6)(क) के अधीन एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड के दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखा परीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्यशील दस्तावेजों को प्राप्त किए बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और यह मुख्य रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी के कार्मिकों की पूछताछ और कुछ लेखाकंन रिकार्डों की चयनात्मक जांच तक सीमित है।

मेरे पूरक लेखापरीक्षा के आधार पर मेरी जानकारी में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं आया है जो अधिनियम की धारा 143(6)(बी) के तहत वैधानिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर किसी भी टिप्पणी या पूरक को जन्म दे।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
के लिए और की ओर से

ह./—

(एस. अलअदानी पांडा)
प्रधान लेखापरीक्षा निदेशक
(उद्योग और कार्पोरेट मामले)
नई दिल्ली

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 11 सितंबर, 2024

एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड

(एनएसआईसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी)

(सीआईएन नंबर: यू65990डीएल2020जीओआई368828)

एनएसआईसी भवन, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट

नई दिल्ली-110020

वेबसाइट: www.nvcfl.co.in

सं. एसआईसी/एसईसी/एनवीसीएफएल/चतुर्थ एजीएम/2024

दिनांक: 24 सितंबर, 2024

सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड (एनवीसीएफएल या "कंपनी") की चतुर्थ वार्षिक आम बैठक (एजीएम) दिनांक 27 सितंबर, 2024 को दोपहर 12.30 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय एनएसआईसी भवन, ओखला औद्योगिक एस्टेट नई दिल्ली-110020 में निम्नलिखित कार्य करने के लिए आयोजित की जाएगी:

साधारण कार्य

1. दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण और उन पर निदेशक मंडल, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के साथ-साथ भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों, को प्राप्त करना, पर विचार करना और उन्हें अंगीकृत करना।
2. 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए लाभांश घोषित करना।
3. वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी के निदेशक मंडल को कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक निर्धारित करने के लिए प्राधिकृत करना और साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प को पारित करना।

"संकल्प किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त किए गए कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक निश्चित और निर्धारित करने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल को प्राधिकृत किया जाए और एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है।"

विशेष कार्य

निम्नलिखित पर विचार करना, तथा यथोचित पाए जाने पर, साधारण संकल्प(पों) के रूप में पारित करना:

4. **कंपनी के निदेशक के रूप में अतिरिक्त निदेशक, डॉ. शुभ्रांशु शेखर आचार्य (डीआईएन-06727939) का नियमितीकरण**

"संकल्प लिया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 के प्रावधानों और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के अनुसार श्री शुभ्रांशु शेखर आचार्य (डीआईएन- 06727939) जिन्हें 2 मई 2024 से अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, एतद् द्वारा कंपनी के निदेशक होने और कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है।"

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा

ह./

(निष्ठा गोयल)

कंपनी सचिव

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 24 सितंबर, 2024

टिप्पणियाँ:

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 102 के अनुसार संलग्न सूचना के मद संख्या 4 के तहत कार्यवाही से संबंधित भौतिक तथ्यों को निर्धारित करते हुए, व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न किया गया है।

1. वार्षिक आम बैठक में भाग लेने और मतदान करने का हकदार कोई सदस्य, अपने बदले बैठक में भाग लेने और मतदान करने के लिए कोई प्रतिनिधि नियुक्त करने का हकदार है और प्रतिनिधि का कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है।
2. यदि कोई सदस्य इस बैठक के कारोबार की किसी मद (मदों) के संबंध में सूचना प्राप्त करना चाहें, तो उनसे अनुरोध है कि वे वार्षिक आम

बैठक की तारीख को पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में कंपनी सचिव को अपने प्रदत्त भेजें, ताकि अपेक्षित सूचना बैठक के समय उपलब्ध करवाई जा सकें।

3. कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार रखा जाने वाला सांविधिक रजिस्टर कंपनी की वार्षिक आम बैठक के स्थान और समय पर कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में सदस्यों द्वारा निरीक्षण करने के लिए उपलब्ध रहेगा।
4. खाली प्रोक्सी फार्म इसके साथ भेजा जा रहा है।
5. विधिवत मुहर लगा हुआ और भरा हस्ताक्षरित प्रोक्सी नियुक्त करने संबंधी लिखत, बैठक शुरू होने से कम से कम 48 घंटे पहले, कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसार आम बैठकों पर सचिवीय मानक (एसएस-2) के साथ पठित व्याख्यात्मक विवरण

मद संख्या 4

एमएसएमई मंत्रालय द्वारा अनुमोदित आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) फंड (यानी एनवीसीएफएल की पहली योजना) के दिशानिर्देशों के अनुसार, कंपनी के पास एक स्वतंत्र बोर्ड होगा जिसमें एनवीसीएफएल के अध्यक्ष के रूप में सीएमडी, एनएसआईसी शामिल होंगे। पत्र संख्या के अनुसार के-01/22/2021-एसएमई दिनांक 15 अप्रैल, 2024 एमएसएमई मंत्रालय, सरकार द्वारा जारी डॉ. शुभांशु शेखर आचार्य ने एनएसआईसी के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के रूप में 2 मई, 2024 को कार्यभार ग्रहण किया है।

तदनुसार, डॉ. शुभांशु शेखर आचार्य को धारा 161(1) और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार 2 मई, 2024 से आपकी कंपनी के निदेशक मंडल में इस वार्षिक आम बैठक की तिथि तक अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तदनुसार, इस वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा डॉ. शुभांशु शेखर आचार्य की निदेशक के रूप में नियुक्ति पर विचार किया जा सकता है।

आपकी कंपनी का निदेशक बोर्ड कंपनी के शेयरधारकों द्वारा अनुमोदन हेतु निदेशक के रूप में उनकी नियुक्ति की सिफारिश करता है।

डॉ. शुभांशु शेखर आचार्य को छोड़कर कोई भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और/अथवा उनके रिश्तेदार उक्त प्रस्ताव को पारित करने में इच्छुक अथवा सम्मिलित, वित्तीय अथवा अन्यथा नहीं हैं, जैसा कि नोटिस के मद संख्या 4 में निर्धारित किया गया है।

बैठक की तिथि तक सभी कार्य दिवसों/समय पर कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में सदस्यों द्वारा उक्त मद के संबंध में संबंधित दस्तावेज निरीक्षण के लिए खुले हैं।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, नोटिस के मद संख्या 4 में साधारण संकल्प बाबत निर्धारित किया गया है, सहमति प्रदान करने का अनुरोध किया जाता है।

मूल्य

- प्रक्रिया के मानकीकरण के आधार पर पारदर्शिता और समान अवसर वाले निवेश पारिस्थितिकी तंत्र सुनिश्चित करना ।
- सतत विकास और पेशेवर शासन को बढ़ावा देना ।
- ईमानदारी और अखंडता को महत्व देना ।



एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड

(एनएसआईसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी)

एनएसआईसी भवन, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, नई दिल्ली - 110020 (भारत)

दूरभाष: +91-011-26924510 | वेबसाइट: www.nvcfl.co.in